खण्ड-229, अंक-7
बुधवार, 5 वैशाख, शक संवत् 1884
(25 अप्रैल, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 229 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	५०५–५०६
प्रश्नोत्तर	५०६–५२०
अन्तरिम जिला परिषदों के सरकारी सदस्यों को विधान परिषद् के निर्वाचक मान लेने की नीति के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गई)	५२०–५२३
उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के निर्वाचन के लिये स्थानीय निकायों की वोटर लिस्ट में सरकारी अधिकारियों के नाम निकाल देने के विषय में नियम १०६ के अन्तर्गत सूचना	५२३–५२५
कानपुर विकास खंड समिति में कोआपरेटिव सोसाइटी की ओर से प्रतिनिधि भेजने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	५२५
बलिया जिले के मुंडियारी ग्राम के श्री रामजन्मसिंह की पुलिस द्वारा हत्या के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	५२६–५२९
लखनऊ शहर में पीने के पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	५३०
१९६२-६३ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या १––बृहत् जोत कर, अनुदान संख्या २––भू-राजस्व (मालगुजारी) तथा अनुदान संख्या ४१––दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत)	५३०–५७२
अनुदान संख्या ५––बिक्री–कर (स्वीकृत)	५७२
अनुदान संख्या ७––स्टाम्प (स्वीकृत)	५७२–५७३
अनुदान संख्या ८––निबन्धन (स्वीकृत)	५७३
अनुदान संख्या ४२––अधिवर्ष भत्ते तथा निवृत्ति वेतन (पेन्शनें) (स्वीकृत) ..	५७३
अनुदान संख्या ५४––निवृत्ति वेतनों (पेंशनों) की संराशि (स्वीकृत) ..	५७३
अनुदान संख्या ५६––ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) . ..	५७४
अनुदान ६––अन्य कर और शुल्क (स्वीकृत)	५७४
कानपुर विकास खंड समिति में कोआपरेटिव सोसाइटी की ओर से प्रतिनिधि भेजने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	५७४–५७६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २५ अप्रैल, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—३८५

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार, श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्धईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)
गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरजा प्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)

गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण, अग्रवाल, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री (जौनपुर)
जगन्नाथसिंह श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगरनाथ, श्री (बलिया)
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्प्रेश्वरी प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवेंद्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरगढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री

पातीराम, श्री
पितई, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (इटावा)
बद्रीप्रसाद, श्री (फतेहपुर)
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलबानसिंह, श्री
बसंतसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसंत सिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेंद्रभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेंद्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दी लाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेंद्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री

रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह,श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री, (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, श्री राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री

शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह युसूफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथतिवारी, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हुतराम, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २५ अप्रैल, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बसाने के लिये केन्द्रीय सरकार की योजना

१—श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार की परियोजना के अनुसार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के १० लाख परिवारों को भारत के विभिन्न राज्यों में ५० लाख एकड़ भूमि में बसाने का जो विचार है उसमें कितने खेत मजदूर परिवार कहां-कहां पर उत्तर प्रदेश में बसाये जायेंगे ?

माल-मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—केन्द्रीय सरकार की योजना १० लाख परिवारों को बसाने की नहीं बल्कि ७ लाख भूमिहीन परिवारों को बसाने की है। अभी यह विषय सरकार के विचाराधीन है और इस अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि कितने खेत-मजदूर परिवार कहां-कहां पर बसाये जायेंगे।

२—श्री झारखंडेराय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नियोजन आयोग के निदेशानुसार राज्य सरकार ने जो परियोजना तैयार की है उसकी रूप रेखा क्या है ?

श्री बृजबिहारी—अभी योजना का अन्तिम रूप निर्धारित नहीं हुआ है इसलिये इसकी रूपरेखा क्या है यह बताना सम्भव नहीं है।

श्री झारखंडेराय––इस विषय में केन्द्रीय सरकार के स्पष्ट आदेश अथवा सुझाव राज्य सरकार को कब प्राप्त हुये और उस पर अन्तिम निर्णय हो जाने की कब तक आशा की जा रही है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)––प्लानिंग कमीशन से एक खत हमारे पास आया था जनवरी, १९६१ में और हम जगह–ब–जगह सर्वे कर रहे हैं कि कितनी जमीन कहां पर एवेलेबिल होगी। जब यह सर्वे हो कर पता चल जायगा तब हम आगे कोई कदम बढ़ायेंगे।

श्री झारखंडेराय––क्या माल मन्त्री बतलायेंगे कि इस आदेश में इस बात की भी चर्चा है कि प्रति खेत मजदूर परिवार, कितनी भूमि जरूर दी जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––३०० से ५०० रुपये तक।

श्री झारखंडेराय––प्रति परिवार कितनी भूमि दी जायगी इसका भी उसमें कोई निदेश है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––जब तक भूमि के रकबे का पता न चल सके कि कितनी भूमि है तब तक हम उसे तकसीम कर दें तो यह सम्भव नहीं होगा। जमीन का रकबा मालूम हो जाने पर इस बात का निश्चय किया जा सकता है।

श्री झारखंडेराय––क्या माल मन्त्री जी बतलायेंगे कि भूमि की पैमाइश के बाद जब भूमिहीन परिवारों को बसाने की योजना तय की जायगी उसमें वह परिवार तो शामिल नहीं किये जायेंगे कि जिनको पहले से ही राज्य सरकार ने लखीमपुर या तराई के इलाके में बसा रखा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––लैंड–लेस प्रोवाइड किये जायेंगे और जिनको जमीन दी जा चुकी है उनका सवाल शायद पैदा न हो।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)––क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने जो यह योजना बनाई है उस सम्बन्ध में उसने कोई निर्देश भी राज्य सरकार को दिया है कि किस प्रकार से वह सर्वे कराये और किस प्रकार से भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न करे ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––केन्द्रीय सरकार ने दो श्रेणियां बनाई हैं। २५० एकड़ या उससे ज्यादा का कम्पैक्ट फार्म मिल जाय या उससे कम के एरिया आइसोलेटेड प्लेसेज में मिल जांय और उन्हीं का सर्वे कराया जा रहा है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––जैसा मन्त्री जी ने बतलाया कि केन्द्रीय सरकार से उनके पास जनवरी, १९६१ में पत्र आया था, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस सम्बन्ध में जो सर्वे हो रही है वह कब से शुरू हुई है और उसके कब तक ूरी हो जाने की आशा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन––तारीख बतलाना तो इस समय सम्भव नहीं है कि वह कब शुरू की गई और यह कहना कि वह कब तक खत्म हो जायगी यह भी सम्भव नहीं है। काम बड़ा टेढ़ा है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)––क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो केन्द्रीय सरकार के आदेश आये हैं उसमें इस प्रकार का भी जिक्र है कि जो भूमिहीन परिवार उन जमीनों पर बसाये जायेंगे वह जमीन उनको सरकार द्वारा तुड़वा कर दी जायगी और उन से कोई मुआवजा उसका नहीं लिया जायगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन––यह जो रकम ी जायगी वह जुताई व गुड़ाई के लिये और ेवलपमेंट के लिये दी जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मन्त्री जी उन चन्द जिलों का नाम बतायेंगे कि जहां वह भूमि प्राप्त कराने के लिये सर्वेक्षण करा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी तो कृषि विभाग को यह प्रोपोजल भेजा गया है। अभी यह बताना मुमकिन नहीं है कि किन जिलों के किन गांवों में यह सर्वे कराया जायगा।

मध्य प्रदश में चित्रकूट का कथित भाग

****३—श्री मतोलासिंह** (जिला बांदा)—क्या सरकार को पता है कि चित्रकूट का जो भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है उसे इस प्रदेश में मिलाने के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश तथा भारत सरकार से कोई पत्र व्यवहार चल रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निश्चय हो जाने की आशा है ?

श्री बृजबिहारी—इस अल्प समय में सरकार को विश्वस्त सूत्र में यह पता नहीं चल सका है कि चित्रकूट का कोई भाग मध्य प्रदेश में स्थित है या नहीं पर यदि कोई ऐसा भाग है तो उसको उत्तर प्रदेश में मिलाने के सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार मध्य प्रदेश तथा भारत सरकार से नहीं चल रहा है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—यह जो सूचना दी गई है कि चित्रकूट का कुछ भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है तो क्या मन्त्री जी इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण करायेंगे कि वह पड़ता है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—शार्ट नोटिस क्वेशचन होने की वजह से इतना समय नहीं था कि पता लगाया जा सकता, लेकिन अगर नोटिस दिया जायगा तो पता लगा लिया जायगा और इत्तला मिलने पर सदन के सामने प्रस्तुत की जा सकती है।

अमरोहा चीनी मिल से मजदूरों का हटाया जाना

****४—श्री शराफत हुसैन रिजवी** (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अमरोहा शुगर मिल, जिला मुरादाबाद के मालिक ने अप्रैल के दूसरे सप्ताह में एक सौ से अधिक मजदूरों को नौकरी से अलग कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रम उप मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—मुझे अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में आप से और सदन से क्षमा मांगनी है क्योंकि चेष्टा करने पर भी हम अभी इस सूचना को एकत्र नहीं कर पाये हैं मैं आपका अनुग्रहीत होऊंगा यदि आप इसके लिये कोई और तारीख निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष—(श्री शराफत हुसैन रिजवी से) मन्त्री महोदय जी कह रहे हैं कि थोड़ा समय और दे दिया जाय, वह आपको स्वीकार है ?

श्री शराफत हुसैन रिजवी—जी हां, ठीक है।

श्री अध्यक्ष—तो मैं २ मई के लिये रखे देता हूं।

श्री उग्रसेन—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब कार्यक्रम में यह प्रश्न छापा गया है तो इसका उत्तर भी कुछ न कुछ माननीय सदस्य को मिला होगा। तो, क्या माननीय मन्त्री जी यहां इस समय इस प्रकार की दरख्वास्त कर सकते हैं ? क्या....

श्री अध्यक्ष—वह स्वयं स्वीकार करते हैं और दूसरी तारीख चाहते हैं।

श्री उग्रसेन—लेकिन इससे तो सारी व्यवस्था गड़बड़ हो रही है....

श्री अध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

[अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ४, २ मई, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

शाहजहांपुर जिले में पूरा गन्ना न पेरे जाने की शिकायत

*१—श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले के प्रटेली स्टेशन पर से गन्ने की खरीद मिलों द्वारा बन्द कर दी गई है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—प्राप्त सूचनानुसार शाहजहांपुर जिले में प्रटेली नाम का कोई गन्ना क्रय केन्द्र नहीं है ।

*२—श्री भगवानसहाय (अनुपस्थित)—क्या सरकार को इस बात का पता है कि बहुत बड़ी तादाद में किसानों का गन्ना अभी भी खेतों में खड़ा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गन्ने की खड़ी फसल का रिसर्वे (Resurvey) इस मास कराया जा रहा है अतएव गन्ने की वास्तविक स्थिति रिसर्वे के आंकड़े प्राप्त होने पर ही मालूम हो सकेगी । यह आशा की जाती है कि समस्त उपलब्ध गन्ने की खपत हो जायगी ।

[२५ अप्रैल, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

साम्हों सहकारी संघ के सुपरवाइजर, श्री बालाप्रसाद से रुपया वसूल करने का आश्वासन

*१—श्री सहदेव सिंह (जिला इटावा)—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के साम्हों सहकारी संघ के सुपरवाइजर तथा मंत्री श्री बाला प्रसाद जी संघ का १,२८२ रु० अपनी जिम्मेदारी पर ठेकेदारी को अधिक अदा कर गये ?

न्याय मंत्री के सभा-सचिव (श्री चन्द्रसिंह)—जी हां ।

*२—श्री सहदेवसिंह—क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सुपरवाइजर के विरुद्ध सरकारी कार्यवाही हुई और उस पर १, २८२ रु० की डिग्री दे दी गई ?

श्री चन्द्रसिंह—जी हां ।

*३—श्री सहदेव सिंह—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जब उक्त सुपरवाइजर सहकारी विभाग में ही सहकारी इन्सपेक्टर के पद पर कार्य कर रहा है तब भी गत पांच वर्षों में यह रुपया उससे वसूल क्यों नहीं किया गया ? यदि नहीं हुआ, तो अब सरकार उसको किस प्रकार वसूल करने का प्रयत्न कर रही है और क्या वह उक्त सुपरवाइजर के वेतन से काट कर वसूल किया जा सकता है ?

श्री चन्द्रसिंह—वसूली की आवश्यक कार्यवाही करने के लिये डिग्री, कलेक्टर इटावा को, वर्ष १९५९ में ही भेज दी गई थी, लेकिन इससे पूर्व ३-९-५८ से ही श्री बाला प्रसाद सुपरवाइजर से इन्सपेक्टर के पद पर पदोन्नत होकर झांसी चले गये इसलिये वसूली की कोई सफल कार्यवाही न हो सकी ।

इन्सपेक्टर के सरकारी पद पर कार्य करने के कारण विभाग भी डिग्री शुदा रकम को स्वयं उनके वेतन से काट कर वसूल नहीं कर सका और न आगे ही कर सकता है। अब श्री बालाप्रसाद इटावा में ही २८-९-६१ से कार्य कर रहे हैं इसलिये डिग्रीदार संघ को लिखा जा रहा है कि वह शीघ्र अपनी डिग्री को इजरा कराकर इन्सपेक्टर की तनख्वाह (attach) करा लें।

श्री सहदेवसिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि जब १९५९ में उस डिग्री की वसूली के लिय कलेक्टर को कागजात भेज दिये गये थे तो क्या वजह रही जो तीन साल में उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी ?

श्री चन्द्रसिंह—क्योंकि श्री बालाप्रसाद जी का ट्रांसफर झांसी हो चुका था और जो सोसाइटी थी उसने कोई मुकदमा झांसी में चलाने की कोशिश नहीं की और न इस दिशा में कोई कदम ही उठाया।

श्री सहदेवसिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि झांसी क्या राज्य से बाहर था और वहां पर क्या कोई इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हो सकती थी ?

श्री चन्द्रसिंह—जरूर कार्यवाही हो सकती थी, लेकिन सोसायटी की ओर से कोई कदम इस प्रकार का नहीं उठाया गया।

श्री चन्द्रजीत—मंत्री जी बतायेंगे कि जिन इटावा के उच्च अधिकारियों ने झांसी के उच्च अधिकारियों को इस संबंध में उचित कार्यवाही करने को नहीं लिखा और ३ साल तक यह रकम वसूल नहीं हुई तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चन्द्रसिंह—जो सूचना मेरे पास है उसके मुताबिक ऐसा नहीं पता चलता कि झांसी के कलेक्टर को कार्यवाही करने को लिखा गया।

श्री चन्द्रजीत—मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पूछें।

श्री चन्द्रजीत—जब इन्सपेक्टर का ट्रांसफर इटावा से झांसी हो गया तो इटावा के उच्च अधिकारियों ने झांसी के अधिकारियों को यह क्यों नहीं लिखा कि उनसे वह रकम वसूल की जाय ? जिन लोगों ने इस प्रकार की लापरवाही की उनके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चन्द्रसिंह—इस विषय में कोई सूचना इस समय मेरे पास नहीं है। अगर माननीय सदस्य इसके इच्छुक हों तो उनको सूचना जरूर दी जायगी।

श्री चन्द्रजीत—मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इटावा के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्यों नहीं लिखा कि फलां फलां व्यक्ति से रुपया वसूल किया जाय ? अगर ऐसा नहीं किया तो क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री चन्द्रसिंह—इस वक्त कोई इत्तला इस प्रकार की नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं। आगे इस पर रुपया वसूल करने की जरूर कार्यवाही की जायेगी, लेकिन आगे झांसी लिखा-पढ़ी की कार्यवाही किये जाने की जरुरत नहीं है। क्योंकि इंस्पेक्टर इटावा लौट कर आ गया है।

श्री भीखालाल—क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि जिस सुपरवाइजर ने गलत तरीके से सरकारी पैसे का ऐक्सेज पेमेंट कर दिया और उस पर डिग्री हो गई उसके बाद उसकी पदोन्नति हो गई, तो इस बात को देखते हुए कि सरकारी पैसा उससे वसूल हो जाय उसकी पदोन्नति रोकने के लिये क्यों नहीं प्रयास किया गया ?

श्री चन्द्रसिंह—अगर डेफीटल अमाउन्ट रिकवर नहीं हुआ तो अवश्य इस पर कार्यवाही की जायगी और सूटेबिल ऐक्शन जरूर लिया जायगा और कोशिश की जायगी कि रुपया वसूल किया जाय।

श्री नरसिंहनारायण—मंत्री जी बतायेंगे कौन-कौन से प्रयत्न उस रुपये के वसूल करने के संबंध में किये गये ?

श्री चन्द्रसिंह—रेकार्ड्स से यह मालूम होता है ज्यों ही उनकी पदोन्नति हुई तो उनकी झांसी पोस्टिंग हो गई और वहां जाने पर कोई भी कार्यवाही डेफीटल अमाउन्ट की रिकवरी के लिये नहीं की गई।

श्री नरसिंहनारायण—मेरा प्रश्न है कि कौन-कौन सा प्रयत्न किया गया।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने जवाब दे दिया मालूम यह होता है कि अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री ऊदल—मंत्री जी का यह कहना है कि रिकार्ड को देख कर मालूम यह होता है कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं यह जानना चाहूंगा कि अब तक नहीं हुई तो क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि वह इन्सपेक्टर साहब कहां हैं और जो रुपया वसूल नहीं हुआ है वह आगे उनसे वसूल करेगी ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने कहा है कि हर प्रकार की कार्यवाही की जायगी।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी इस प्रश्न को सूचना मान कर नोटिस देने की बात नहीं है स्पष्टतः पूरे मामले की जांच कराने का आदेश देंगे ?

श्री चन्द्रसिंह—अगर आप चाहते हैं तो जरूर की जायगी।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—सुपरवाइजर ने ठेकेदार को इतना रुपया कब दिया था और विभागीय अधिकारियों को कब मालूम हुआ ?

श्री चन्द्रसिंह—यह रुपया सन् १९५३-५४ में दिया गया था। इसका पता चला है सन् १९५७-५८ में। उसके बाद उन पर कार्यवाही की गयी और डिग्री हासिल कर ली गयी।

श्री सहदेवसिंह—१९५३-५४ में एक्सेस रुपया दिया गया था। उसके बाद सोसाइटी का आडिट हुआ। तो जब आडिट हुआ तो आडिटर्स ने इस रुपय के संबंध में आब्जेक्शन लिखा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि १९५७-५८ में पता लगा है।

श्री सहदेवसिंह—१९५३-५४ में कोआपरटिव युनियन ने रिजोल्यूशन किया और विभाग की नोटिस में यह बात लाई गयी ....

श्री अध्यक्ष—यह बातें उन्हें कैसे मालूम हो सकती हैं।

श्री सहदेवसिंह—नवम्बर, १९६१ में सुपरवाइजर हो कर इटावा जिले में यह सज्जन आ गये। ७ महीने बीत चुके हैं। इस दौरान में क्या किया गया जब कि अधिकारियों को बार-बार याद दिलाया गया और प्रस्ताव पास किये गये ?

श्री चन्द्रसिंह—जो इत्तिला मेरे पास है उससे मालूम होता है कि अभी तक उसके वापस आने के बाद कोई भी रिकवरी की कार्यवाही नहीं की गयी, लेकिन अब अवश्य की जायगी और रुपया पूरा वसूल कर लिया जायगा ।

बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू न किया जाना

*४—श्री गणेशचन्द्र (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—मेरे ७ अगस्त, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को उत्तर प्रदेश में लागू करने की बाबत अब तक भारत सरकार से कोई आदेश आया है या नहीं ? यदि हां, तो वह क्या है ?

समाज कल्याण उप-मंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—जी हां ।

भारत सरकार ने कोई सूची अन्य पिछड़ी जातियों की नहीं बनाई और कहा कि प्रदेशीय सरकार चाहे तो स्वयं पिछड़ेपन के आधार की परिभाषा करे, परन्तु केन्द्रीय सरकार की राय में आर्थिक पिछड़ापन न कि जाति इसका आधार बनाया जाना अच्छा होगा ।

श्री चन्द्रजीत—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब से पिछड़े वर्ग कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसके बाद से सदन में दोनों ओर से बराबर इस बात की मांग होती रही है कि प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार को उन सिफारिशों को लागू करने के लिये लिखे, इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिये कभी लिखा ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—कमीशन की सिफारिश तो यह थी कि प्रदेशीय सरकार अपनी इच्छा के अनुसार पिछड़ी जातियों को गिने । अभी सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में कार्य हो रहा है । उसके अनुसार ५८ जातियां पिछड़ी हुई और हरिजन जातियों में रखी गयी हैं । केन्द्रीय सरकार के कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने प्रदेशीय सरकार के ऊपर छोड़ दिया है कि वह अपने प्रदेश के अन्दर निर्धनता के ऊपर बैकवर्ड माना जाय, किसी जाति के ऊपर न माना जाय, सरकार के ऊपर छोड़ दिया है । तो सरकार का निर्णय यह है कि अभी वही ५८ जातियां पिछड़ी और हरिजन जातियों में गिनी जायं ।

श्री चन्द्रजीत—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि कमीशन की रिपोर्ट यह थी कि प्रदेशीय सरकार पिछड़ी जातियों को गिने । यह बात नहीं है । संविधान के अनुसार राष्ट्रपति ने उस कमीशन की नियुक्ति की थी । उस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसको केन्द्रीय सरकार को कार्यान्वित करना है । लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उस पर विचार भी नहीं किया । तो इस सदन में बराबर यह प्रश्न उठता रहा है कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को लिखे....

श्री अध्यक्ष—तो आप सवाल कर लीजिए ।

श्री चन्द्रजीत—तो जब कि सदन में दोनों तरफ से बराबर मांग की गई कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को लिखे कि बैकवर्ड क्लास कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाय उस संबंध में राज्य सरकार ने लिखा अथवा नहीं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस विषय में कई दफा लिखा ।

नोट—तारांकित प्रश्न ४ श्री चन्द्रजीत ने पूछा ।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें इस बात की सूचना है कि केन्द्रीय स्तर पर इस बात पर विचार हो रहा था कि पिछड़ेपन का आधार केवल जातिगत न मानकर आर्थिक भी माना जाय ? यदि हां, तो क्या इस विषय में भी कोई सुझाव सरकार के पास आया है कि वह जो बैकवर्ड जातियों की लिस्ट बनावे तो यह भी देखे कि आर्थिक आधार पर कौन बैकवर्ड है कौन नहीं, तब लिस्ट बनावे ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इस प्रश्न के पहले हिस्से का उत्तर जी हां है। दूसरे हिस्से का उत्तर यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अभी इस बात पर विचार कर रही है कि आर्थिक प्रश्न को लेकर इनको बैकवर्ड माना जाय या जो ५८ जातियां बैकवर्ड जातियों की लिस्ट में हैं उन्हीं के ऊपर काम किया जाय।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि बैकवर्ड क्लास कमीशन की रपट निकले काफी दिन हो गये और सरकार निरन्तर उस पर विचार कर रही है, तो सरकार को अभी और कितना समय लगेगा उस पर विचार करने में ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—वह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में अभी थोड़े दिन हुए आयी है। इस वक्त वह रिपोर्ट प्रेस में छप रही है और वह सदस्यों के सामने भी उपस्थित की जायगी अगर माननीय सदस्यों की ऐसी इच्छा होगी। बहुत दिन इसको नहीं हुए केन्द्रीय सरकार से आये हुए।

श्री नरसिंहनारायण—माननीय मंत्री जी ने कहा कि ५८ जातियों को बैकवर्ड क्लास में रखा जाय इसकी सिफारिश हुई तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन ५८ जातियों के रखने का आधार क्या बनाया गया ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—जैसा मैंने निवेदन किया सम्पूर्णानन्द जी की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त हुई थी सन् ५० में। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह ५८ जातियां प्रदेश में बनाई गई।

श्री चन्द्रजीत—माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा है कि वह रिपोर्ट अभी भारत सरकार से प्राप्त हुई है और प्रेस में है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस बैकवर्ड क्लास कमीशन की नियुक्ति काका कालेलकर की अध्यक्षता में भारत सरकार ने की थी उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है या कोई दूसरी रिपोर्ट है जिसकी चर्चा आप कर रही हैं?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—इसके लिये तो मुझे सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केवट और मल्लाह जातियों की तरफ से यह मांग की गई है कि उनको परिगणित जाति में रखा जाय ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद—कई जातियों की तरफ से प्रार्थना पत्र आये हैं कि हमें भी बैकवर्ड क्लास में मान्यता मिलनी चाहिये। विशेष जिन जातियों का माननीय सदस्य ने नाम लिया है उसके विषय में मैं नहीं बता सकती।

कुंवर श्रीपाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जैसा अभी एक प्रश्न हुआ था, पिछड़ा वर्ग बनाने के लिये आर्थिक आधार है या कोई दूसरा आधार है जिस आधार पर कि यह जातियां डिक्लेयर की गई हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने कह दिया कि इस पर विचार हो रहा है और वह किसी आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि जाति विशेष के आधार पर ही विचार हो रहा है।

कुंवर श्रीपाल—मैं इसी को जानना चाहता हूं।

श्रीमती प्रकाशवती सूद—पिछली रिपोर्ट जाति विशेष के ही आधार पर बनी हुई है।

श्री उग्रसेन—क्या मन्त्री जी बतायेंगी कि सम्पूर्णानन्द कमेटी की कौन-कौन सी सिफारिशें थीं जिसके आधार पर इन जातियों को चुना गया है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप रिपोर्ट में देख सकते हैं।

*५-७—श्री झिलमिट झिल्लू (जिला गाजीपुर)—[९ मई, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर सहकारी परिषद् सम्बन्धी अनुदान के दुरुपयोग की शिकायत

*८—श्री शिवनार्थासिह (जिला कानपुर)—क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर सहकारी परिषद्, नवाबगंज, कानपुर में विगत १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९६२ तक प्रति वर्ष कितना लाभ अथवा हानि हुई और इन पांच वर्षों में कितना अनुदान सरकार की ओर से उसे प्रति वर्ष दिया गया ?

श्री चन्द्रसिंह—कानपुर सहकारी पय परिषद् को कथित समय में हुये लाभ हानि तथा परिषद् को दिये गये सरकारी अनुदान के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

सहकारी वर्ष	लाभ	हानि
	रु०	रु०
१९५७-५८ ..	..	१,०४,०००
१९५८-५९ ..	३,७५६	..
१९५९-६० ..	१९,४७१	..
१९६०-६१ ..	२,२५९	..
१९६१-६२ ..	..	४७,२७०
(जुलाई, ६१ से जनवरी, ६२ तक)		

सरकारी अनुदान

वर्ष	धनराशि
	रु०
१९५७-५८	..
१९५८-५९	..
१९५९-६०	१८,०००
१९६०-६१	१५,०००
१९६१-६२	९०,०००

श्री रामसुन्दर—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो सरकारी अनुदान प्रदान किये गये हैं ये किन-किन मदों में व्यय करने के लिये किये गये ?

श्री चन्द्रसिंह—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। अगर आप जरूरी समझते हैं तो वह जरूर मंगा दी जायगी और आपको बता दिया जायगा।

श्री शिवनाथसिंह—क्या सरकार ने परिषद् के घाटे को जानने के लिये कोई आडिट कराया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रसिंह—माननीय अध्यक्ष जी मेरे पास यह सूचना नहीं है, लेकिन मालूम यह होता है कि आडिट जरूर हुआ होगा। यह तो बहुत पुरानी सोसाइटी है। ऐसा आर्डिनेरिली हो नहीं सकता।

श्री उग्रसेन—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को प्रश्न का नोटिस दिया गया। प्रश्न मंजूर होता है, समय मिलता है और जब जवाब देने खड़े होते हैं तो कहते हैं कि प्रश्नों की ठीक सूचना नहीं है। अगर ऐसा है तो प्रश्न स्थगित किया जाय और फिर जब उनको सूचना हो तब सदन के सामने आये या सहकारिता मंत्री जी जवाब दें जो बगल में बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष—माननीय सहकारिता मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देने खड़े हुए थे कि कानपुर सहकारी परिषद् नवाबगंज, कानपुर में विगत १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९६२ तक प्रतिवर्ष कितना लाभ अथवा हानि हुई और इन पांच वर्षों में कितना अनुदान सरकार की ओर से उसे प्रति वर्ष दिया गया। अब इसके सम्बन्ध में जो कुछ सूचनाएं थी वह उन्होंने इकट्ठी कर ली हैं अगर उसके अतिरिक्त आप और कुछ जानना चाहते हैं तो सूचना दे दें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन् व्यवस्था का प्रश्न। क्या माननीय मंत्री जी आपको ऐडवाइस दे सकते हैं, आपकी कार्य प्रणाली में ?

श्री अध्यक्ष—वह सदन में ऐडवाइस नहीं दे रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सहकारी परिषद् क्या काम करती है और इसके संचालक मंडल में कौन-कौन से लोग हैं ?

श्री चन्द्रसिंह—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामकुमार (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सहकारी परिषद् में जो क्रमशः एक वर्ष तो ८ लाख रुपये का घाटा हुआ और दूसरे वर्ष २७ लाख रुपये का, तो इसका विशेष कारण क्या है ?

श्री चन्द्रसिंह—इसकी तो मेरे पास कोई इत्तला ही नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सोसाइटी को १९५८–५९ में ३,७५६ रुपये का लाभ हुआ, १९५९–६० में १९,४७१ रुपये का और १९६०–६१ में २,२५९रुपये का लाभ हुआ-यानी कुल जोड़कर २५,४८६ रुपये का लाभ हुआ और ४७,२७० रुपये की हानि हुई, इसके बाद भी इसको अनुदान दिया गया। तो क्या इस पर विचार किया गया था कि जब इस सहकारी समिति को इतनी हानि हो रही है तो अनुदान क्यों दिया जा रहा है ?

श्री चन्द्रसिंह—अनुदान देते समय पूरा-पूरा विचार किया गया और यह समझा गया कि इस सोसाइटी की माली हालत को मजबूत बनाने के लिए सरकारी अनुदान दे की जरूरत ह और यह सोसाइटी जनता के लिए भी जरूरी है।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी इस सुझाव को मानने की कृपा करेंगे कि यदि किसी सहकारी समिति को लगातार तीन साल तक घाटा होता रहे तो उसका अनुदान बंद कर दिया जाय जब तक कि वह अपना घाटा पूरा न कर ले और लाभ न दिखा दे ?

श्री चन्द्रसिंह—जी हां, यह सोसाइटी २–३ साल तक ससपेंडेड रही।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि माली हालत सुधारने के लिये तो अनुदान दे दिया गया और उसकी क्षमता बढ़ाने के लिये भी वे कुछ विचार कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रसिंह—जी हां।

श्री चन्द्रजीत—श्रीमन्, एक चीज में जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि बहुत से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की नियुक्ति की गयी है, उनको ट्रेनिंग देना है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई है या नहीं ? इससे हाउस का समय खराब होता है।

श्री अध्यक्ष—देखिये, आप लोग जरा सहृदयतापूर्वक विचार करें । पहली मर्तबा वे जवाब दे रहे हैं और आप लोग पीछे पड़े हुए हैं। कुछ भी हो अपने साथियों में से हैं जरा सहानुभूति रखनी चाहिये।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सहकारी परिषद् के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन महान व्यक्ति हैं ?

श्री चन्द्रसिंह—इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री रामसुन्दर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अप्रैल १९५७ से २१ मार्च, १९६२ तक इस सोसाइटी की आडिटर की कोई रिपोर्ट है, यदि हां, तो क्या है ?

श्री चन्द्रसिंह—इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि यह सोसाइटी २–३ साल तक ससपेन्डेड रही तो उसका क्या कारण था ?

श्री चन्द्रसिंह—इसकी माली हालत बहुत खराब हो गयी थी और समझा गया कि सोसाइटी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है।

श्री रामसुन्दर—अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और सरकारी कोष के अपव्यय का सवाल है, लेकिन मंत्री जी के उत्तर से हंसी हुई ।

यह इतना गम्भीर प्रश्न है कि एक सोसाइटी जिसको इतना रुपया दिया गया है उसकी आडिट रिपोर्ट क्या है, क्यों नुकसान हुआ सारी चीजें जो पूछी गयीं किसी का भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया। वह सवाल हंसी में टाल गये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय पर आपका आदेश होना चाहिये और सदन में विवाद होना चाहिये जिससे इस तरह के उत्तर देने का ढंग खत्म हो।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारे पांडेय जी को शिकायत है कि हंसी में टाल गये, लेकिन हंसा कौन ? पहले यह बता दें । सब उधर ही से हंसे । तो अपनी तरफ के लोगों को मना कर दें कि ऐसे मौके पर न हंसें ।

श्री अध्यक्ष—माननीय पांडेय जी ने जो निवेदन किया है उस सम्बन्ध में हमारे नियमों में बहुत ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा प्रश्नों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हो सकता है और अगर उस सम्बन्ध में कुछ सूचना आयेगी तो मैं उसके ऊपर अवश्य सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा और बहुत से तरीके हैं, इसलिये यह विषय अब समाप्त किया जाता है।

श्री शिवनार्यासिह—अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस प्रश्न के उत्तर में सही उत्तर नहीं दिया। इसलिये इस प्रश्न को स्थगित किया जाय. . . .

श्री अध्यक्ष—आप जरा उग्रसेन जी से पूछ लेते तो आप को पता चल जाता। पांडेय जी ने भी कहा है। अपने लीडर से पूछ लीजिये। वह जानते हैं।

अन्तरिम जिला परिषदों के सरकारी सदस्यों को विधान परिषद् के निर्वाचक मान लेने की नीति के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे सामने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित किया गया है माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद ने. . .

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, इसमें एक संशोधन कर लें। उसकी पांचवी लाइन में अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम में प्रस्तुत के बाद 'विचारों' के स्थान पर 'धाराओं' कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अच्छा वह कर दिया जायगा। नियम ६५ इस प्रकार से है कि "जो सदस्य विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहे तो वह जिस दिन प्रश्न उठाने का विचार करता हो उस दिन उपवेशन आरम्भ होने के पूर्व सचिव को लिखित सूचना देगा। यदि शिकायत का आधार कोई दस्तावेज हो तो मूल दस्तावेज या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायगी"। इस प्रस्तुत सूचना के साथ कोई इस प्रकार की प्रतिलिपि संलग्न नहीं की गयी, एक तो इसमें यह दोष है।

"दूसरे इस सूचना में यह है कि "माननीय स्वशासन मंत्री द्वारा जो स्थानीय निकायों के सदस्यों को सूचना प्रस्तुत की गयी है उससे संविधान की धारा १७१ का उल्लंघन हुआ है तथा अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम में प्रस्तुत धाराओं का भी उल्लंघन हुआ है। अतः मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की अनुज्ञा चाहता हूं।"

अब जैसा मैंने कहा कि प्रक्रिया नियमावली के नियम ६५ की अवलेहना हुई है और दूसरे अब में नियम ६६ भी पढ़ता हूं। "विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों से नियन्त्रित होगा :—

(१) एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रश्न नहीं उठाये जायेंगे।

(२) प्रश्न किसी हाल ही में घटित निश्चित विषय तक निबंद्ध रहेगा, तथा

(३) उस मामले में सदन का हस्तक्षेप आवश्यक हो।"

मैं नियम ६६ के खंड २ और ३ के प्रति माननीय प्रश्नकर्त्ता का ध्यान आकर्षित करूंगा। जो सदस्य सूची बनी हुई है, उसमें जो नाम दिये गये हैं, उन के संबंध में १९६० में भी प्रश्न उठा था इसी प्रकार का बराबर, उस समय से उसमें वह नाम चले आ रहे हैं। तो यह प्रश्न हाल ही में घटित निश्चित विषय कैसे है इस पर माननीय सदस्य प्रकाश डालें। दूसरी बात यह है कि इस मामले में सदन का हस्तक्षेप कैसे आवश्यक है? इस विषय में प्रश्न यह भी होता है कि जो

सूचियां तैयार होती है एलेक्शन के संबंध में, वह सूचियां विशेष अधिकारी द्वारा तैयार होती हैं। वह सूचियां एलेक्शन कमीशन रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट, कांस्टीट्यूशन आदि के जो प्राविधान हैं उनको ध्यान में रख कर तैयार होती हैं। तो उस मामले में सदन का हस्तक्षेप कैसे संभव हो सकता है और कैसे आवश्यक है, इन बातों पर माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी प्रकाश डालें, तब मैं इसकी स्वीकृति के संबंध में अपना निर्णय दूंगा।

*श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---माननीय अध्यक्ष महोदय, देरी के संबंध में तो मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है कि अन्य नियमों के अन्तर्गत यह आप के पास स्वीकृति के लिये १६ तारीख से पड़ा हुआ है जब हमने यह सब से पहले इस सदन में प्रस्तुत किया था। उस समय से माननीय मंत्री जी संविधान की तथा जिला अंतरिम परिषद् अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करते चले आ रहे हैं। आखिर जब पिछली बार यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठा, आपने कहा कि उस समय से यह विचाराधीन है और मैं आपको बतलाऊं कि पिछली बार से इस समय तक इसमें वही बातें हैं कि जो उस समय के विशेषाधिकार के प्रश्न में थीं। संविधान की धारा १७१ का चूंकि इतना अधिक सब लोगों को पता है और वह आपके कार्यालय में भी थी, इसलिये मैं उसकी प्रतिलिपि आपको नहीं दे सका। अगर आप संविधान की धारा १७१ की ओर ध्यान दें तो उसमें लिखा है कि :—

"(3) (*a*) as nearly as may be, one-third shall be elected by electorates consisting of members of municipalities, district boards and such other local authorities in the State as Parliament may by law specify ;"

यह निर्विवाद है और सब ने मान लिया है कि अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहीं है नहीं, जिला अंतरिम परिषद् में उसके सदस्य अगर हैं तो केवल ५, और अगर उनको सदस्य माना जाय तो वह इस कारण से नहीं माने जा सकते कि जो नयी प्लानिंग कमेटी बनी थी उसके भी सदस्य होकर आये हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह प्रश्न यहां अस्वीकृत हुआ था आप देख लीजिये संविधान की धाराओं के हिसाब से, उस समय यह लिस्ट नहीं बन सकती थी। इसी तरह से विधान परिषद् के वोटर्स को जिस तरह से सरकार ने बनवा दिया था तो आपने कहा कि सरकार का क्या दोष है, उसकी तो यही प्रणाली है। लेकिन आप देखें कि जो पिछली कार्यवाही है राजनारायण जी के उत्तर के संबंध में उसमें इसी सरकार ने माना है कि सब लोगों की मत भिन्नता होने के बावजूद भी इस सरकार ने उसको इनआर्डर करने के लिये लिखा एलेक्शन कमीशन को और एलेक्शन कमीशन ने आज भी कांस्टीट्यूशन की राय है कि गलत राय दी है। संविधान के अनुसार एलेक्शन कमीशन को राय देने का अधिकार नहीं था। लेकिन सरकार की ओर से यह उत्तर आया था कि आप ला कोर्ट में जाइये। हर बात के लिये ला कोर्ट में जाय तो जा सकता है, लेकिन अगर हम या सदन कोई गलती करता है उसे हम यहां बैठ कर ही क्यों न समझ लें। सदन के लोगों की यह इच्छा नहीं थी कि अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम में या कहीं भी सरकारी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो। आप देखें कि संविधान की धारा १७१ और फिर देखें शेड्यूल ४। संविधान के ७ वें शेड्यूल में लिखा गया है :—

"Local government, that is to say, the constitution and powers of municipal corporations, improvement trusts, district boards, mining settlement authorities and other local authorities for the purpose of local self-government or village administration."

इसमें सरकारी अफसर कहां से आ गये ? यह कहां से प्रकट हो गये यह मैं जानना चाहता हूं। यह लखनऊ से आ गये या इलाहाबाद से ? यह समझ में नहीं आता। और जब यह बात संविधान में नहीं है और सरकार उसे मानने को भी तैयार नहीं है तो उसे हम यहां आपके द्वारा सदन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टम्बेश्वरीप्रसाद]

के विचारार्थ प्रस्तुत न करें तो क्या करें यह आपको बताना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी ने इसको पिछली बार जो लिस्ट बनवा दी थी जो अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐक्ट में बाद में किया उस समय भी शायद २७ फरवरी को यह तय हुआ था कि सरकारी अफसर रेप्रेजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट के अनुसार वोटर नहीं हो सकते थे, लेकिन इस सरकार ने बना दिया और उसके बाद वह गलती महसूस हुई जो २० मई को ठीक की गयी।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, मैंने जो प्रश्न आपके सामने रखे थे उन पर आप प्रकाश डालें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैंने बता दिया कि यह आपके सामने १९ तारीख से आया हुआ है। यह अड़चन इसलिये हो गयी कि माननीय मंत्री जी इसको करते चले आ रहे हैं और जो वोटिंग हो रही है वह संविधान के प्रतिकूल है। हमारी सरकार बजाय इसके कि उसे रोके, उसे चलते रहने देना चाहती है। इसलिये जो सदन के अधिनियम हैं और जो संविधान है उसका उल्लंघन रोकने के लिये यह विशेषाधिकार का प्रश्न लाया गया है। यदि यह सम्भव न हो तो आप नियम बतला दें मैं किसी दूसरे नियम के अन्तर्गत इसे ले आऊं। यह समस्या है। १९६० में हमने इस करने की कोशिश की। उस समय जो अमेंडमेन्ट हुआ वह भी संविधान में नहीं हुआ है और जब तक वह नहीं किया जाता उस समय तक गांव के प्रधान की जगह डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर वोट कैसे कर सकता है। इस समय भी उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है मेरी समझ में और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की समझ से, और मैं इसलिये चाहूंगा कि अगर आप विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की इस पर इजाजत न दें तो आज शाम को इस विषय पर चर्चा के लिये कुछ समय अवश्य प्रदान करें। टैक्स बढ़ाने के लिये सरकार का तुरन्त आर्डिनेन्स निकल जाता है तो इस के लिये भी सरकार का आर्डिनेन्स निकल सकता है। वहां से जनता के प्रतिनिधि आने चाहिये। मैं मंत्री जी से कुछ कह भी नहीं सकता और इसीलिये यह प्रश्न यहां लाया हूं यह समझ कर कि मंत्री जी जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जो प्रश्न मुझे करने थे वह मैंने उन से कर लिये और उन्होंने उसके उत्तर दे दिये। आप अपनी बात दो मिनट में कहिये।

श्री उग्रसेन—प्रश्न तो वह सदन से संबंधित हो गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह जिला परिषद् विधेयक संयुक्त प्रवर समिति में था उस समय मुझे भी यह गौरव प्राप्त था कि मैं वहां उस पर विचार कर सकूं। उस समय भी इस पर बड़ा गम्भीर विवाद हुआ था कि आया सरकारी आफिसरों को मतदाता बनाया जाय या नहीं बनाया जाय और उस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी एक राय के थे और यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था कि सरकारी आफिसरों को मतदाता न बनाया जाय . . . .

श्री अध्यक्ष—यह तो वे बता चुके हैं आपने नयी बात क्या कही ?

श्री उग्रसेन—तो मैं भी यही कह कर माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—इसमें समर्थन की आवश्यकता नहीं थी। मैंने माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी का ध्यान नियम ६५ की ओर आकर्षित किया था। वे कहते हैं कि संबंधित कागज जल्दी के कारण वे नहीं भेज सके। दूसरे अरजेन्सी की बात भी आपने कही। जैसा कि उन्होंने कहा कि २७ फरवरी, १९६० को इस विषय से संबंधित प्रस्ताव माननीय राजनारायणसिंह जी द्वारा नियम ५२ की सूचना द्वारा इस सदन के समक्ष रखा गया था। जितनी भी बहस आज माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी ने की है उन सारी ही बातों पर उस समय विचार हुआ था। अब केवल अरजेन्सी के संबंध में मैं कुछ कह दूं। आपको मालूम है कि फरवरी, १९६० से अप्रैल, १९६२ तक

यह विधान लागू रहा है और सरकारी कर्मचारियों के नाम परिषद् संबंधित निर्वाचन की सूची में दर्ज चले आ रहे हैं और आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह सदन २७ मार्च से बैठ रहा है, धन्यवाद का प्रस्ताव भी आया उस पर बहस हुई, सामान्य विवाद भी आय-व्ययक पर हुआ और इस दौरान में भी जहां तक मुझे मालूम है इस विषय के संबंध में कोई संकेत किसी ने नहीं किया। २७ मार्च के बाद १९ अप्रैल को मेरे पास यह प्रस्ताव भेजा गया और आज यह प्रिविलेज का मोशन आया। यह सब इस बात का प्रतीक है कि जो २ साल से कार्यवाही चल रही है, जो सूची तैयार शुदा है वह ठीक है और उस पर किसी ने आपत्ति नहीं की। आज कोई नयी बात माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी ने नहीं रखी कि जिससे मैं इस परिणाम पर पहुंच सकूं कि आज कोई ऐसी घटना हुई है जो कि पहले नहीं हुई थी तो अगर कोई ऐसी नई घटना नहीं घटी है, तो मैं समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव आया है हमारे नियम की दृष्टि से उचित नहीं है और यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं हो सकता . . .

श्री उग्रसेन—यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है या प्रिविलेज का ?

श्री अध्यक्ष—प्रिविलेज का है। तो कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता और वही बात विशेषाधिकार में भी कही जा सकती है उसमें भी हाल ही की घटना होना आवश्यक है तो कोई घटना हाल ही में घटित नहीं हुई है। तो यह मोशन प्रिविलेज का भी नहीं हो सकता।

एक बात और मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो सूची तैयार होती है वह एक इलेक्शन आफिसरों के द्वारा तैयार होती है और वह भी इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार १९६० में इलेक्शन कमीशन ने यह निश्चित रूप से अपना मत प्रकट कर दिया है कि सरकारी कर्मचारी भी इस निर्वाचन में भाग ले सकते हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—इस पर मुझे आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये तो मैं बताऊं। यह आदेश जारी हुआ। इस पर आपत्ति की जाती है कि यह आदेश जो जारी हुआ है यह संविधान के प्राविधानों के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में जब प्रश्न प्रस्तुत किया गया सन् १९६० में तो माननीय अध्यक्ष श्री खेर ने अपना निर्णय दिया जो कि मैं समझता हूं सही है कि एलेक्शन कमीशन एक इन्डेपेन्डेन्ट (स्वतंत्र) बाडी होने के नाते उसके आदेशों पर विचार न लोक सभा में किया जा सकता है और न विधान सभा में। अगर किसी माननीय सदस्य या किसी इन्टरेस्टेड पार्टी की दृष्टि में ऐसा आदेश गलत हो तो उनके लिये जो तरीका है वह यह है कि न्यायालय में अपनी आपत्तियों को प्रस्तुत करें और वहां से निर्णय प्राप्त करें। सन् १९६० में जो माननीय स्पीकर महोदय थे उनका यह निर्णय हो चुका है। तो अब इस समय दो वर्ष के बाद फिर यह कहना कि कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध एलेक्शन कमीशन अपना आदेश जारी कर रहा है यह सदन कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध जा रहा है और एलेक्शन कमीशन के आदेशों को नहीं मानना चाहिये या उस पर अपना यह आदेश देना चाहिये कि सरकारी कर्मचारी वोट न दें यह सब बातें उस समय निश्चित हो चुकी हैं। अतः इन सब बातों को देखते हुये मैं इसको प्रिविलेज मोशन नहीं मानता और इसको अस्वीकार करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के निर्वाचन के लिये स्थानीय निकायों की वोटर लिस्ट में सरकारी अधिकारियों के नाम निकाल देने के विषय में नियम १०६ के अन्तर्गत सूचना

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना और चाहता हूं। इसको तो आपने अस्वीकार ही कर दिया है। मैंने जो दूसरा प्रश्न दिया था उसका क्या हुआ जिसके लिये कि आपने कहा था कि सोमवार को उत्तर देंगे या मंगल को उत्तर देंगे जबकि आज बुध हो गया। मैं समझता हूं कि . . . .

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जांय तो मैं बता दूं। अभी जितनी बातें मैंने प्रिविलेज मोशन के सम्बन्ध में कहीं उतनी ही बातें एक दूसरी सूचना के सम्बन्ध में कही जा सकती हैं जोकि माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद ने १९ अप्रैल को दी थी . . . .

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, उसमें नियम ६५-६६ कैसे लागू होगें ?

श्री अध्यक्ष—मैंने यह नहीं कहा कि नियम लागू होंगे। मैंने कहा कि इतनी बातें कही जा सकती हैं।

तो मैं उसको पढ़कर सुनाये देता हूं। उससे ही स्पष्ट हो जायगा कि उसमें कोई अर्जेन्सी नहीं है। उन्हीं की सूचना के आधार पर मैं यह कह रहा हूं। वह कहते हैं :—

"प्रदेश में स्थानीय निकायों द्वारा विधान परिषद् में चुने जाने वाले सदस्यों के चुनाव निकट आ गये हैं तथा अंतरिम जिला परिषद् के सभी सदस्यों को उसमें मत देने का अधिकार है। यह सर्वविदित है कि उसमें काफी संख्या में सरकारी कर्मचारी भी हैं। इस सदन का यह निश्चित मत रहा है कि इस प्रकार प्रत्यक्ष राजनीति में सरकारी कर्मचारियों को भाग न लेने दिया जाय इस हेतु उनको परिषद् का सदस्य बनाते समय सदन ने इस बात को ध्यान में रखा और उनको परिषद् चुनावों में मत देने से वंचित कर दिया। पिछले दिनों में यह इस सदन की चर्चा का विषय बना था और सरकारी कर्मचारियों को राजनीति से अलग रखने की बात सभी ओर से मानी गई थी। प्रान्तीय सरकार ने जानबूझ कर इस मसले को केन्द्र को भी नहीं बढ़ाया न प्रदेश में ही सदन के समय आवश्यक संशोधन परिषद् ऐक्ट में रखे गये।

ऐसी स्थिति में मैं आपके द्वारा आपकी आज्ञा से लोकहित के प्रश्न पर प्रस्ताव द्वारा नियम १०६ के अन्तर्गत चर्चा उठाना चाहता हूं कृपया स्वीकृति दें।" प्रस्ताव है —

'इस सदन का निश्चत मत है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के निर्वाचन के लिये स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र वोटर लिस्ट में से सरकारी अफसरों के नाम निकाल दिये जायं। इस हेतु यह सदन केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करता है कि वह रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट, १९५० में ऐसा संशोधन करे।'

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मेरा यही कहना है कि यह सोमवार को ली जाने वाली थी, लेकिन आज २५ तारीख हो गयी इसलिये अर्जेंसी तो इसमें हो ही गयी और अब २९ तारीख को वोट होना है।

श्री अध्यक्ष—आप पहले भी कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं। आप बैठ जायं।

आप कहते हैं अर्जेंसी है। लेकिन जो लिस्ट है वह आपके प्रस्ताव की स्वीकृति के बावजूद वैसी ही रहेगी। क्योंकि अभी तो उसके बदले जाने के लिये प्रस्ताव नहीं होगा। केन्द्रीय सरकार से कहा जायगा कि वह रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट में संशोधन करे, जब रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट में संशोधन हो जायगा तदनुसार उस लिस्ट में परिवर्तन होगा। इसलिये आपका प्रस्ताव ही इस बात का द्योतक है कि २९ अप्रैल और मई में जो बात होने जा रही है उसके ऊपर किसी भी प्रस्ताव का असर होने वाला नहीं है।

दूसरी बात यह है कि इस समय विशेषरूप से सदन में अनुदानों का प्रश्न चल रहा है। जब अनुदानों का प्रश्न सदन में उपस्थित होता है तो उस स्थिति में यदि मैं समझूं कि कोई प्रश्न ऐसा है कि जिस पर सदन का निर्णय आवश्यक है अन्यथा कोई गंभीर स्थिति पैदा हो जायगी, जो इस सदन में उस प्रश्न के उपस्थित करने से बच सकती है तो मैं अनुदानों के समय को काट के उस विषय या प्रश्न को ले सकूंगा। लेकिन जहां स्थिति स्पष्ट रूप से यह है कि जो परिस्थिति २९ अप्रैल को होगी वह किसी प्रकार से इस प्रस्ताव को आज ही रखने से दूर नहीं हो सकती है। इस वजह से मैं उसको अर्जेंट नहीं समझता हूं। मैं यह आवश्यक समझता हूं कि यह एक लोकहित का प्रश्न अवश्य है और उस तरह से मैंने उसको संकल्प के रूप में स्वीकार करने का

निश्चय किया है। लेकिन यह संकल्प के रूप में एक प्राइवेट संकल्प के प्रकार से जैसा होता है उस तरह से रखा जायगा। अतः जब नियमानुसार समय आयेगा यह सदन के समक्ष रख दिया जायगा।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—श्रीमन, इस विषय में मैं आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं। क्या आप यह समझते हैं कि यह जो सरकारी अफसरों को वोट देने का अधिकार दिया गया है, क्या वे सरकारी दबाव के अन्दर आयेंगे या नहीं आयेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह बहस की बात है। कुछ लोगों का खयाल है कि सरकारी अफसर भी वोटर हों, वे हमेशा वोट देते हैं। कुछ लोगों का खयाल है कि उनके ऊपर दबाव पड़ सकता है और कुछ लोगों का खयाल है वे आजादी से वोट दे सकते हैं। इसमें बहुत सा विवाद उठ सकता है। आप तो खुद समझदार हैं।

कानपुर विकास खंड समिति में कोआपरेटिव सोसाइटी की ओर से प्रतिनिधि भेजने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—माननीय शिवनाथ सिंह जी का एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया था। उनसे मैंने इस संबंध में बातचीत की कि इसको नियम ५२ के अन्तर्गत ले लिया जाय। उससे उनको संतोष हो गया। अतः उसको मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया है। वह इस प्रकार है :—

'जिला कानपुर में विकास खंड समितियों में कोआपरेटिव सोसाइटी की तरफ से प्रतिनिधि भेजने के लिये सरकार आगामी २७ अप्रैल, १९६२ को चुनाव कराने जा रही है। किन्तु विकास खंड समिति की ओर से भेजे गये कोआपरेटिव के सदस्यों की सूची और जिला कोआपरेटिव सोसाइटीज के सदस्यों की सूची में अत्यधिक अन्तर है।

सही सूची कौन है या गलत कौन, वस्तुस्थिति के आधार पर निराकरण मनमाने ढंग पर जिला अधिकारियों द्वारा किया गया है। दूसरे, न तो उपयुक्त कोआपरेटिव सोसाइटीज के सदस्य जो मतदाता होंगे, की सूचियों का प्रकाशन ही किया गया है और न उनके सम्बन्ध में आपत्तियां ही मांगी गयीं। यहां तक कि उपर्युक्त सूचियां देखने जाने वालों को कोरा जवाब मिल जाता है और सूचियां नहीं दिखाई जातीं। इस प्रकार जिला अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त चुनाव को रहस्य बनाकर मनमाने ढंग पर सत्तारूढ़ दल के लोगों को निर्वाचित घोषित करने से उपर्युक्त कुचक्र के कारण सारे जिले में रोष एवं क्षोभ की लहर व्याप्त हो गयी है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है।"

अब यह सूचना बहुत देर में सहकारिता मंत्री के पास भेजी गयी है। मैं चाहूंगा कि वह अधिक से अधिक जितनी सूचनायें प्राप्त कर सकें उसको प्राप्त करके आज सायंकाल किसी समय देने का यत्न करें।

न्याय मंत्री के सभा-सचिव (श्री चन्द्रसिंह)—इसमें कम से कम एक सप्ताह का समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष—आज सायंकाल तक आप यथाशक्ति जितनी सूचना एकत्र कर सकते हों उतनी करके साढ़े ४ बजे शाम तक सदन को सुना दें, बस इतनी सी बात है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय मंत्री जी शाम को जब सूचना दें तो यह भी कृपा करें कि ऐसी स्थिति प्रदेश के प्रायः सभी जिलों में है और चूंकि चुनाव २७ को होंगे तो उसकी सूचना अगर सब के बारे में दे सकें जिससे सब को मिल सके तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—ऐसा नहीं हो सकता।

बलिया जिले के मुंडियारी ग्राम के श्री रामजन्मसिंह की पुलिस द्वारा हत्या के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब बलिया जिले के मुंडियारी ग्राम के श्री रामजन्मसिंह की पुलिस द्वारा हत्या करने तथा उनके सम्बन्धियों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में सर्वश्री मैनेजरसिंह, चन्द्रजीत यादव तथा काशीनाथ मिश्र द्वारा २३ अप्रैल, १९६२ को नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गृह मंत्री अपना वक्तव्य देंगे ।

*गृह उप-मंत्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, २३ तारीख को आपने यह आदेश दिया था कि इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र करके माननीय सदन के सामने पेश की जाय। वह सूचना मैं आपकी आज्ञानुसार दे रहा हूं ।

"एक डकैती (क्राइम नं० ३, डेटेड ११-१-६२) १०/११ जनवरी, १९६२, गांव हरनाथपुर, थाना रघुनाथपुर, बिहार प्रदेश के सिलसिले में श्री रामजन्मसिंह का नाम लिया गया और वहां से श्री रामजन्मसिंह, निवासी ग्राम मुंडियारी, थाना मनियार, जिला बलिया को गिरफ्तार करने के लिये एक पत्र (रिक्वीजीशन) प्राप्त हुआ। इस पत्र के आधार पर मनियार थाने के ४ सिपाही मुंडियारी गांव, जिला बलिया के श्री रामजन्मसिंह को गिरफ्तार करने के लिये १९ अप्रैल, १९६२ को थाने से रवाना हुये। चूंकि यह क्षेत्र नदी के किनारे है तथा क्रिमिनल क्षेत्र है वहां सामान्यतः सिपाही लाठी व फरसा ले कर ही जाते हैं। श्री रामजन्म सिंह या तो अपने घर पर या खलिहान में होंगे, इस कारण दो सिपाही खलिहान की ओर तथा दो सिपाही घर की ओर गये। प्रातः लगभग साढ़े नौ बजे श्री रामजन्मसिंह खलिहान में, जो दो सिपाही गये थे, उनको मिले। सिपाहियों ने उनको गिरफ्तार करना चाहा जिसका श्री रामजन्मसिंह ने विरोध (resist) किया और सिपाहियों पर लाठी का वार किया। अन्य लोग भी वहां आ गये उन्होंने भी सिपाहियों पर लाठी तथा बल्लम से आक्रमण कर के रामजन्मसिंह को गिरफ्तारी से बचाने का प्रयत्न किया। सिपाहियों को भी लाठी व फरसे का प्रयोग करना पड़ा। इस मुठभेड़ में एक सिपाही को ८ जगहें चोटें और दूसरे को ९ जगहें जिनमें एक इन्साइज्ड वून्ड (incised wound) भी हैं, चोटें आईं। श्री रामजन्मसिंह के सिर में चोट आई और वह वहीं गिर गये। सिपाही स्थान छोड़ कर थाने से मदद लेने व रिपोर्ट लिखाने को चले गये। श्री रामजन्मसिंह को उसके रिश्तेदार घर ले गये और वहां से बांसडीह अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में उसकी मृत्यु हो गयी। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि उनकी मृत्यु सर पर चोटें आने के कारण हुई। जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक दोनों घटनास्थल पर गये थे और एक मैजिस्ट्रेट कुछ घटना की जांच भी कर रहे हैं। एक पुलिस गार्ड गश्त के लिये तैनात कर दिया गया है और जांच का परिणाम मिलने तक चारों सिपाहियों को थाने से हटाकर लाइन में बुला लिया गया है।

श्री रामजन्मसिंह के भाई श्री शंकरदयालसिंह ने भी एक लिखित रिपोर्ट ९ बजे रात को कोतवाली थाने में दी जिसमें उन्होंने चारों सिपाहियों के विरुद्ध दफा ३०२ आई० पी० सी० के अपराध की शिकायत की। यह रिपोर्ट भी थाने में लिखी गई। क्योंकि सर्वश्री शंकर दयालसिंह व हरविलाससिंह जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई थाना मंडियार के उपर्युक्त मजहमत के सिलसिले में धारा १४७, १४८, ३०७ आदि आई० पी० सी० के अन्तर्गत अभियुक्त थे, उनको भी गिरफ्तार करना पड़ा। इस सिलसिले में कुल तीन आदमी गिरफ्तार हुये हैं और उन्हें जमानत पर छोड़ा जा चुका है। यह भी ज्ञात हुआ है कि श्री रामजन्मसिंह का सन् १९४२ से १९५० तक मारपीट, चोरी व डकैती के ८ मुकदमों में चालान हुआ था और वह दो मुकदमों में सजा भी पा चुके थे। धारा ११० सी० आर० पी० सी० में उन से कई दफा जमानत मुचलका भी लिया गया था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि रामजन्मसिंह की सहायता करने वाले उस गांव के कितने व्यक्ति थे और उन पर किस-किस दफा के मुकदमें लगाये गये ?

श्री नवलकिशोर—जो रिपोर्ट कि सिपाही ने थाने में लिखाई उस में ५ आदमियों के नाम थे जिसमें से एक रामजन्मसिंह की तो मृत्यु हो ही गई, एक शंकरदयालसिंह थे, एक हरदयालसिंह थे, एक कपिलदेवसिंह थे और एक और हैं जो गिरफ्तार नहीं हुये हैं। इन के अलावा ४–५ और थे जिनके बारे में लिखाया गया था कि उन को हम पहचान सकते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं जानते।

श्री रामसुन्दर—क्या गृह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब मारने वालों में उनके कथनानुसार ८–९ आदमी थे और उनको पकड़ने के लिये केवल २ ही कान्सटेबिल गये थे तो उन दोनों व्यक्तियों के केवल ८ या ९ ही चोटें क्यों लगीं और अधिक क्यों नहीं लगीं ? जब २ सिपाही रामजन्मसिंह को मार सकते हैं तो इन ८–९ ने उन को अधिक घायल क्यों नहीं किया ?

श्री नवलकिशोर—माननीय, इसका मैं क्या उत्तर दूं कि ज्यादा क्यों नहीं पीटा, कम क्यों पीटा। मैंने तो बतला दिया कि उनके ८–९ चोटें आई हैं जिनमें से एक चोट बल्लम की भी है।

श्री मैनेजर (जिला बलिया)—क्या गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ४ सिपाही रामजन्मसिंह को गिरफ्तार करने गये थे क्या वह सादी वर्दी में थे ?

श्री नवलकिशोर—जी नहीं, वह अपनी पुलिस की वर्दी में थे।

श्री मैनेजर—क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको ज्ञात है कि खलिहान में उस वक्त रामजन्मसिंह अकेले दौरा कर रहे थे ?

श्री नवलकिशोर—यह तो मुझे पता नहीं कि वह उस वक्त क्या कर रहे थे, मुझे इतनी सूचना है कि वह खलिहान में थे और उन के साथ कुछ लोग भी थे।

श्री मैनेजर—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रामजन्मसिंह की लाश जब बलिया आ रही थी तो रास्ते से काफी आगे आने पर क्यों पुलिस लौटा कर थाने में ले गई ?

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं बता दूं कि नियम ५२ के अनुसार यदि ध्यान आकृष्ट करने का प्रश्न होता है तो अध्यक्ष केवल स्पष्टीकरण के प्रयोजन से ही प्रश्नों की अनुमति दे सकेंगे। जो वक्तव्य आप के सामने दिया गया है उसी के सम्बन्ध में आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं, नई बात नहीं पूछ सकते।

श्री मैनेजर—मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन यह प्रश्न उपस्थित किया गया था दफा ५२ में उसी दिन यह निवेदन किया गया था।

प्रश्नों का उत्तर मन्त्री जी....

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पूछिये।

श्री मैनेजर—मैं यही कहता हूं कि जिन प्रश्नों को उस दिन नोट कराया गया उनके उत्तर इस वक्तव्य में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न कीजिये।

श्री मैनेजर—रामजन्मसिंह की लाश जब बलिया शहर से जायी जा रही थी तो किन कारणों की वजह से....

श्री अध्यक्ष—आप यह पूछिये कि क्या वह लाश वापस ले जायी गई ?

श्री मैनेजर—क्या वह लाश बलिया और बांसडीह के बीच आकर वापस थाने में गई ?

श्री नवलकिशोर—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मन्त्री जी बतायेंगे कि जब दो आदमी खलिहान में गिरफ्तार करने के लिये गये तो उनके साथ कुछ चौकीदार और कुछ उस गांव के पेशेवर पुलिस के दलाल भी थे तथा उन्होंने भी उस मारपीट में हिस्सा लिया था ?

श्री नवलकिशोर—मैंने बताया कि जो ४ सिपाही थे उनमें से दो सिपाही एक चौकीदार के साथ घर की तरफ गये और २ सिपाही खलिहान की तरफ। अब दलाल कोई संग में था, मैं समझता हूं कि, यह बात गलत है।

श्री झारखंडेराय—जो दो सिपाही खलिहान में गिरफ्तार करने के लिये गये, उन दो सिपाहियों के साथ कोई चौकीदार या गांव के कुछ पेशेवर पुलिस के दलाल थे? यह प्रश्न मैंने पूछा है।

श्री नवलकिशोर—मैंने बताया कि खलिहान में सिर्फ २ सिपाही गये और बाकी दो सिपाही एक चौकीदार उनके मकान की तरफ गये।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—वक्तव्य में मन्त्री जी ने यह सूचना दी है कि उस इलाके को क्रिमिनल माना जाता है, तो ऐसा किस आधार पर उन्होंने कहा है ? क्या बलिया जिले के कागजात में कुछ ऐसे गांव हैं जिनको क्रिमिनल कहा गया है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, एक बात तो साफ है कि रामजन्मसिंह स्वयं एक डकैत थे और इनका फील्ड आफ आपरेशन पास के गांव और घाघरा पार करके जो बिहार का सारन जिला है, वह था। इनके ऊपर ८,१० मुकदमे चल चुके थे तथा बिहार में एक गिरोह है, अम्बिका गिरोह के नाम से, उससे इनका वास्ता था इस बिना पर कहा गया कि यह क्रिमिनल एरिया है।

कुंवर श्रीपाल (जिला जौनपुर)—मन्त्री जी के पास इस बात की सूचना है कि खलिहान में जब मारपीट हुई उस समय राम जन्म सिंह की तरफ से कितने आदमी थे और पुलिस के केवल दो ही आदमी थे या उनके साथ भी कुछ और लोग थे ?

श्री नवलकिशोर—मेरे मित्र ने सुना नहीं। रामजन्म सिंह के यहां कुछ लोग और भी थे और इधर से दो सिपाही थे। इसके बाद जब शोर मचा तो दो सिपाही और एक चौकीदार जो उनके घर की तरफ गये थे वह भी वहां पहुंच गये, लेकिन मारपीट के बाद पहुंचे।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—मन्त्री जी बतायेंगे कि थाने में जो रपट लिखाने गये थे, जिनको गिरफ्तार किया गया, ८ धारायें उन पर लगायी गईं, तो यह क्या उस जगह पर थे जहां पर रामजन्मसिंह को मारा गया ?

श्री नवलकिशोर—मैंने कहा जो सिपाही पिटे थे, जिनको चोटें आईं उन्होंने रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखाया कि यह लोग वहां पर मौजूद थे और जब वह ३०२ की रपट लिखाने गये चूंकि कोतवाली को इत्तला थी कि यह लोग आफेंसेज में वान्टेड हैं लिहाजा उनको गिरफ्तार कर लिया गया।

श्री जगन्नाथ (जिला जौनपुर)—रामजन्मसिंह, कितनी डकैतियों में मुलजिम रह चुके हैं और कितने में उनको सजा हुई है ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि उन के ऊपर ८ मुकदमें चलाये गये थे सन् १९५० तक जिनमें से दो डकैतियों में उनका कन्विक्शन हुआ था। उसके बाद उन को ११० में दो मर्तबा राउन्ड अप किया गया और एक मर्तबा उनका कन्विक्शन हुआ।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—पुलिस की चोटों से उनकी मृत्यु हुई तो उन पुलिस वालों पर कौन सी कार्यवाही की गई, जिनकी मार से वह मरे ?

श्री नवलकिशोर—मैंने अपने बयान में भी कहा कि उनको थाने से हटा कर लाइन हाजिर कर दिया गया है और मैजिस्टीरियल इंक्वायरी कर रहे हैं और जब तक इंक्वायरी मुकम्मल न हो जाय तब तक कोई ऐक्शन लेना मुमकिन नहीं है।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—क्या २१ अप्रैल को माननीय मन्त्री जी को बलिया जिले की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जिला मन्त्रियों द्वारा यह तार भेजा गया था कि रामजन्मसिंह पर जानबूझ कर हमला किया गया है और पुलिस ने हत्या की है और जिला अधिकारी पुलिस के साथ पक्षपात कर रहे हैं और बाहर के अधिकारियों से जांच कराई जाय ? अगर हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री नवलकिशोर—कम से कम मैंने तो उसे नहीं देखा है। यह बात सही है कि उनके भाई ने रपट लिखाई है कि सिपाहियों ने उनके भाई को मार दिया। यह भी सही है कि गौरीशंकर राय, पी० एस० पी० ने डी० एम० और एस० पी० से मुलाकात की और यह कहा कि हरबिलासिंह जिनको गिरफ्तार किया गया है ऐसे आदमी नहीं हैं जो मारपीट में हिस्सा ले सकते थे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि प्राकृतिक न्याय को दृष्टि में रखते हुये उनको केवल लाइन हाजिर ही किया है या उन सिपाहियों को मुअत्तल भी कर दिया है और उन्हें जेल भेज दिया है ?

श्री अध्यक्ष—इंक्वायरी के बाद ही कुछ होगा।

श्री उग्रसेन—सिपाही मुलजिम ३०२ के अन्तर्गत और उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है, तो क्या न्याय मिल सकेगा ? क्या माननीय मन्त्री कोई सख्त कार्यवाही करेंगे और उनको जेल भेजेंगे ?

श्री अध्यक्ष—नहीं।

श्री रामसुन्दर—कांस्टेबिल के किन-किन हथियारों की चोटें हैं ?

श्री नवलकिशोर—एक के ८ चोटें हैं ब्लन्ट वेपन की और दूसरे के ९ चोटें हैं, उनमें ८ ब्लन्ट वेपन की हैं और एक शार्प वेपन की है।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—मैं एक व्यवस्था चाहता हूं और वह यह कि सदन के सामने एक कामरोको प्रस्ताव और एक दफा ५२ का प्रश्न करने का हक है। जिस प्रश्न को आप जरूरी समझ कर दफा ५२ में कर देते हैं तो क्या उससे दफा ५२ का दूसरा हक छिन नहीं जाता ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न बाद में उठेगा। इस वक्त मैंने आइटम ७ बुलाया है। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री।

लखनऊ शहर में पीने के पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---श्रीमन्, नरसिंह नारायण पांडेय जी ने जो प्रश्न उठाया था उस विषय में मुझे निवेदन करना है कि यह दुःख की बात है कि २० तारीख तक यह वेयर बन कर तैयार नहीं हो सका। तीन दिन की देरी उसमें हो गयी। २३ तारीख को बन कर तैयार हो गया और वेयर के तख्ते उठा दिये गये और पानी रुकना शुरू हो गया और आज से वेयर के ऊपर से पानी जा रहा है और वाटर वर्क्स में पर्याप्त मात्रा में जितना हमेशा पानी जाता था वह जा रहा है। कोई कष्ट अब रहा नहीं।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस बांध के बनने के बाद कितना प्रेशर पानी का और बढ़ जायगा ?

श्री अध्यक्ष---देखिये, जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि नार्मल कंडीशन आ गयी है।

श्री नरसिंहनारायण---यही बता दें कि नार्मल कंडीशन क्या आ गयी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---करीब करीब ३५-३६ मिलियन गैलन पानी रोज मिल जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---एक प्रश्न और करने दीजिये।

श्री अध्यक्ष---अगर आपको कोई प्रश्न ऐसा करना है जिससे यह विदित हो कि जो उत्तर दिया है वह या तो अस्पष्ट है या आप कोई सुझाव रखना चाहते हैं तब तो मेरी समझ में आये....

श्री उग्रसेन---प्रश्न तो समझ लीजिये।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, कारण बता दें कि तीन दिन तक बांध बना क्यों नहीं और उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष---अच्छा बैठिये, यह अब खत्म हुआ।

१९६२-६३ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १---वृहत् जोत कर, अनुदान संख्या २---भू-राजस्व (मालगुजारी) तथा अनुदान संख्या ४१---दुर्भिक्ष सहायता (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---अब कल जो अनुदानों के संबंध में विवाद चल रहा था वह प्रारम्भ होता है। जैसा कि कल स्पष्ट हो चुका है, तीन ही अनुदानों पर भाषण होंगे। माननीय कृष्णपालसिंह।

***श्री कृष्णपालसिंह** (जिला रायबरेली)---श्रीमन्, सदन के समक्ष बजट पेश होने के बाद जो भी भाषण हुये हैं उसके बाद अब राजस्व मंत्री ने अपने अनुदान भी पेश किये हैं और अब उसी पर बहस है।

---

†२४ अप्रैल, १९६२ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझे श्रीमन् के द्वारा राजस्व मंत्री से यह निवेदन करना है कि जैसा कि माननीय सदस्य श्री भानुप्रताप सिंह जी ने कल बताया था भूमि कर एक बहुत ही एबारिजिनल, एक बहुत ही पुराना और बहुत ही फ्यूडल तरीका भूमि से आय करने का रहा है। मैं इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहता क्योंकि समय कम होगा और फिर से उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति होगी। इसके साथ यह जरूर कहूंगा कि जमींदारी उन्मूलन जिन कारणों से किया गया और काश्तकारों के जिन हितों को सोच कर किया गया वह अधूरे क्यों रखे गये?

इसके साथ-साथ भूमि कर व्यवस्था भी बदलना आवश्यक थी जो नहीं बदली गई। हमारे मुख्य मंत्री जी ने बजट स्पीच के संबंध में भाषण देते हुये, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसकी प्रति हम लोगों को भी मिल गई है, की बड़ी अहमियत बताई और यह भी कह डाला कि यह आशा है और उनकी यह अपील हुई, बहरहाल वह तो अपील के स्थान पर शब्द 'दावत' का प्रयोग करते हैं, पता नहीं उनका इससे क्या अर्थ है, उन्होंने प्रांत की जनता को दावत दी कि इसको विद्वान लोगों ने बनाया है, बड़ा परिश्रम किया और दिन रात बैठे रहे और बहुत पसीना बहाया, इसलिये इस प्लान के अनुसार चलना हमारा कर्त्तव्य है और जनता से और हम लोगों से अपील की कि हम लोग सहयोग इसमें करें।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह प्लान सरकारी पार्टी द्वारा बनाया गया है जिस पर ३१ मई और जून, १९६१ में नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल ने विचार किया और इसकी ड्राफ्ट आउटलाइन को पार्लियामेंट ने अगस्त, १९६१ में मंजूर किया। इसके बाद आपकी सरकार के प्लान के विरोध में विरोधी पार्टियों ने अपने-अपने प्लान भी जनता के सामने रखे और उन प्लान्स के ऊपर १९६२ के चुनाव लड़े गये। मैं इसमें ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि अन्त में समय बहुत कम रह जाता है। पहली प्लान जो सरकार ने बनाई उसकी सूचना जनता को नहीं पहुंची। ४५ प्रतिशत जनता ने उसका समर्थन किया और १९५७ में सरकारी प्लान का ४२ प्रतिशत जनता ने समर्थन किया और अब ३४ प्रतिशत जनता ने जो वोटर है तथा अन्य लोगों ने जो छूट गये हैं, उन्होंने समर्थन किया तो यह स्पष्ट है कि हमारा जन-समर्थन कितना है। इसके लिये सूर्य को दीपक दिखाना उचित नहीं होगा।

प्लान का जिक्र करने से माननीय राजस्व मंत्री जी को बेचैनी हुई, लेकिन मुझे जिक्र करना पड़ा और यह सब विषय आपके प्लान में दिये हुये हैं। मैं बहुत संक्षिप्त रूप से आपके द्वारा सदन के सामने रखना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष की क्या नीति है और उनका क्या कहना है। उनका कहना यह है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो सरकार द्वारा छपी है उसके पृष्ठ १७ में है कि "किसी आदमी के पास जमीन जायदाद का होना इस बात का प्रमाण है कि वह जमीन जायदाद से होने वाली आय पर जो कर देता है, उसके अलावा भी और कर देने में समर्थ है।" यानी जो गाय दुही जा सकती है, जब उसका दुहना खत्म हो जाय तो फिर ब्लीड आउट भी किया जा सकता है। यह नीति प्लान में दी हुई है। फिर राजस्व के विषय में दिया हुआ है कि सही तरीका यह है कि धीरे-धीरे कर व्यवस्था का सहारा लिया जाय और वित्तानगत परिवर्तन किये जांय कि समाज के पास जो लाभ की रकम बच रहे उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सार्वजनिक सत्ता के हाथ में आये। यह सरकार की कर लगाने की प्रवृत्ति प्लान में दी हुई है। वह मैंने बताई सरकारी पक्ष से जितनी बातें कही जाती हैं या लिखी जाती है उनमें कितनी असलियत होती है, कितना तथ्य होता है, इसके संबंध में मैं इसी पुस्तिका के पृष्ठ ७५ जहां लगान के नियमों का विषय है, दो पंक्तियां उद्धरित करता हूं। 'यह जरूरी है कि लगान घटा कर यथाशीघ्र प्रथम पंचवर्षीय योजना की सिफारिश के अनुसार कर दिये जांय'। इससे स्पष्ट है कि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना आयी तो उस समय भी कुछ लगान न घटाने के विषय में कहा गया था, गो कि उस पर कुछ विचार नहीं किया गया। उपरोक्त वाक्य के बाद 'अर्थात्' शब्द लगा कर उसको स्पष्ट किया गया है कि 'लगान क्या कर दिये जांय'। "अर्थात् वे पैदावार के १/४ या १/५ से अधिक न

[श्री कृष्णपाल सिंह]

रहें।" यह लगान घटाने की बात है अर्थात् जो आय हो उसका १/४ या १/५ लगान रक्खा जाय। अगर दो सौ रुपये किसी खेत की आमदनी है तो उसका लगान १/४ हो गया ५० रुपये और १/५ हो गया ४० रुपये।

इस समय कई सरकारें हो गयी हैं। एक तो हमारी प्रान्तीय सरकार है। दिल्ली में एक छोटी सरकार है और एक बड़ी सरकार है। बड़ी सरकार प्लानिंग कमीशन हो गया है जो कि प्रान्त और केन्द्र दोनों पर हावी रहता है। छोटी सरकार अलग है जो कि लोक सभा में काम करती है। बड़ी सरकार का यह आदेश है।

अब मैं, जो अनुदान मांगे गये हैं, उनके विषय में कुछ कहना चाहूंगा। मेमोरैंडम का अनुदान संख्या २, पृष्ठ ७२—उसमें कहा गया है "गत वास्तविक आंकड़ों की प्रगति के आधार पर "यात्रिक भत्ते" तथा "अन्य भत्ते" और भत्ते तथा मानदेय तथा "आकस्मिक व्यय" के अन्तर्गत व्यवस्था क्रमशः ४७, और ४२ अधिक रखी गयी है।" "अंग्रेजी में पृष्ठ ८१ पर है "in the kind of a change" मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा राजस्व मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आन दि ट्रेंड आफ एक्चुअल्स अनुदानों को बढ़ाना कहां तक उचित है ? जब कि किफायत करने की सब तरफ से अपीलें होती हैं, वह भी कभी-कभी मान जाते हैं कि हम किफायत करेंगे तो यह जो राइजिंग ट्रेंड है इसको कौन रोकने वाला है ? राजस्व मंत्री ही रोकेंगे। चूंकि ट्रेंड ऐसा चल रहा है इसलिये ४२ और ४७ लाख रुपया दिया जाय यह कहां तक उचित होगा ?

एक कार्य विवरण पुस्तिका राजस्व मंत्री ने बांटी है। वह दुर्भाग्य से ११ बजे ही मिली है। इसमें राजस्व मंत्री ने बहुत स्पष्टवादिता के साथ सब चीज स्वीकार कर ली है। उसमें विशेष विशेषण लगा कर कहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उसके लिए तो हम यही कहेंगे कि बड़ा बोल्ड ऐक्शन है और जो उन्होंने किया है उसको उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि चकबन्दी अधिकारी तथा आयतीकरण अधिकारी जो हैं उनकी संख्या २०८ हैं, उसमें से ४८ अधिकारी पदच्युत किये गये या उनकी सेवायें समाप्त की गईं। इसके अलावा ५० ऐसे थे जिनको कि स्थानान्तरित किया गया या उनको निन्दित किया गया। इतने के खिलाफ ऐक्शन लिया गया। तो यह चकबन्दी की योजना सरकार चला रही है।

जैसा कि माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने कल कहा कि सीलिंग विदिन सीलिंग चल रही है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्या माननीय राजस्व मंत्री जी एक स्लाटर हाउस विदिन ए स्लाटर हाउस बना रहे हैं या क्या है यह क्यों कि चकबन्दी अधिकारी जो डिसमिस किये गए या जिन पर ऐक्शन लिया गया उनका प्रतिशत ४९ आता है। सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक आयतीकरण अधिकारियों का प्रतिशत ७३ आता है। कंसालिडेटर्स तथा रेक्टंगु-लेटर्स का प्रतिशत ६० आता है और लेखपालों का प्रतिशत ५० आता है। माना कि बड़ा भ्रष्ट विभाग था और माननीय राजस्व मंत्री ने इसमें बहुत परिश्रम किया है, इसकी बहुत सफाई वह कर रहे हैं और खुद चूंकि उन्होंने इतनी मेहनत करके आंकड़े हमको दिये हैं जिससे कि हम उनको कोट कर रहे हैं, तो हम उसके लिए उनको धन्यवाद भी देते हैं कि वह उसकी सफाई में लगे हैं, लेकिन जिस चकबन्दी से इतनी मुसीबत हो जाय और जिसमें इतना भ्रष्टाचार हो कि उनको खुद उसे तस्लीम करना पड़े, उसको बन्द ही कर दिया जाय या उसमें कुछ ऐसे संशोधन किये जायं जिससे कि काश्तकारों की तकलीफें दूर हों, तो ज्यादा अच्छा है। इस तरफ मुझे आपका ध्यान विशेष रूप से दिलाना था।

*श्री राजनारायण (जिला मिर्जापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, मैं महसूस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर रहा था कि जिस तरह से जनरल प्रान्ट पर हमारी विरोधी पार्टी की तरफ से हमें कुछ खामी मालूम हुई, वैसे ही इस पर मालूम हो रही थी। अगरचे जिस पुस्तिका का हवाला आदरणीय सदस्य ने दिया है उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया गया होता तो जो जनरल डिस्कशन पर बहुत सी बातें ऐसी कही गईं जो कि मुनासिब नहीं थीं, वह अवायड की जा सकती थीं। यह जो जनरल पुस्तिका है उसमें साफ तरीके से कहा गया है कि यह सरकार की बनाई हुई प्लानिंग नहीं है बल्कि इस पर प्लानिंग कमीशन की सलाह ली गई, देश के अन्दर जितने राजनीतिक दल हैं उनकी सलाह, जितने अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह, सबकी सलाह ली गई। इसके बाद पार्लियामेंट में रखा गया। उन्होंने अपनी सलाह दी, विरोधी पार्टियों ने अपनी सलाह दी। हर एक विरोधी राजनीतिक पार्टी की सलाह ली गई, उसके बाद हर एक प्रान्त के मुख्य मंत्रियों की सलाह ली गई। तमाम लोगों और विशेषज्ञों की सलाह लेकर तब यह प्लान बनाया गया और प्लानिंग कमीशन ने उसी के आधार पर हर एक प्रदेश के लिए प्राविजन तैयार किया। उसी के अन्दर हमारा बजट भी तैयार किया गया है। तो ऐसे महान राष्ट्र की प्लानिंग को यह कह देना कि महज एक सरकार की बनाई हुई चीज है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यह हम समझते हैं कि उचित बात नहीं है। वही गलती आज भी मुझे मालूम हो रही है, अगरचे भूमिसुधार के जो प्रयत्न हुए हैं, उसके सम्बन्ध में जमींदारी एबालीशन ऐक्ट को अच्छी तरह से पढ़ लिया गया होता तो जितना इस पर व्याख्यान हो रहा है, उनकी कोई खास आवश्यकता नहीं थी।

हमें तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब भानुप्रतापसिंह जी ने पहले दिन कटौती पेश करते हुए पहली चीज यह कही कि किसान को जमीन का मालिक बनाया जाय। इस विधान सभा को यह गौरव प्राप्त है कि प्रान्त के स्वतंत्र होते ही भूमि सुधार में इतना जबर्दस्त और आमूल परिवर्तन लाया गया और न कि इस प्रान्त के सभी लोगों ने भूमि सुधार को अच्छी तरह से माना है बल्कि दूसरी प्रान्तों को भी उस पर चलने के लिये एक रोशनी मिली, लेकिन आज १०, १२ वर्ष के बाद उस चीज को कहा जा रहा है कि हम किसानों को अपनी जमीन का मालिक बनावें। इससे मुझे यह अहसास जरूर मालूम होता है कि अगरचे जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के अनुसार भूमि सुधार में जो वक्तन फवक्तन परिवर्तन हुये हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लिया गया होता तो उस चीज को कहने की जरूरत नहीं थी जो कि शुरू में बड़े जोर के साथ इस सदन के सामने पेश की गई थी। जिस दिन इस प्रान्त में जमींदारी एबालिशन हुआ उसी दिन किसान अपनी जमीन के मालिक हो गये थे। मान्यवर, हम देखें कि भूमि के सम्बन्ध में सभी अख्तियार ओनरशिप के हर एक किसान को आज हासिल हैं। वह अपने खेत का डेवलपमेंट कर सकता है। वह अपनी जमीन को बेच सकता है। ओनरशिप की कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि उसको अपनी जमीन के अन्दर प्राप्त न हो। तो यह कहना कि किसानों को अब जमीन का मालिक बना दिया जाय यह इतनी निर्मूल बात है कि जिसको हम समझ नहीं पाते हैं।

इसी के साथ साथ यह भी हमसे कहा गया कि २, ३ एकड़ की मालगुजारी माफ कर दी जाय। जब एक राष्ट्रीय प्लान चल रहा है और उसके अन्तर्गत अभी बजट पर विवाद हुआ और इस बार बड़े जोर के साथ विवाद किया गया कि १३ करोड़ का घाटा है और वह घाटा बजट के अन्दर हमारे राष्ट्रीय प्लान के अनुसार है और उस पुस्तिका में भी यह अपील की गई है कि हर एक स्तर पर चाहे आफीशियल हो और चाहे नान आफीशियल हो, चाहे पब्लिकमैन हो, हर एक आदमी से यह अपील की गई है कि उस योजना को हम सफल बनावें तभी हमारे देश की गरीबी दूर होगी और हमारे देश से बेकारी दूर होगी, तो माफी की मांग करना उचित नहीं मालूम होता है। ऐसी हालत में यह कहना कि यह २, ३ एकड़ अलाभकर जोत का लगान माफ कर दिया जाय तो या तो वह इस प्लान को समझ नहीं पा रहे हैं या वाकई में जिस तरफ हमारी

[श्री राजनारायण]

विचारधारा होनी चाहिये उस तरफ अपनी विचारधारा नहीं ले जा रहे हैं, उस तरह से उसको नहीं सोच पा रहे हैं। २, ३ एकड़ जमीन की मालगुजारी माफ करने के सम्बन्ध में अग्रेरियन रिफार्म के एलान का हवाला दिया गया जो कांग्रेस नेताओं ने उस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया था कि उस समय काश्तकारों को सहूलियत दी जायगी तो वह उस जमाने में कहा गया था जबकि हम स्वतंत्र नहीं हुये थे। स्वतंत्र होने के बाद हमारे राष्ट्र के सामने, हमारे प्रदेश के सामने इन्वेस्टीगेशन का सवाल उपस्थित है कि किसी तरह से गरीबी दूर करें और किसी तरह से प्लान के अनुसार स्थिति का सुधार हो सके तो अब २, ३ या ६, १० एकड़ की लगान माफी का सवाल पैदा नहीं होता। अगर हम इस बात को सोचें कि इस उसूल को मान लिया जाय तो आखिरकार बटवारा होते होते जितनी हमारे पास जमीन है वह सब अन्त में अलाभकर जोत रह जायगी।

तीसरी बात सोशल जस्टिस की कही गई कि ४० एकड़ तक जो जमीन की सीमा रखी गई है उसके अन्दर जो १२।। एकड़ का प्रतिबन्ध लगाया गया है वह गलत है। इसको भी लोगों ने गलत तरीके से समझा है कि किस तरह से खेत पर एक सीमा रखी गई थी। दूसरी तरफ लोगों के लिये खरीद पर सीमा रखी गई थी कि जिनके पास ज्यादा जमीन है वह और न खरीद लें और गरीबों के पास खरीदने के लिये कोई रास्ता न रह जाय। तो जो प्रतिबन्ध है वह बिलकुल इसी लिहाज से रखा गया है ताकि जिनके पास जमीन है वह जमीन और अधिक खरीद न सकें और वही लोग खरीद सकें जिनके पास जमीन नहीं है। इस वजह से छोटे-छोटे काश्तकार तक भी जमीन को पा सकेंगे और जो बटवारे की बात यहां पर अक्सर उठाई जाती है कि जमीन का बटवारा हो तो वह स्वयं इस कानून के जरिये से ज्यादा सफलतापूर्वक पूरी की गई है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विवाद हो रहा है। जो हमारे साथी भानुप्रताप जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वास्तव में भू-राजस्व की जो नीति है वह बहुत महत्वपूर्ण है और देश किस दिशा में जायगा यह उस से निश्चित् किया जा सकता है।

जिस समय देश स्वाधीन हुआ था उस समय भू-राजस्व की नीति सामन्त शाही की पोषक थी। किसानों से जो लगान के रूप में लिया जाता था वह मालिकाना के रूप में लिया जाता था और वह इस बात का प्रतीक था कि जमीन का मालिक दूसरा कोई है और काश्तकार उसका आश्रित है। उससे लगान लिया जाता है। जैसा हमारे एक साथी ने कोट किया, सन् १९३६ में कांग्रेस की ओर से लैन्ड रिफार्म कमेटी बैठी और हमारे महान नेता राजर्षि पुरुषोत्तमदास जी टंडन उसके सदर थे और उसने यह तय किया कि भूमि का मालिक किसान को होना चाहिये और उसके आधार पर ही कांग्रेस सरकार ने अपना अगला कदम बढ़ाया। जमींदारी विनाश कानून इस बात के लिये आया था कि जो मिडिल मैन बीच में है वह हट जाय और किसान पर उसका जो बोझ है वह समाप्त हो। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उस समय इस सदन में था और मैंने उसमें अपना सहयोग दिया था। सहयोग मैंने इस आशय से दिया था कि जिस नीति के अनुसार हम जमींदारी विनाश करने जा रहे हैं वह पूरी होगी और उसके लिये हमारे अनेक साथियों ने कुर्बानी भी की थी। किसी ने उस समय जुबान तक न हिलायी थी, लेकिन जमींदारी समाप्त हो जाने के बाद किसान पर सरकार और चढ़ बैठी और उसको जो साढ़े सात करोड़ जमींदारों से मिला करता था जिससे कि उसका शासन कार्य चलता था, उस पर सब्र न करके उसने मध्यवर्ती को मिटाने का बहाना करके साढ़े ११ करोड़ रुपया भी सरकार ने अपनी जेब में रखना शुरू कर दिया। मैं सुना करता था बन्दर-बांट की बात। दो बिल्लियों में झगड़ा हुआ और बंदर महोदय उनका झगड़ा निपटाने के लिये बीच में बांटने बैठ गये। मगर रकम हड़पने लगे। कहा गया कि हम किसानों का बोझ हल्का करने के लिये यह करने जा

रहे हैं, लेकिन उस बोझ को सरकार ने अपने जेब में रख लिया और किसान ज्यों का त्यों रह गया। किसान की जो जमीन का मालिक बनने की बात थी वह सारी की सारी मिथ्या साबित हुई है। आज मैं दावा करके कह सकता हूं कि किसान अपनी जमीन का मालिक नहीं है। मिल्कियत के जो मौलिक सिद्धान्त हैं उनके अनुसार वह मालिक नहीं है। मालिक उसे कहा जाता है कि जो अपनी चीज को बेच सके, जिस तरह से चाहे उसे इस्तेमाल कर सके और उसका मालिक बना रहे, लेकिन आज किसान उस स्थिति में नहीं है।

दूसरा कदम उठाया गया दसगुना लगान वसूल करने का। कहा गया कि जो दसगुना दे देगा वह अपनी जमीन का जमींदार की तरह से मालिक हो जायगा। मैं भी दुर्भाग्य से उस आन्दोलन में शरीक था। मैं भी गांव गांव जाता था, कहता कि दसगुना दो और ऐसा करने से तुम्हारी जड़ शेष नाग के फन पर जम जायगी। हमारी तरह तुम भी जमीन के मालिक हो जाओगे। हमारे कुछ साथी उस समय हंसते थे, कहते थे कि इसमें न पड़ो। लेकिन मैं समझता था कि सरकार का इरादा पक्का है और सरकार किसान को जमीन का मालिक इस प्रकार बनाने जा रही है। उस समय मैं भी सरकार की हां में हां मिलाता रहा, लेकिन आज किसान ज्यों का त्यों है। आज जो लैंड रिफार्म मैनुअल की किताब है, जिसके आधार पर किसानों के इंदराज होते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो गांव में आज गरीब और निःसहाय किसान हैं वह फर्जी इंदराज करा कर, लेखपाल और पटवारी को मिलाने के बाद दबाया जाता है और जो जबरदस्त होते हैं वह असाढ़ और कार्तिक में जब किसान अपना खेत तैयार कर लेता है, उसे खेत बोने नहीं देते, कहते हैं कि कागज हमारे नाम बोलने लगा है। क्या यही है जिसके लिये जमींदारी विनाश किया गया था? क्या इसी के लिये दस गुना लगान जमा किया गया था? क्या यही एग्रेरियन रिफार्म कमेटी ने चाहा था? क्या इसी प्रकार आप किसानों को उनकी जमीन का मालिक बनाना चाहते हैं? काश्तकार आज आपकी नीति से परेशान है, वह व्याकुल है और नतीजा यह है कि जमीन से संबंधित जो लोग काम करने वाले हैं, जो परिश्रमी हैं, जो योग्य हैं वे दूर होते चले जा रहे हैं।

सन् १९५० में एक आन्दोलन चला था "बैक टु दि विलिजेज।" लोगों को देहात की तरफ मुड़ने का संकेत किया गया था कि आप लैंड अमीं बनाइये, खेती आप करिये, आपको सुविधायें दी जायंगी। और उसका नतीजा भी कुछ अच्छा ही हुआ था, लेकिन आप देखें कि वही आपकी नीति उनके लिये घातक सिद्ध हुई। जो लोग देहातों की तरफ मुड़े थे, जिनका आपको सहारा मिल सकता था उन्होंने समझा कि देहात में अधिक दिन रहना अब सम्भव नहीं है। मैं थोड़े से आंकड़े दे कर ही यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं। आपकी जो इकानामिक बुलेटिन निकलती है उसके अनुसार ३ लाख एकड़ जमीन हर साल तोड़ी गयी और इस में से १० फीसदी भी सरकारी साधनों से नहीं तोड़ी गयी। ज्यादातर जमीन निजी साधनों से तोड़ी गयी है, लेकिन १९५५ में, जब बजट पेश करते समय उसे समाजवादी कहा गया था उसकी एक झलक देखने में आयी। लोग उसे देख कर ही घबड़ाने लगे और उनमें अनिश्चितता बढ़ने लगी। लोग समझने लगे कि अब देहात में रहना सम्भव नहीं रह गया है। राज्य सरकार कानून बदल रही है और वह सामन्त शाही के स्थान पर अब राज्य शाही कायम करने जा रही है। लोग वहां से हटने लगे और नतीजा यह हुआ कि १९५५ के बाद से १९,००० एकड़ जमीन प्रति वर्ष टूटने लगी। आज भी ७५ लाख एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई है जिस पर खेती हो सकती है। तो इस ओर ध्यान न दे कर आज कानून इस प्रकार के बनाये जा रहे हैं कि किसी प्रकार किसान को गुलाम बनाया जाय। किसी तरह से उस को अपने आश्रित रखा जाय।

सीलिंग का जो कानून है उसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। मानी हुई बात है कि सीलिंग का कानून सफल नहीं हो सकता। इसके होने से प्रोडक्शन गिरेगा। इसके होने से कर्मठ

[श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह]

व्यक्ति देहात छोड़ देंगे और देहात अंधकार में पड़ जायगा। अभी पुलिस के अत्याचार का थोड़ा जिक्र आपने सुना है, वही पुलिस राज देहात में कायम होने जा रहा है और लोगों को आजादी नहीं रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज देहात में जो सीधे लोग हैं, जो बदमाश नहीं हैं उनकी यह हिम्मत नहीं है कि वे अपने आंगन के अलावा बरामदे में सो सकें। मैं कहता हूं कि वहां आज अव्यवस्था है और शान्ति नहीं है। लोगों की जानोमाल हिफाजत से नहीं है और आप इस चीज को प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि देहात में रहने लायक न रह जाय। आप देखें कि जब देहात का किसान अपने को जमीन का मालिक समझने लगा था उसने ज्यादा गल्ला पैदा किया। १९५१ में ४.७२ मिलियन टन अनाज बाहर से आया। १९५२-५३ और १९५४ में वह बराबर घटता गया। और १९५५ में कुल .७ मिलियन टन गल्ला ही बाहर से आया। लेकिन जब से यह समाजवादी बजट सामने आये हैं बाहर से ५ मिलियन टन गल्ला फिर प्रति वर्ष आने लगा है। मुझे कहना यह है कि आज किसान खुद जमीन का मालिक नहीं है, बल्कि जबरदस्त उसका मालिक है। हमारे राजतंत्र के जो लोग बैठे हैं उनके डर से, जबरदस्त के डर से आज वहां का लेखपाल और पटवारी हिम्मत नहीं कर पाता कि कब्जे के खाने में किसी दूसरे का नाम लिख ले बिना उनकी मरजी के। हमारे सदन में चर्चा तो बहुत हुआ और हमारे एक मंत्री महोदय ने बतलाया भी कि पहले जमींदारों के जमाने में मोटराना, हथियाना, आदि आदि लिया जाता था, लेकिन समय ने मोड़ लिया और लोगों ने देखा कि जमींदारों ने कितना अत्याचार किया और आज कितना अत्याचार हो रहा है। आज उनको मुर्गा बनाने के बजाय हवाई जहाज बनाया जा रहा है और नाना प्रकार के अत्याचार उनके ऊपर हो रहे हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपने देखा कि आज राजा लोग जहां से भी खड़े हुये आपके मुकाबले में जीत कर आये। आज आपके अत्याचार कहीं ज्यादा बढ़े हुये हैं। आपने देखा कि जीत कर राजा लोग ही आते हैं आप कितनी ही कोशिश कीजिये। आपके जुल्म आज जनता को सहन नहीं हो रहे हैं।

हमारे माल मंत्री जी इस समय यहां नहीं बैठे हैं उन्होंने जमींदारी विनाश किया, उन्होंने सीलिंग की, अगर उससे किसानों की भलाई हुई होती तो किसान उनको सर पर रख लेता और अपना खून तक बहा देता, लेकिन आज क्या हुआ? आपने देखा चुनाव में कि एक तरफ राजा और रानी खड़े होते हैं और दूसरी तरफ जोगेन्द्रसिंह और भगवानदीन कांग्रेस की तरफ से खड़े होते हैं जो पिछले कई सालों से पार्लियामेंट के मेम्बर भी हैं, मगर वे उन राजा और रानी के मुकाबले में हार जाते हैं और उनको ४० हजार वोटों से हराया। वहां पर हमारे राजस्व मंत्री रहा करते थे, तब यह हालत हुई। आज समय ने मोड़ लिया है। आज आप भी महाराजा ठेहरी से कहते हैं कि खड़े हो क्योंकि जानते हैं कि दूसरा खड़ा नहीं होगा और जीतेगा नहीं। नवाब रामपुर के दामाद को उनको क्षेत्र से क्यों खड़ा किया गया, इसलिये कि उनके उम्मेदवार को जिताया जाय। आज हम से कम राजा लोग उधर नहीं बैठे हुये हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे यहां गये थे, उन्होंने कहा था कि यहां पर सामान्तशाही है, आतंक है और मैं उसे यहां मिटाने आया हूं। वे प्रधान मंत्री की हैसियत से वहां नहीं गये थे, कांग्रेस के कार्यकर्त्ता की हैसियत से गये थे, मगर फिर भी क्या नतीजा हुआ?

श्री अध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री लक्ष्मीशंकर (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने जो अनुदान पेश किया है उसका समर्थन करता हूं और जितने भी कटौती के प्रस्ताव पेश किये गये हैं उनका विरोध करता हूं। कांग्रेस शासन के जमाने में किसानों की बिगड़ी हुई हालत को सुधारने के लिये तथा भूमि-व्यवस्था के संबंध में कई कानून बने और उससे किसानों की हालत सुधारने की कोशिश की गयी। उसी के बाद एक कानून चकबन्दी भी बना। यह सही बात है कि किसानों के खेत एक जगह इकट्ठे हो जाते, उनको फायदा होता,

गांव में भी एक नियोजन होता, सार्वजनिक स्थान होते, सड़क और कुवें होते, यह सब कानून की मंशा है, मगर यह हुआ नहीं है। न तो किसानों की हालत सुधरी है और न उनके चक ठीक हुए हैं और न कहीं कायदे के रास्ते आदि हैं। बल्कि अगर यह कहा जाय कि गरीबों की गरीबी बढ़ी है, अमीरों की अमीरी बढ़ी है तो अतिशयोक्ति न होगी। हर जगह गांव में पार्टी बनाकर कुछ लोगों को अपने पक्ष में करके अपने तरीकों से कर्मचारियों ने कहीं मालियत को घटाया और कहीं उसको बढ़ाया। कहीं किसी को ऐसी जगह पर चक दे दिया जहां पर कायदे से नहीं होना चाहिये था और जो गरीब थे उनको दूर फेंक दिया, खराब जमीन दी गई, मालियत घटाई गई, रकबा घटाया, यह तमाम चीजें हुईं।

जौनपुर जिले में भी इस समय चकबन्दी हो रही है। शाहगंज तहसील के सम्बन्ध में इस रिपोर्ट में दिखलाया गया है कि चकबन्दी समाप्त हो गई। पता नहीं कैसे दिखला दिया गया। अभी दस-बारह दिन पहले भादी गांव में जो इसी तहसील का है, चक कट रहे थे। आज कल बन्दोबस्त बन रहा है, जगह जगह पर बन्दोबस्त बन रहे हैं, वहां भी मनमानी है। आज, तक गांव समाज की जमीन, सार्वजनिक जमीन जिसका फार्म २५ प्रधान को मिलना चाहिये था, नहीं मिला इसलिये कि पैसा लेकर किसी और को जमीन देना चाहते हैं, उनको दे सकें और जगह ब जगह जैसा चाहें वैसा करें। मैं तो आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि शाहगंज तहसील में भी चक, अगर पैमाइश की जाय, तो सही नहीं निकलेगा। परसाल यही मार्च का आखिर या अप्रैल का शुरू का समय था। मैं भूतपूर्व माननीय वित्त मंत्री के कमरे में बैठा था, वहां पर चकबन्दी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर श्री बाबूराम जी भी मौजूद थे और कुछ बातें शाहगंज तहसील की हो रही थीं। वह कह रहे थे कि बड़ी अच्छी चकबन्दी हुई। मैंने कहा कि आप पांच गांवों को ले लीजिये और वहां अपने चकबन्दी कर्मचारियों को लेकर चलिये और दिखा दीजिये कि उसमें से कितने चक सही हैं। वह जरा जोश में आ गये और कहने लगे कि आप ही वह पांच गांव बतला दीजिये। मैंने कहा कि चबायस तो मैंने दी थी .....

श्री अध्यक्ष—यहां पर इन व्यक्तिगत बातों मे कोई लाभ नहीं है।

श्री लक्ष्मीशंकर—मैं चकबन्दी की बाबत ही अर्ज करना चाहता हूं। आज तक उन्होंने न कोई पत्र लिखा और न वहां चलने की बात ही की। वित्त मन्त्री जी ने भी पूछा, लेकिन मैंने कह दिया कि न वह कभी खत लिखेंगे और न वहां जायेंगे ही। उनको हिम्मत नहीं पड़ी कि शाहगंज के किसी भी पांच गांवों में चल कर साबित कर दें कि चकबन्दी बहुत कायदे से और सही हुई है। मैं आज भी कहता हूं कि कोई भी पांच गांव ले लें और पैमाइश से ही सही साबित कर दें। वहां पर सिर्फ डंडे के बल पर जबर्दस्ती हो रही है। बड़े-बड़े गांवों की चकबन्दी ४-५ दिन के अन्दर की गई जबकि कानून के जानने वाले जानते होंगे कि उसमें कितनी जगहों पर १५ और २१ दिन की मियादें दी हुई हैं। लेकिन नियमों की कोई पाबन्दी नहीं हुई बल्कि जबरदस्ती दिखाने के लिये ज्यादा से ज्यादा रकबा चकबन्दी का कर लिया और ज्यादा से ज्यादा चकबन्दी करने का नतीजा यह होता है कि गांव वाले बर्बाद हो जाते हैं।

आज अस्लियत यह है कि कानूनगो और नायब तहसीलदार चकबन्दी के एस० ओ० सी० बनाये गये हैं। अगर एक कांस्टेबिल को एस० पी० या डी० एस० पी० बना दिया जाय तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि प्रशासन की क्या दशा होगी। उसी तरह से जब कानूनगो और नायब तहसीलदार एस० ओ० सी० बना दिये गये तो गांवों में कैसे इन्साफ हो सकता है। अव्वलन तो पी० सी० एस० आफिसर को ही एस० ओ० सी० बनाना चाहिये और उन्हीं के हाथ यह जिम्मेदारी का काम देना चाहिये। उनके हाथों में ही किसानों की तकदीर का फैसला होना चाहिये। किसी ऐसे हाथ में उनकी तकदीर नहीं देनी चाहिये जिसका करेक्टर और

[श्री लक्ष्मीशंकर]

इन्टेगरिटी इस तरह की हो। मैं आपसे यह और निवेदन करना चाहता हूं कि परसाल हम लोग मौजूदा माल मंत्री के यहां ८–१० आदमी बैठे थे। वहां पर कुछ शाहगंज की चकबन्दी के सिलसिले में बातें हुईं। अन्त में जब चलने लगे तो माल मन्त्री जी ने कहा कि तुम्हारे यहां के एस० ओ० सी० का आचरण अच्छा नहीं है। मैंने कहा कि मैं इस पर बात करने नहीं आया हूं। मैंने नहीं कहा, लेकिन उनको पता था। एक बार मैं उन्हीं के कमरे में बैठा था उन्होंने ज्वाइन्ट डायरेक्टर सियाल साहब को फोन किया कि जौनपुर की पार्टीज हमें प्रेस कर रही हैं कि शाहगंज की हालत बहुत खराब है, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। वे बड़े गुस्से से बातें कर रहे थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने वहां के अधिकारियों से बातचीत की तो न जाने कहां से कौन आदमी आया कि उसने मालमंत्री जी के विचारों को भी बदल दिया। वहां पर बहुत से गांव ऐसे हैं जहां चकबन्दी नहीं होनी चाहिये थी। एक गांव उगुली है जिसका चार-पांच सौ एकड़ रकबा है जो तीन ओर से गोमती नदी से घिरा है और १७ नाले हैं, वहां की चकबन्दी कर दी गई, जब कि वहां के लोग नहीं चाहते थे। एक और गांव पिलकिछा है जिसके एक ओर ही गोमती जाती है, लेकिन वहां कुछ ऐसे बड़े लोग थे जिनका फायदा एस० ओ० सी० चाहते थे, इसलिये दूसरे लोगों के चाहने पर भी वहां चकबन्दी नहीं हुई। इसी प्रकार से शाहपुर एक गांव है जौनपुर में, वहां पर एक अशोक टाकीज है जिसमें एस० ओ० सी० और उनके आदमी सिनेमा देखा करते हैं, शाहपुर में अशोक टाकीज के मालिक का फायदा कराने के लिये चकबंदी की गयी। जौनपुर शहर २८ फीट पर डूबता है और यह २२ फीट पर है, लेकिन फिर भी एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिये वहां चकबन्दी की गयी।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। हालांकि बजट के समय भी मैंने बोलने का प्रयत्न किया था, लेकिन बोलने का मौका न मिल सका इस समय माल मंत्री जी मौजूद हैं, लेकिन उनका जो भाषण होगा तो वे यही कहेंगे कि अपोजीशन बेंचेज से ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया जिसका उत्तर हम दें।

हमारे कुछ साथियों ने यह कहा कि जमींदारी अबोलीशन के बाद किसानों को बड़ा फायदा हुआ, लेकिन मेरे विचार से इस सरकार की कोई देन ऐसी नहीं है जिस पर उस को गर्व हो सके, लेकिन इस सरकार को इन्डिपिडेंस के बाद अबोलीशन आफ जमींदारी का सब से बड़ा गर्व होता है। उस वक्त जब जमींदारी खत्म नहीं हुई थी यहां का किसान जमींदार को रेंट देता था। रेंट के माने होते हैं लगान के और वह लगान होता था १८ करोड़। उस १८ करोड़ में से जमींदार ब्रिटिश सरकार को ८ करोड़ रुपया देता था मालगुजारी के रूप में। उस वक्त कांग्रेस के लोगों में बड़ी चहल-पहल थी कि जब स्वराज्य हो जायगा, जमींदारी खत्म होगी और किसानों का लगान आधा कर दिया जायगा, लेकिन जब आप ने जमींदारी को खत्म किया तो आपकी नीयत खराब हो गयी और आपने उसी रेंट को पक्का कर दिया। उस समय जमींदार उस जमीन का मालिक था, किसान मालिक नहीं था। अगर काश्तकार जमीन का मालिक होता तो सीधा सरकार को रेवेन्यू देता। जमींदारी के खात्मे के बाद इस सरकार ने उसी रेंट को रेवेन्यू कर दिया। जब कि पहले सरकार १८ करोड़ में से ८ करोड़ पाती थी अब वह उनसे २४ करोड़ पाती है। इसके अलावा मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जमींदार के बजाय आज वह उस जमीन की मालिक है या नहीं। यह एक बड़ा मौलिक सवाल है और आज सरकार जमीन की मालिक बन गयी है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि वह रेवेन्यू का एक आधार अवश्य बनाये।

जहां तक शहरों का ताल्लुक है, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि गांव के अन्दर जिन लोगों की आमदनी ५० रुपये तक है वह इस सरकार को कोई टैक्स देते नहीं। उन्होंने एक आदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया है कि तमाम ग्रामीणों को नये नये टैक्सों के लिये तैयार रहना चाहिये तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप रूरल एरियाज और अरबन एरियाज पर टैक्सेज का हिसाब देखें तो इन्कम टैक्स है वह है कि जिसकी आमदनी ३६ सौ रुपये साल से ज्यादा नहीं होगी उन पर इन्कम टैक्स नहीं लगेगा। तो यह कहना कि यह ३ सौ रुपये महीने की आमदनी से कम जिनकी आमदनी जैसे शहरों के लिये है उसी तरह से कोई बेसिक फार्मूला क्या देहात के लिये आप का होगा? आज अगर आप का बेसिस आय-टैक्सेशन वहां प्रोडक्शन पर हो तो मैं माल मंत्री जी से कहूंगा कि यह बेसिस इन्कम टैक्स का होना चाहिये। एस० पी० और पी० एस० पी० दोनों का यह कहना है कि जिन जोतों से फायदा नहीं है उन जोतों पर से मालगुजारी खत्म हो वह इसी आधार पर है। माल मंत्री जी अपने उत्तर में कहेंगे.....

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—हम क्या कहेंगे इसको आप छोड़ दीजिये।

श्री बलवानसिंह—मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पैसा कहां से आवे। जो आप भी यही कहेंगे कि शहरों में जितने दूकानदार हैं या कैपिटलिस्ट्स हैं या दूसरे विभिन्न वर्गों के लोग हैं, जितने पैसा पैदा करने वाले लोग हैं, काश्तकारों के अलावा उनके ऊपर जब तक तीन सौ रुपये से कम महीने में उनकी आमदनी होगी तब तक कोई इन्कम टैक्स उनके ऊपर नहीं है। तो जो सहूलियत आप दूसरे वर्गों को देते हैं वह काश्तकारों को भी दीजिये, लेकिन सरकार आज इस पर सोचने के लिये भी तैयार नहीं है। आज जो अनइकोनामिक होल्डिंग्स हैं ३ एकड़, ४ एकड़, या ५ एकड़ अगर उन पर मालगुजारी माफ करें तो इस सरकार को रेवेन्यू में ११ करोड़ रुपये की सालाना कमी होगी, लेकिन उससे किसान को कितनी राहत मिलेगी। अंग्रेजी राज्य के जमाने में आप लोग यही कहते थे कि जब हमारा राज्य होगा तब हम सहूलियतें देंगे, लेकिन आज आप ने उस सारे रेट को रेवेन्यू बना कर मालगुजारी में डाल लिया है।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों में खास तौर से आन्ध्र और मैसूर में जो रेवेन्यू है वह २ हिस्सों में है। एक तो जिस जमीन पर सिंचाई होती है उसका रेवेन्यू अलग है और जिस पर सिंचाई नहीं होती उसका रेवेन्यू अलग है। तो मेरी यह सरकार से प्रार्थना है कि आप भी जमीन की फर्टिलिटी पर या उपज पर रेवेन्यू बांधें, लेकिन आज तो उसका उलटा सवाल है। जो काश्तकार छोटे छोटे हैं उन पर रेवेन्यू ज्यादा है और जो बड़े बड़े काश्तकार हैं उन पर रेवेन्यू कम है। यह कितनी अनुचित बात है और उस तरफ माल मंत्री जी देखें।

दूसरी चीज जो कहनी है वह यह है कि सरकार ने चकबन्दी और कोआपरेटिव फार्मिंग को साथ साथ लागू किया है। आज ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं हैं। उन्होंने 'जवाहर फार्मिंग एक्स-रेड' में कोआपरेटिव फार्मिंग को कंडेम किया है। मालूम होता है कि दोनों मंत्रियों का दिल तो शायद मिलता हो, लेकिन दिमाग नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि अगर आप कोआपरेटिव फार्मिंग करना चाहते हैं तो फिर आप को चकबन्दी की क्या जरूरत है? चकबन्दी अगर होगी तो कोआपरेटिव फार्मिंग में खेत मिलने का कहां सवाल है?

तीसरी बात यह है कि अगर आप डिसेन्ट्रेलाइजेशन आफ पावर में विश्वास करते हैं तो आप यह ६ करोड़ रुपया जो आप का कलेक्शन पर व्यय होता है यह सब गांव सभाओं को दीजिये। अगर आप ऐसा कर दें तो कलेक्टर से अमीन तक जो आप की सम्बी मशीनरी है उस को तोड़ने के बाद बहुत बड़ी पूंजी गांव सभाओं के कोष के लिये बच सकती है, यह काम आप गांव सभाओं को दीजिये.....

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक पैसा बसूल नहीं होगा।

श्री बलवानसिंह—यह ग़लत है, सब वसूल होगा। आप बात तो विकेन्द्रीकरण की करते हैं, लेकिन वसूली का काम गांव सभाओं को नहीं दे सकते। मेरा तो स्पष्ट सुझाव है कि आप यह काम गांव सभाओं को देकर उन की माली हालत को सुधारिये और जो रुपया विकास के लिये जाता है वह बच जायगा, जिस तरह से कि राजस्थान में हुआ है आप भी हिम्मत कर के एक कदम उठायें।

(इस समय १ बज कर २१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

इसके अलावा आपने जो यहां चोरबाजारी खोल रखी है और चोर दरवाजा पजेशन और ओनरशिप के बारे में खोल रखा है उस को बन्द कीजिये। आज यह हो रहा है कि जमीन किसी की है और दस रुपया लेखपाल को देकर कोई कब्जा लिखा लेता है। काश्तकार को नहीं मालूम कि जमीन किसकी है, उस की क्या रेवेन्यू वह दे रहा है, न कोई उसके पास कागज है और न कोई मुस्तकिल कानून है, लाखों किसानों के मिल्कियत के झगड़े पड़े हैं और कोई मामला तय नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि पजेशन और ओनरशिप के विषय में कोई सीधासादा कानून बनाया जाय।

समय कम है इसलिये आखिर में मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि गन्ने के क्षेत्र में जो करोड़ों रुपया मिल मालिकों के पास बकाया पड़ा है वह उन से जल्द वसूल किया जाय। सिंहानिया और शुगर मिल मालिकों पर करोड़ों रुपया क्यों बाक़ी है? एक किसान के पास अगर २ रुपये भी बाक़ी रह जाते हैं तो सरकार के अधिकारी उस की हड्डी से निकालने की कोशिश करते हैं। आज ५-६ करोड़ रुपया इन लोगों पर इन्कम टैक्स का बाक़ी है? आप इन गरीब किसानों पर मेहरबानी करें और जमीन के गर्व को बचाने वाले किसान को जिन्दा रहने दें। आप के चहेते मिलमालिक और करोड़पति मजा कर रहे हैं और प्लानिंग के नाम पर आप गरीबों को लूट रहे हैं।

माल मंत्री के सभा-सचिव (श्री बृजबिहारी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल से इन तीनों अनुदानों पर जो वादविवाद हो रहा है उसे मैं बड़े ध्यान से सुनता रहा हूं। इन अनुदानों के सम्बन्ध में जो आपत्तियां की गई हैं, वे मुख्यतः इस प्रकार हैं:—

पहली आपत्ति जिसकी ओर बड़े जोर से माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है वह यह है कि किसान अपनी भूमि का मालिक नहीं है। दूसरे यह कहा गया कि उन्हें "सिक्योरिटी आफ टिन्योर" नहीं प्राप्त है। इस कटौती के प्रस्तावक महोदय ने खास तौर से बहुत देर तक इस पर भाषण किया था। मैं आप के द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहना बिलकुल गलत है कि किसान अपनी भूमि का मालिक नहीं है, यह शतप्रतिशत असत्य है। मैं आप के द्वारा सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अभी-अभी यहां राजा साहब का जो भाषण हुआ है, राजा साहब मनकापुर ने कहा कि पहले जमींदारी के जमाने में सामन्तशाही की हुकूमत थी और अब राज्यशाही की हुकूमत हो गई है। उन्होंने कहा कि इस समय किसानों पर बनिस्बत पहले के ज्यादा जुल्म हो रहे हैं। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि क्या हम भूल गये हैं उन दिनों को कि जब प्रदेश में जमींदारी थी? क्या हम भूल गये हैं कि किसानों पर कैसी ज्यादतियां पहले होती थीं? उस समय किसान करा हता रहता था, जमीन का मालिक होना तो दूर रहा वह अपने को मामूली इन्सान भी नहीं समझ ने पाता था, उस को पता ही नहीं था कि उसके खेत का लगान क्या है? मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। वित्त मन्त्री जी ने बताया था कि उन दिनों किसानों पर क्या-क्या जुल्म होते थे। मामूली-सा कारिन्दा किसानों पर जुल्म ढाता था और किसानों के बाल बच्चे रोते थे, निरंतर कराह उनकी झोपड़ी से निकलती थी। यह कहना कि आज किसान अपनी जमीन का मालिक नहीं है? यह कहां तक सही है, इसका निर्णय मैं सदस्यों पर ही छोड़ता हूं। यदि हम सच्चाई से सोचें तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि आज किसान अपनी आराजी का मालिक है. अगवारे, पिछवारे का मालिक है। पहले वह खूंटा नहीं गाड़ सकता था, नांद नहीं लगा सकता था। पर

आज वह हालत नहीं है। फिर भी यह कहना कि किसान की बुरी हालत है कहां तक सही है इसका श्रीमन्, आप स्वयं निर्णय करेंगे।

दूसरी बात कही गई कि स्वामित्व उसको प्राप्त नहीं है। मेरा कहना है कि उसको स्वामित्व प्राप्त है, आज वह भूमि का मालिक है। यह कहा गया कि उसको बेचने का अधिकार नहीं है फिर उस को कैसे मालिक समझा जाय? मैं इसका विरोध करता हूं। अगर उस को बेचने का अधिकार दे दिया जाता तो हर आदमी को रोज आवश्यकता पड़ती है और अगर बेचने की इजाजत होती तो उसके पास कुछ नहीं रहता, इसीलिये बेचने का प्रतिबन्ध लगा दिया गया ताकि जमीन उस के पास रहे, स्थायित्व उनके पास रहे।

यह कहा गया कि जो पहले ७, ८ करोड़ की शक्ल में लैंड रेवेन्यू लिया जाता था आज २२ करोड़ लिया जाता है। उचित यही था कि उतना ही लिया जाता। मतलब यह कि जो सरकार पहले जमींदारों से लैंड रेवेन्यू लेती थी वही आज भी ले। यही नहीं, साथ ही यह भी कहा गया कि २२ करोड़ रुपया जो लिया जाता है उससे किसानों का लाभ क्या हुआ? यह भी कहा गया कि वह सब रुपया सरकार की जेब में चला जाता है और उसका कोई हिसाब नहीं दिया जाता। जब कि होता इसके बिल्कुल उल्टा है। जमींदारों की जेब में जो रुपया जाता था उस को किस प्रकार वे खर्च करते थे इसके कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते ही हैं। लेकिन सरकार को एक-एक पैसे का हिसाब सदन के सामने देना पड़ता है जिस पर सदस्यगण बहस करते हैं। अगर चाहें तो अनुदान को अस्वीकार भी कर सकते हैं। हम जो कुछ खर्च करते हैं उसके लिये सदन के प्रति हम जिम्मेदार हैं।

यह भी कहा गया कि किसानों की दशा सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया गया। मुझे आश्चर्य हुआ। क्या यह सही नहीं है कि गांवों में नहरें चालू की गई? क्या यह सही नहीं है कि गांव में ट्यूबवेल बनाये गये हैं, किसानों को खाद हम देते हैं, सहकारी समितियों द्वारा किसानों की दशा को सुधारने का प्रयास दिन ब दिन हम करते हैं, उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिये नाना प्रकार की कार्यवाही की जाती है, लगान में समय समय पर छूट उन्हें दी जाती है। हमारे सामने राजस्व विभाग की यह पुस्तिका है, माननीय सदस्यों ने अगर इसे गौर से पढ़ा होता तो माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति न होती। सब कुछ इसमें दिया हुआ है। छोटी-छोटी दैवी-आपत्तियां जब जब आती हैं जैसे आग लगना, टिड्डी दल आना, रबी व खरीफ की फसल को नुकसान पहुंचना, तब तक किसानों की सहायता की जाती है। ऐसी सहायता या लगान में छूट क्या पहले भी जमींदारों द्वारा किसानों को दी जाती थी? वे तो यहां तक करते थे यदि लगान २५ रुपये होता था तो वे १०० रुपये किसानों से वसूल करते थे। किसान अगर रसीद मांगता था और ब्योरा मांगता था तो उससे जूते से बात की जाती थी, डंडों से बात की जाती थी।

एक बात भ्रष्टाचार के बारे में कही गयी कि खाना कैफियत में लेखपाल को इन्दराज करने का जो हक है वह उचित नहीं है। यह आपत्ति ठीक है। सरकार इस पर विचार कर रही है और इस सम्बन्ध में एक कमेटी भी सरकार ने बना दी है। मैं साफ तौर से स्वीकार करूंगा कि माल के या फौजदारी के मुकदमे जो देहातों में चल रहे हैं उसकी अधिकतर जिम्मेदारी खाना कैफियत के इन्दराज की है। एक कानून बनाया जाता है जब उसे व्यवहार में परिणत किया जाता है तभी दिक्कतें हमारे सामने आती हैं, उनके प्रति सरकार जागरूक है और शीघ्र ही इस सम्बन्ध में भी निर्णय होने वाला है।

तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और कलेक्शन अमीन के बारे में बहुत सी बातें कही गयीं। अगर इस पुस्तिका को गौर से पढ़ा गया होता तो मालूम हो जाता कि कितने नायब तहसीलदारों, कानूनगो, तहसीलदारों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चलाये गये हैं और कितने

[श्री बृजबिहारी]

लोगों की पदोन्नति रोक दी गई है और कितनों को सजायें दी गयी हैं। सरकार बराबर भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक है और आवश्यक कार्यवाही करती रहती है। यह दूसरी बात है कि कुछ केसेज के बारे में पता न चल पाता हो, इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उनका कर्तव्य होता है कि अगर भ्रष्टाचार कहीं है तो वे हमें बतलायें, जनता को भी बतलायें कि वह भ्रष्टाचारियों की धांधली में न फंसें। परन्तु देखा यह गया है कि यहां तो आलोचना सरकार की की जाती है और सारी खराबी माननीय सदस्यों को हमारी व्यवस्था में दिखाई देती है और जब वे गांव में जाते हैं तो वे किसानों को आगाह नहीं करते हैं। वहां लेक्चर देते हैं तो गांव की खराबी नहीं बतलाते और उनसे नहीं कहेंगे कि भ्रष्टाचारियों से सचेत रहो, उनकी धांधली में न फंसो। हमारा नैतिक कर्त्तव्य होता है कि हम गांव में जायं, हमारी जो समस्यायें हैं उनको ठीक तरह से उनके सामने रखें। हम माननीय सदस्यों को आश्वासन देते हैं उनके सुझावों का स्वागत करेंगे और करप्शन को दूर करने की कोशिश करेंगे। एक सम्मानित सदस्य ने जब कुछ बातों का, जिक्र किया तो राजस्व मंत्री ने फौरन कहा कि लिख कर दें तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे। हम सब बातों में माननीय सदस्यों के सहयोग की आशा करते हैं।

*श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आप के सामने जो बृहत् जोत कर के सम्बन्ध में वाद विवाद चल रहा है उस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मालगुजारी का मतलब है मुनाफे का कुछ हिस्सा और हमारी पार्टी की नीति है कि सवा ६ एकड़ और उस से कम वाली जोत पर लगान नहीं लगना चाहिये। हम चूंकि किसान वर्ग के आदमी हैं, गांवों में रहते हैं इसलिये भलीभांति इस बात को जानते हैं कि सवा ६ एकड़ और उससे कम भूमि पर कोई मुनाफा काश्तकार को नहीं होता। यह भी आप भलीभांति जानते हैं कि हमारे यहां पहले मालगुजारी को लगान या बाकी कहते थे। बाकी का भी यही मतलब है कि अपनी सारी जरूरत की चीजें मुहैया कर के जो बाकी रह जाय उसका कुछ हिस्सा सरकार को देना चाहिये। तो मेरा यह निवेदन है कि यह जो आज देहात में गरीबी है और किसान बहुत ज्यादा तबाही का शिकार बन रहा है वह किसान है जिसके पास सवा ६ एकड़ या उससे कम जोत है। उस पर लगान लगाना न्यायसंगत नहीं है।

इसके साथ साथ जो आज चकबन्दी हो रही है इस बारे में भी मेरी अर्ज है कि यह चकबन्दी भ्रष्टाचार का घर बन गयी है और यहां तक बन गयी है कि दो, तीन दिन हुये माल मन्त्री महोदय की सेवा में मेरे इलाके के दो आदमी आये श्री भोजराज मोहाना कटोली के। वे अपनी स्त्री को लेकर गंगा जी में डूबने जा रहे थे। आज चकबन्दी से गांव गांव में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर चकबन्दी की शिकायत किसी आला अफसर से करने जायंगे तो वहां सिर्फ यही बात होगी कि ए० सी० ओ० बेईमान किस्म का आदमी है। तो फिर उसने सही चक कैसे काटे होंगे। यह तो वे कहते हैं कि ए० सी० ओ० बेईमान किस्म का आदमी है। तो मैं माल मंत्री से यह कहता हूं कि चकबन्दी की बाबत डिस्ट्रिक्ट्स में अवश्य कमेटी मुकर्रर करें और वह इस बात की खोज करें कि कहां कहां बेईमानी होती है।

साथ ही साथ जो जमीन की व्यवस्था है उससे भी बहुत परेशानी पैदा होती है। अभी हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने अंग्रेजी जमाने से तुलना की। तो क्या आप जनतंत्र की तुलना उस जमाने से करेंगे? यह आप के समझने की भूल है। आप देखें कि जो जनतंत्र की परिभाषा है क्या उसी तरह से अपने यहां काम चल रहा है? ऐसी बात नहीं है। आज गरीब-गरीब होता चला जा रहा है। मैं मानता हूं कि हमारे माननीय सदस्य के सामने कोई आपत्ति न आती हो। मैं मानता हूं कि आज आप के लिये और हमारे लिये कोई परेशानी भले ही न हो, लेकिन जितना छोटे वर्ग और गरीब तबके का आदमी है उसके सामने आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पग-पग पर परेशानी है। आज आपके अमीन साहबान शराब पीते हैं। आपने जो अनुदान का रुपया ओलावृष्टि में दिया हुआ है आपके तहसीलदारों ने उसमें बेईमानियां की हैं। ए०डी० एम० मानते हैं कि तहसीलदार ने गलत तरीके से रुपया बांटा है, उनके सुझाव के खिलाफ रुपया बांटा है। और इसका नमूना अतरौली है। अतरौली के तहसीलदार ने जरूर गोलमाल किया है। २२ तारीख को मैं अतरौली के एस० डी० एम० से मिलने गया तो वहां पर एक पटवारी बैठा हुआ था। उससे मैंने पूछा कि तुम कैसे आये हो। तो उसने बताया कि तहसीलदार ने कहा कि मैं तुम्हारा तबादला कर दूंगा और उसके चपरासी ने कहा कि अगर तुम अपना तबादला रुकवाना चाहते हो तो ५०० रुपये मुझे दो। जब मैं तहसीलदार के पास गया तो उन्होंने कहा कि चपरासी ने क्या कहा। उसने कहा कि ५०० रुपये की बात कही। तो तहसीलदार साहब बोले कि ५०० नहीं ढाई सौ दे दो तो तुम्हारा तबादला रोक दूंगा। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह महकमा शहद की पिंडी है। यह गरीब किसान और मजदूरी की गाढ़ी कमाई से शहद इकट्ठा करते हैं और उसको नीचे से लेकर ऊपर तक के यानी छोटे से लेकर बड़े अफसर तक सभी खाने की कोशिश करते हैं। इसलिये इन पर मंत्री जी खास तौर से निगाह रखें। आपके अमीन शराब पीकर लगान वसूली के सिलसिले में गाली गलौज देते हैं और बद-तमीजी से पेश आते हैं। जो लोग गरीब हैं, मासूम हैं, बगैर पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ बुरी तरह से पेश आते हैं और ये अमीन लोग ऊंची जाति के होते हैं।

मेरी अपील है कि आपके पटवारी बहुत सी गलत बातें कर रहे हैं। जिस समय जमींदारी खत्म हुई थी उस समय कितनी जमीन बंजर और ऊसर थी और आज कितनी है इस बात की जांच कराई जाय। आज यह डकैती किस ने डाली है? मैं कहता हूं कि यह डकैती पटवारी के जरिये पड़ी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि हमारे बोर्डर पर एक नवाब धर्मपुर हैं जिनका नाम जलील खां है, उनका डाका है, उसमें खुद काश्त होती है और नवाब साहब उसको बेखौफ होकर बेचते हैं। उसमें महुये के बाग का इंदराज है। बुलन्दशहर में एक कमेटी मुकर्रर हुई थी। उसमें मैं भी था और ए० डी० एम० थे। उनको दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि कैसे इंदराज हुआ। पता लगाने पर मालूम हुआ कि कोई कलक्टर साहब उनके रिश्तेदार थे उनके हुक्म से बाग दर्ज हुआ। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि सारी खराबी की जड़ पटवारी है और जो कोई आवाज उठाता है उसको परेशान किया जाता है। जैसे प्रधान ने आवाज उठाई तो उस को डकैती में भेज दिया गया। आज इस जनतंत्र में यह हालत है कि जो अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाये वह डकैती में जाय।

इसके साथ ही साथ आपकी तकावी का तरीका गलत है। वही सिस्टम अपनाया जाता है जो अंग्रेजों के जमाने में था। आज जिसके पास जमीन ज्यादा और हैसियत बड़ी है उसको उसी हैसियत से रुपया मिलता है।

श्री अधिठाता—आपका समय समाप्त।

श्री बाबूसिंह—दो मिनट और दे दीजिये। दूसरे सदस्यों को भी दिया है।

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं, वह तो नेताओं को दिया है।

श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे विरोधी दल के एक साथी ने इस प्रकार कहा कि उनकी पार्टी की नीति है कि कुछ एकड़ से नीचे के लोगों पर लगान माफ कर दिया जाय, यह तो पार्टी की नीति है, किसी पार्टी की नीति तीन एकड़ पर हो सकती है, किसी की १० एकड़ पर हो सकती है और किसी की यह हो सकती है कि लगान बिलकुल माफ कर दिया जाय। हमारे मित्र यह दलील देते हैं कि थोड़े से काश्तकार हैं और थोड़े से रकबे की मांग करते हैं कि लगान माफ कर दिया जाय। लेकिन यह नहीं

[श्री काशीप्रसाद द्विवेदी]

सोचते कि इस तरह से लगान माफ करने से किसान को लाभ नहीं हो सकता है और इसका बोझ सरकार के ऊपर अधिक पड़ सकता है क्योंकि जब सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा तो टैक्स लगाने पड़ेंगे और हमारे साथी कहते हैं कि टैक्स न लगाये जांय तो यह सम्भव नहीं हो सकता है ।

हमारे साथियों ने यह भी कहा कि अमीन लोग और तहसीलदार गड़बड़ करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं कहीं इस तरह की गड़बड़ी करते हों, लेकिन आम तौर से सभी नहीं करते हैं । जो लोग ऐसा करते हैं उनको सरकार से सजायाब कराने के लिये अलग से तरीके हैं ।

इसके अतिरिक्त मैं अपने क्षेत्र की समस्या के ऊपर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और जो मेरे क्षेत्र की समस्या है वह एक विशेष प्रकार की समस्या है । मैं गरौठा समथर क्षेत्र की चर्चा करना चाहता हूं । वहां करीब सौ गांवों की एक स्टेट थी । वहां पर जिस प्रकार से दूसरे राज्यों में आन्दोलन हुआ वहां भी बड़ा जबरदस्त आन्दोलन हुआ । किसानों ने तीव्र विरोध किया और उसके फलस्वरूप राजा ने उनके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की । एक बड़ा जुल्म वहां के किसानों के साथ यह हुआ कि वहां जो दीवान थे उनको बिठा कर, वहां के किसानों के ऊपर एक नये प्रकार का बन्दोबस्त लाद दिया गया । उसमें करीब १२, १४ रुपये एकड़ वहां का सर्किल रेट है जब कि दूसरे स्थानों पर जहां अच्छी जमीन है वहां का सर्किल रेट ८–९ रुपये है । वहां के किसानों का कहना है कि राजा ने जो कुछ किया वह किया, लेकिन जब हमारी लोकप्रिय सरकार आयी है उसको हमारी मांग को सुनना चाहिये । मैं यह आशा करता हूं कि इसमें सुधार किया जायगा । कांग्रेस दल के जो दूसरे साथियों ने मंत्री जी का समर्थन किया है मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन समथर की जो विशेष मांग है उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मैं माननीय मंत्री जी को अवश्य बधाई दूंगा क्योंकि उन्होंने अपने विभाग की कमियों को बड़े खुले दिल से तसलीम किया है और यह स्वीकार किया है कि मेरे अहलकार बिलकुल निर्दोष नहीं हैं ।

अभी लेखपाल का जिक्र करते हुये बहुत सी बातें कही गयीं । वास्तव में लेखपाल कुछ बना भी है और कुछ हम लोग बना भी देते हैं । आज बड़े-बड़े अफसरों के टूर प्रोग्राम निकलते हैं और लेखपाल के पास सूचना पहुंच जाती है कि अमुक स्थान पर प्रोग्राम निश्चित हो गया है, सब इन्तजाम ठीक रहे । कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार जब मौके पर पहुंचते हैं तो बेचारे लेखपाल को जिसको कुछ रुपये मिलते हैं, सारे दौरे का भार उसी पर पड़ता है । एक तो सुभान अल्लाह, ऊपर से पी ली भंग । एक तो खुद है, दूसरे यह टूर प्रोग्राम जो हैं वह उसको अनुचित तरीके अख्तियार करने के लिये विवश करते हैं । हमारे यहां एक नरौरा स्थान है । वह एक बड़ा तीर्थ स्थान होता जा रहा है । वहां पर कलेक्टर की फैमिली, तहसीलदार की फैमिली सब जाती हैं । इसका भार वहां के लेखपाल और कुछ इर्दगिर्द के लेखपालों पर पड़ता है ।

इसके अतिरिक्त जो भूतपूर्व जमींदार हैं, जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि धर्मपुर की रियासत है, उनके कलेक्टर, एस० पी०, बड़े–बड़े हाकिम, मित्र हैं । उनके जरिये बेचारा लेखपाल दबाया जाता है । उसको मजबूर किया जाता है जहां जंगल है, झाड़ियां हैं, वहां पर गेहूं कि फसल लिखने के लिये । सीने पर गोली रख दी जाती है । एक तो यों ही हैं दूसरे ऊपर से दबाव पड़ता है । तो ऐसा हो जाता है कि जैसे एक बार डकैती की, दो बार डकैती की, फिर वह हर्राफ हो जाता है, ऐसे ही हम लेखपाल को बनाते हैं । हम सब जानते हैं कि पुलिस की एफ० आई० आर० और लेखपाल का कागज अमर है । इसलिये यह देखकर कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

लेखपाल गड़बड़ियां करता है उसके लिये एक कमेटी बनाई थी, उसके लिये भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि गैरसरकारी संकल्प आया था और खुले दिल से उन्होंने उसे मान लिया। इतना तो मैं मानता हूं कि लेखपाल गड़बड़ी करता है और उससे गड़बड़ी करवायी जाती हैं।

अब मैं कुछ और बात कहना चाहता हूं। जैसा कि हमारी पार्टी का प्रोग्राम है कि लगान आधा हो, उसकी मांग हम करते चले आ रहे हैं। उसके ऊपर मैं तर्क नहीं रखूंगा क्योंकि हमारी बात आप सुनते चले आ रहें हैं और हम अपनी बात कहते चले आ रहें हैं। दूसरे प्रदेशों में क्या रेट है और हमारे प्रदेश में क्या रेट है, यह सब बहुत बार कहा जा चुका है। लेकिन एक बात तो आप जरूर मान लें। सन् १९४९ तक आपने तो भूमि सुधार किये उसमें आपने सिक्योरिटी आफ लैंड टेन्योर तो कर दिया, पहले जो कई प्रकार के हेरिडिटरी टेनेन्ट्स और आक्यूपेंट टेनेन्ट्स वगैरह थे उन सबको आपने सन् १९४९ में आकर सीरदार बना दिया। उन सबको आपने लगान मुक्त लिखा। तो कम से कम उनके सबके रेट तो एक कर दें जैसा कि आपको करना भी चाहिये क्योंकि भूमिसुधार में दो चीजें आती हैं—सिक्योरिटी आफ टेन्योर और रिडक्शन आफ रेंट। सिक्योरिटी तो मैं मानता हूं कि आपने सन् १९३९ से लेकर अब तक कर दिया है और करने की कोशिश है, वह कर ही देंगे, लेकिन रिडक्शन आफ रेंट नहीं किया। माननीय मंत्री जी जब यह मानने के लिये तैयार हैं कि इस प्रदेश में हर साल बाढ़ आती है, टिड्डियां आती हैं, सूखा पड़ता है, ओला पड़ता है और आग भी लगती है, यह सारी आपदायें उस पर आती हैं, यह इस पुस्तिका में उन्होंने माना है, तो जब उसकी हालत इतनी खराब है, तब भी जैसा कि हमने कहा था कि ७ करोड़ से २२ करोड़ राजस्व हो गया तो उसमें से उसको कुछ छूट क्यों नहीं दे देते? यह बात ठीक है, कुछ लोग तो कहते हैं कि यह रेंट है, कुछ लोग यह कहते हैं कि यह लैंड रेवेन्यू है, इसका भी बड़ा झगड़ा चल रहा है। लेकिन जब जमींदारी थी तो गवर्नमेंट का सीधा संबंध जमींदार से था और गवर्नमेंट उनसे लैंड रेवेन्यू लेती थी। वह किसानों से रेन्ट लेते थे, उनका सम्बन्ध किसानों से था। अब गवर्नमेंट का सीधा संबंध काश्तकार से हो गया तो वह लैंड रेवेन्यू अपने आप रेन्ट हो गया, यह तो मैं समझता हूं कि निर्विवाद बात है, तो पहले ७ करोड़ आप लेते थे, अब २२ करोड़ ले रहें हैं तो उसमें से कुछ उनको आप छोड़ सकते हैं। सन् १९३७ से १९३९ तक के समय में आपने इसके लिये वायदे भी किये थे, वह चाहे आपके चुनाव के वायदे ही क्यों न रहें हों, लेकिन जब आपने उसमें से कुछ को कार्यान्वित किया और सिक्योरिटी आफ टेन्योर उनको दिया तो रेंट में रिडक्शन करने में भी आपको आनाकानी नहीं करनी चाहिये जो जमींदार थे उनको तो आपने भूमिधर बना दिया और जो काश्तकार थे उनसे दस गुना लिया गया। क्यों लिया गया? जो सीरदार बनाये गये उनको अगर अपनी जमीन बेचने का राइट दे दिया जाता तो उसमें कोई बड़ी आपत्ति की बात नहीं थी। मान्यवर, इसके अलावा दो मिनट और चाहूंगा।

मैं, आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी को यह बता रहा था कि क्लासिफिकेशन तो आपने कम कर दिया, भूमिधर और सीरदार और अधिवासी तो पहले ही खत्म हो गये, आसामी रह गये, इनको भी खत्म कर देते और सबको भूमिधर बना देते, या भूमिधर को भी खत्म करके सबको सीरदार ही बना देते तो और सुविधा उसमें हो जाती।

माननीय मंत्री जी ने इस पुस्तिका में स्वयं माना है कि इतने कानूनगो ऐसे हैं, इतने नायब तहसीलदार ऐसे हैं, जिनको कि सजा दी गई, लेकिन वह क्यों ऐसा कार्य करते हैं उसपर विचार नहीं किया गया। कानूनगो और नायब तहसीलदारों को कुछ विशेष अधिकार दे दिये गये हैं जिसके कारण उन्हें ऐसा करने का मौका मिलता है। मैं इससे लेखपाल को भी शामिल किये लेता हूं क्यों कि वह इनका एजेंट बन जाता है। कोई आदमी मान लीजिये मर गया। अब कानूनगो साहब ने जिसका नाम चाहा लिख दिया। उनके खिलाफ कोई रिवीजन नहीं, कोई अपील नहीं। कम से कम उनकी अपील कहीं कर दें तो उसकी मनमानी रुक जाय। अपील में कुछ गुंजायश हो जायगी और इस तरह जो कानूनगो रुपये लेता है और जो जी में आये कर देता है, वह चीज रुक

[श्री हिम्मतसिंह]

जायगी। ऐसे ही नायब तहसीलदारों की भी बात है। उनके अधिकारों को कर्टेल करके अपील की पावर दे दी जाय तो कुछ गुंजायश हो जायगी और यह सम्भावना कम हो जायगी कि ज्यादा गड़बड़ी वहां हो सके। वैसे तो इस प्रदेश का काश्तकार बड़ा गरीब है क्योंकि थर्ड फाइव ईयर प्लान में भी इस बात को माना गया है कि इस देश के किसान में इतनी ताकत नहीं रह गई है कि वह जाकर न्याय मांग सके। दफा २२३ पर यह लिखा है—

"The position of the tenants in the village is weak. It becomes impossible for them to seek protection in law."……

जैसा कि इस प्लान में दिया गया है कि काश्तकार इतने गरीब हो गये हैं कि वह अदालत में जाकर कार्यवाही नहीं कर सकते। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उनको आप सुविधा भी देना चाहते हैं तो ऐसा प्रबन्ध करें कि वे आसानी से अपना न्याय पा सकें। आपके न्याय की कीमत इतनी अधिक हो गई है कि वे न्याय पाने के बजाय अपने घर पर ही बैठ जाते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सीलिंग के बाद जो जमीन न मिले वह उन आदमियों को दें जिनकी जमीन गवर्नमेंट ने भिन्न-भिन्न उपयोगों के लिये ले ली है और वह उन लैंड लैस लेबरर को दी जाय जिनके पास जमीन नहीं है। जो खेतिहर मजदर हैं और उन लोगों को दी जाय जिनके पास अनइकोनामिक होल्डिंग्स हैं।

कहा गया कि गांव सभाओं को वसूली का अधिकतर दिया जाय। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं कि उसको यह काम दिया जाय। जब गांव सभा अपनी प्रापर्टी का प्रबन्ध नहीं कर पाती है तो वह इसका प्रबन्ध कैसे कर सकती है। करोड़ों बीघा जमीन प्रदेश में जब गांव समाज दूसरों से जुतवाता है तो वह लगान वसूल करने का इन्तजाम नहीं कर सकते हैं। जैसा कि अभी जिक्र किया गया कि सैकड़ों बीघा जमीन गांव के प्रधान अपनी आंखों के सामने दूसरों से जुतवाते हैं। उसमें से कुछ वह खुद लेता है व कुछ लेखपाल को देता है और कुछ कानूनगो को देता है। तो ऐसे राजस्व को वसूल करने का इन्तजाम प्रधान के हाथ में न दिया जाय। ऐसी दशा में गांव की सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिये सरकार को स्वयं सोचना चाहिये या कोई कमेटी बैठाना चाहिये। जो गांव समाज की सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाये। गांव सभा के प्रधान उसका कोई इन्तजाम नहीं कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे कुछ ज्यादा सिद्धान्त की बात नहीं करना है। सिर्फ गाजियाबाद के सम्बन्ध में २, ३ बातें मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। गाजियाबाद एक काफी बढ़ता हुआ शहर है और उसमें एस० डी० एम० और मुन्सिफ का कोर्ट है। वहां पर तहसीलदार भी रहता है। एस० डी० एम० के कोर्ट के लिये म्युनिसिपल बोर्ड ने सरकार को ७ बीघा जमीन और एक लाख रुपया २८ मई, १९५३ को दिया था। २ लाख रुपया तहसील की बिल्डिंग के लिये दिया और १ लाख रुपया एस० डी० एम० के कोर्ट के लिये दिया, लेकिन आज तक १० साल हो गये वह एस० डी० एम० का कोर्ट नहीं बना। वह म्युनिसिपल बोर्ड वाले अब गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि या तो एस० डी० एम० का कोर्ट वहां पर बनाया जाय या अगर नहीं बनाया जाय तो कम से कम जो रुपया सरकार के पास है उसको उसे वापस कर दिया जाय या उसका सूद जो तकरीबन ४ हजार रुपया सालाना बनता है वह उसको मिलना चाहिये। इस अरसे में करीब ३६ हजार रुपया उनका बनता है वह कम से कम बोर्ड को दिया जाय। जो इस वक्त एस० डी० एम० की बिल्डिंग है वह एक किराये के मकान में है और साधारण जैसी रिहायशी कोठी होती है, वैसे ही वह भी है। वहां पर कोई अफसर आदि के बैठने के लिये जगह नहीं है। मुवक्किल के लिये भी कोई जगह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है । क्लर्क और जो दूसरे लोग हैं, वह बरामदे में बैठे रहते हैं और उनका सामान भी वहीं पड़ा रहता है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह रुपया जब उनके पास पड़ा हुआ है तो फिर समझ में नहीं आता कि वह क्यों नहीं बनाई जा रही है । उधर प्लानिंग आ रही है, रुपये की जरूरत है और हम टैक्स लगा रहे हैं और इधर जो अमानत में पया पड़ा हुआ है, जमीन पड़ी हुई है उसको इस्तेमाल न करना मैं समझता हूं कोई शोभावाली बात नहीं है ।

दूसरी चीज जो मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि जो गांव समाज की सम्पत्ति है, जो जमींदारी के खात्मे के बाद समाजों को मिली, उसकी रक्षा होनी चाहिये । गाजियाबाद में तो तकरीबन सब आबाद हो गई है । बाकी जगह के लिये मैं नहीं कह सकता परन्तु यह जानता हूं कि उस सिलसिले में पटवारी और प्रधान आपस में कोआपरेट नहीं करते । जहां दोनों को मिल कर खाना होता है वहां पर कोआपरेट कर लेते हैं । जो रेकार्ड्स पटवारी के पास होते हैं उनकी जिम्मेदारी किसी हद तक प्रधान की भी होती है और अगर किसी प्रापर्टी को बेचा जाता है तो उस पर मुकदमा चलता है । नाजायज जमीन लेने से जिसको फायदा होता है वह उसके लिये नाजायज खर्च भी करता है और उसका वह फायदा उठाता है । गांव समाज के पास तो जायज खर्च करने के लिये भी पैसा नहीं होता, वह नाजायज खर्च कहां से करे । तो आफिसरों को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि जब भी प्रधान मुकदमें दर्ज करावे तो उन पर फैसला ठीक और जल्दी हो ।

गाजियाबाद और दिल्ली के बीच १२ मील का इलाका है जो बन्जर है । दिल्ली से कुछ लोगों ने वहां पर आकर बसना शुरू किया, इस प्रकार पहले जहां कोई उस जमीन को पूछता नहीं था, आज उसकी कीमत ५/६ पये गज हो गयी है । जब वहां पर सेठ लोगों ने आना शुरू किया तो जो गांव समाज की जमीन थी और जो गांव के रास्ते में पड़ती थी उसको नाजायज तरीके से बेच दिया गया और वहां पर कारखाने लग गये । उसके लिये एक प्रार्थना-पत्र भी मैंने २५ अप्रैल, १९६१ को माननीय मंत्री जी को दिया था । आज एक साल हो गया मगर मुझको पता नहीं कि उस पर क्या कार्यवाही की गयी । उसके संबंध में कोर्ट का फैसला तक मौजूद है कि उस जमीन को नाजायज तरीके से बेचा गया । अब अगर कोर्ट के फैसले की यह हालत है कि एक एक साल तक कोई पूछता नहीं, तो पता नहीं कि जो दूसरे लोग प्रार्थना-पत्र देते होंगें उनका क्या हाल होता होगा ।

एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि किसानों की जमीन एक्वायर करने के लिये जो रेवेन्यू मैनुअल में धारायें हैं कम्पेनसेशन के लिये, वह बड़ी गड़बड़ हैं । मैं दो दिन से उनको पढ़ रहा हूं लेकिन उसमें इतना गोरख धन्धा है कि मेरी समझ में नहीं आया कि किस तरह से कम्पेनसेशन दिया जाता है । आज से १० साल पहले गाजियाबाद की कोर्ट ने एक जमीन का यह फैसला दिया कि उसका मुआवजा ३ रुपये गज दिया जाय । यहां धारा में लिखा हुआ है कि हर तीन साल के बाद कमिश्नर तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर यह तय करेगा कि फलां इलाके की जमीन किस हिसाब की है । उसमें मल्टीपुल प्राफिट शब्द लिखा है, उसके अनुसार उसका मुआवजा तय होना चाहिये हर तीन साल के बाद । फैसला उस जमीन का ३ रुपये गज का किया गया, लेकिन उस मल्टीपुल प्राफिट के अनुसार १० साल के बाद का जो मुआवजा तय हो रहा है वह ४ आने और ५ आने गज का हो रहा है । अब यह समझ में नहीं आता कि वह तय कैसे करते है । जैसा कि देहात में कहते है, यह कानून एक मोम की नाक है जिसे जिधर चाहते हैं उधर मोड़ देते हैं । जब आफिसर ज्यादा मुआवजा देना चाहते हैं तो उसको ३ रुपये गज कर देते हैं और जब वे नहीं चाहते तो वे उसे ४ आना और ५ आना ही कर देते है ।

श्री अध्यिष्ठाता—आपका समय समाप्त हुआ ।

*श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)——माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान भानुप्रताप सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव की ओर आकर्षित करते हुये उसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुस्तक कल बंटी थी उसमें बाढ़ की भी चर्चा की गई है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इन नदियों का इस्तमाल करने और फायदा उठाने की बात होती है तब तो सरकार कहती है कि नदियां हमारी हैं, मल्लाहों को लंगर तक नहीं गिराने दिया जाता जबकि पानी कम होता है, लेकिन जब पानी ऊपर आ जाता है तब सरकार से कोई मतलब नहीं रह जाता चाहे कोई डूबे या मरे। क्या तमाशा है? मंत्री जी हंस रहे हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान उस खास इलाके की ओर दिलाना चाहता हूं जहां वह गये हैं, वह और माननीय मुख्य मंत्री ने हवाई जहाज और मोटर लांच से टूर किया था। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों को गोरखपुर और देवरिया जिले में उन्होंने अपनी आंखों से कटते हुये देखा, क्या उनको फिर से बसाया गया? मैं जानना चाहूंगा कि जो लोग बेघरबार और बेरोजगार हो चुके हैं उनमें से कितने लोगों को रोजगार दिया गया? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि देवरिया और गोरखपुर जिले में, जिनका खास तौर पर जिक्र किया गया था पिछली बाढ़ के मौके पर, उनके सैकड़ों गांव आज ऐसी अवस्था में पड़े हुये हैं कि अगर फिर से उन्हें नहीं बसाया गया तो आगे आने वाली बाढ़ में, जिसकी सूचना लोगों को मिल चुकी है, उनको पता नहीं क्या दशा हो।

देवरिया और गोरखपुर में बाढ़ आयेगी, उसका भी कारण है। आप यह सोच सकते हैं कि अगली बाढ़ की सूचना आज ही कैसे मिल गई। यह निर्विवाद है कि जब बड़ी गंडक का पानी रोहिन में आयेगा, राप्ती में आयेगा तो निश्चित है कि राप्ती और घाघरा के बीच के रहने वाले लोग, बांसगांव तहसील के लोग, देवरिया जिले के रुद्रपुर इलाके के लोग बरबाद होंगे, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने हवाई जहाज से गोरखपुर और देवरिया जिले के जिन गांवों का दौरा किया था मैं जानना चाहता हूं कि वहां क्या कार्यवाही की गई? मुझे यह जानने का हक है कि बाढ़ से बचाने के क्या उपाय वहां किये गये? बांध बनाने की बात कही जाती है, जो बांध आज से पहले बनाये जाते थे टेस्ट वर्क के जरिये, जिसमें लोगों को मजदूरी दी जाती थी वह भी इस बार छीन लिया गया। आज भी जहां पर सात रुपये में, बल्कि ६ रुपये में ही, क्योंकि एक रुपया तो ड्रेसिंग का निकल जाता है, हजार फुट मिट्टी काटने वाले लोग मिलते हैं। उस इलाके के लोगों के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रह जाता, जब सरकार कहने लगती है कि टेस्ट वर्क भी नहीं चलने देंगे। टेस्ट वर्क तो टेस्ट वर्क ही है। अगर लोगों के पास कोई दूसरी रोजी या धंधा होता तो चैत या बैसाख के महीने में कोई भी टेस्ट वर्क में नहीं जाता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां बाढ़ में लोगों पर इतनी आपत्तियां आती हैं तो सरकार के लोग हंस कर टाल देते हैं और सरकारी अफसर मजाक उड़ाया करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में हमारे लिये सिवाय कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के और कोई चारा नहीं है।

एक चीज और कहना चाहूंगा। बड़ी चर्चा हुई लेखपालों की। कहा गया कि देहातों में तो यह चलता है। उधर से माननीय वित्त मंत्री जी ने भी और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा कि जमींदार वसूल किया करते थे और बहुत से माननीय सदस्यों की ओर इशारा भी था लेकिन यह जानना चाहूंगा कि दूसरे लोगों को छोड़ दीजिये, लेखपाल तो जालिम है और घूस लेता है लेकिन क्या जो यह आपके आफिसर लोग दौरे पर जाते हैं वह "खचियन अंडा" और "लढ़ियन भूसा" यह शब्द हैं जो इस्तेमाल होते हैं वहां, लेते हैं। क्या ये शब्द उनसे मिलते-जुलते नहीं हैं जो माननीय वित्त मंत्री जी पुराने जमींदारों के लिये इशारा करते हुये कह रहे थे। वे बड़े खराब थे लेकिन उनमें आप अपने अफसरों को भी तो शामिल कीजिये। वे दौरे पर जाकर लेखपालों के मत्थे पड़ते हैं और वह मजबूर हो जाता है कि दूसरों के सिर पर इस खमियाजे को डाले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

माननीय रियासत हुसैन साहब जब बोल रहे थे तो मंत्री जी ने कहा था कि जरा नाम बताइयेगा कि कौन कुर्क अमीन है जिसके पास दो-दो आदमी हैं, जो काम ऐसा करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन ऐसा लेखपाल है जिसके पास लिखने वाला मुंशी न हो, क्या वह बतावेंगे ? हर लेखपाल के पास मुंशी है और वह आमदनी कहां से होती है, क्या स्रोत है यह मंत्री जी जरा अपने जवाब में बतायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसन—मैं इन सब बातों में नहीं पड़ता।

श्री कल्पनाथसिंह—ठीक है। आपने सवाल तो किया था। अब मैं गांव समाज की जमीन पर लूट के बारे में कहता हूं। नदी से जमीन निकलती है, चाहे वह काश्तकार की हो, चाहे पुराने जमींदार की और चाहे गांव समाज की। उस पर लट्ठधारी लोग और पूंजीवाले लोग सौ-सौ, दो-दो सौ और चार-चार सौ एकड़ के फार्म बनाते हैं। यह सब कैसे होता है ? यह सब तहसीलदार, हाकिम परगना और लेखपाल की मिली-जुली साजिश से होता है। यह देखने की बात है।

मंत्री महोदय ने इस पुस्तिका में एक बात यह लिखी है कि गांव ऊंचे किये गये। मैं जानना चाहूंगा कि गोरखपुर जिले में कौन से और कितने गांव पारसाल ऊंचे किये गये।

इसके अलावा, भूमिधरी का अधिकार हुआ है। लेखपाल के खसरे में सवाई जिन्सी लगान का तो कालम बना हुआ है लेकिन अगर उस जमीन पर कोई भूमिधर खेती के अलावा कोई दूसरा पेशा करे तो क्या उसके लिखने का कालम बना हुआ है। कहीं ऐसा कालम नहीं मिलेगा। इससे उसकी भूमिधरी राइट का हनन होता है।

एक चीज, पुनर्वास का ढोंग जिस तरह से किया जा रहा है वह न करके, अगर बाढ़ पीड़ित इलाकों में माननीय मंत्री जी, गन्ने और जूट की खेती कराने की व्यवस्था करें तो मैं मंत्री जी का बड़ा शुक्रगुजार हूंगा बजाय इसके कि वह शब्दजाल फैलावें कि उन इलाकों के लिये ऐसी-ऐसी व्यवस्थायें करने जा रहे हैं। इससे अच्छा होगा कि कोई निश्चित कार्य किया जाय तो बड़ा कल्याण हो।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त।

*श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि कई दिनों के उठने बैठने के बाद आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह एक पैसा महत्वपूर्ण अनुदान है कि इसको राज्य की रीढ़ कहा जाता है। इसी से देश और प्रदेश का कार्य चलता है। जो अनुदान आज सरकार की तरफ से, प्रस्तुत किया गया ह उसका मैं अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और विरोधी पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं।

राजस्व और पुलिस के जो विभाग हैं उनका खासतौर से गांवों की जनता से सीधा संपर्क है। यह सही बात है कि आज माल विभाग में जो शिकायतें होती हैं वे उच्च श्रेणी में उतनी नहीं हैं जितनी कि निम्न श्रेणी में। जो आज चकबन्दी योजना चलाई गयी है वह किसानों के कल्याण और देश की तरक्की के लिये चलाई गयी है। जब इसका प्रचार शुरू हुआ था तो हम लोग गांवों में मीटिंग करके बताया करते थे कि चकबन्दी से किस प्रकार से लाभ होगा। कहा जाता है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वे जनता के सेवक हैं, यह सही है लेकिन आज जो प्रत्यक्ष देखने में आता है वह यह है कि आज वह नौकरशाही ६-६ साल हो गये लेकिन चक नहीं काट पायी है और आज तक किसानों के ऊपर नौकर की मजदूरी लदती जा रही है। एक ओर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुखराम दास]

उसको लगान देना पड़ता है, दूसरी ओर सिंचाई कर देना पड़ता है, उसके अलावा यह मेहनताना उसके ऊपर और लदता जा रहा है। अगर चक एक या दो सालों में ही काट दिये गये होते तो यह बोझा उनके ऊपर न पड़ता।

फैजाबाद सदर तहसील में आज ६ साल हो गये चकबन्दी खत्म नहीं हुई। यह इसलिये कि वहां के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो ए०सी० ओ० और सी०ओ० को पटाये रहते हैं। और जब उनका किसानों से संपर्क होता है तो उनसे कुछ लेन-देन होता है। जब कि एक किसान का चक ठीक कर दिया जाता है तो दूसरे का खराब कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर फैजाबाद तहसील में सनेथू गांव से ९ हजार रुपया वसूल हुआ है। साथ ही अजना में जब कि तमाम शिकायतें एस०सी०ओ० और डी०सी० के पास भेजी गयीं लेकिन आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बीकापुर में कोई कार्यकर्त्ता नहीं जा पाता है। नरसों, मैं एक गांव में गया था। वहां दो बुढ़िया मेरे पास आयीं और मुझसे कहा कि उनका ६–७ बीघा खेत था जिसका केवल ५ बीघा का चक बनाया गया है। इस तरह की तमाम शिकायतें हैं। वहां से ७ रजिस्ट्री सरकार के पास भेजी गयीं लेकिन आज तक चकबन्दी का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं गया है।

आज गांवों में आबादी के लिये, कम्पोस्ट के लिये, खलिहान के लिये, स्कूलों के लिये भूमि छोड़ी जाती है। आज काश्तकार इसको चाहता है लेकिन कर्मचारी इसमें हस्तक्षेप करते हैं। आज उन हरिजनों के लिये कोई जमीन नहीं छोड़ी जाती है जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है। गांवों के पास में जमींदारों के चक बना दिये गये हैं जिससे गरीबों का निकलना बन्द हो गया। कलेक्टर के पास बहुत सी दरख्वास्तें दी गयीं लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और न कोई इंक्वायरी की गयी। इन्कवायरी कौन करता है, वही कानूनगो और लेखपाल करते हैं और वह उल्टा उसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसने शिकायत की है और कहते हैं कि एम०एल० ए० से जाकर शिकायत क्यों की। अगर गरीब किसानों का चक गांव के करीब की अच्छी गोइंड का होता है तो उनको गांव से दूर चक दिया जाता है ताकि दूसरे गांव वाले उसको चरा लें। यह व्यवस्था है। मैं निवेदन करूंगा कि यह जो गड़बड़ी है इसके लिये इन्कवायरी कराई जाय कि जितने चक कटे हैं उनमें किस तरह से रुपया लेकर कार्यवाही की गई है। जिनके खिलाफ शिकायतें हैं वह सी०ओ० और ए०सी०ओ०। वहीं बने हुये हैं, खूब रिश्वत लेते हैं और हटाये भी नहीं जाते। नतीजा यह है कि उनकी शिकायतें बढ़ती जाती हैं। आज जिनके खेतों को नुकसान पहुंचा है वही जानते हैं। जब उन्हीं की शिकायत लौट कर उन्हीं के पास पहुंच जाती है इन्कवायरी के लिये, तो फिर न्याय कैसे हो सकता है? वह किसानों की गर्दन हलाल करते हैं। लेखपाल, कानूनगो, सी०ओ०, ए०सी० ओ० और एस०ओ०सी० सब इस तरह से मिले हैं कि एक तरफ से रुपया और घी आता है और दूसरी तरफ तक पहुंचता जाता है। पिछली बार भी इस तरह माननीय माल मंत्री जी का ध्यान दिलाया गया था लेकिन किसी आदमी को नहीं बदला गया और वही अनैतिक कार्य जारी है। ऐसी हालत में किसान कैसे खुशहाल हो सकता है? पिछले महीने की १८ तारीख को मैं टांडा तहसील गया था, वहां शिकायतें सुनने को मिलीं कि बगैर किसी इत्तला के अमीन आया और उसने लोगों को झुकाया और मारा। इस पर तहसीलदार से शिकायत की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम चाहते हैं कि इस तरह की अनैतिक कार्यवाही को फौरन रोका जाय।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)——माननीय अधिष्ठाता महोदय, मालगुजारी का संबंध इस सूबे के देहाती क्षेत्रों से बहुत घनिष्ट है और मैं भी श्रीमन् इस लाभ का संवरण नहीं कर सकता कि मैं भी अपने बुजुर्गवार राजस्व मंत्री का ध्यान पुनः किसानों की कुछ खास समस्याओं की ओर दिलाऊंगा। हमारे दोस्त भानुप्रताप सिंह ने एक बहुत ही जरूरी सवाल की तरफ ध्यान दिलाया और मैं चाहता हूं कि सरकार उस पर बहुत ध्यानपूर्वक विचार करे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुमसिंह विसेन—यही तो गड़बड़ है कि आप उनको सपोर्ट करते हैं।

श्री गेंदासिंह—वह हिस्सा में सपोर्ट नहीं करूंगा। हम देखते हैं ७० प्रतिशत किसानों की छुट्टी हो सकती है और ३ एकड़ से नीचे के किसानों की मालगुजारी छोड़ दी जाय। ७० प्रतिशत किसान ३ एकड़ से कम जोत वाले हैं। इससे आप बड़ा भारी बोझ उन किसानों पर से हटा सकते हैं। अगर जो एक बड़ी भारी संख्या किसानों की ऐसी है कि जिसको एक सब्सटेंटिव लेबिल पर भी करने का अवसर प्राप्त नहीं है उसकी शायद इससे कुछ मदद हो जाय। इस पर विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि डेवलपिंग एकनामी में रेवेन्यू का जो स्थान होता चला जा रहा है उसमें सरकार के लिये कोई चिन्ता की बात नहीं होना चाहिये। यह मैं इसलिये कह रहा हूं जो कभी-कभी सरकार के मन में यह प्रश्न उठता है कि लैन्ड रेवेन्य बढ़ा कर अपनी आमदनी बढ़ायी जा सकती है, इस गलत विचारधारा को त्यागना चाहिये।

दो, एक बातें मैं सीलिंग के सिलसिले में भी कहना जरूरी समझता हूं। सीलिंग की जो सीमा रखी गई है वह ज्यादा रखी गई है। लेकिन जो सीमा रखी भी गई, मैं समझता हूं, उस पर अमल नहीं हो रहा है। उसमें जितनी जल्दी होनी चाहिये थी। आज एक सवाल आया था कि लैन्ड लैस लेबरर्स को बसाने की योजना कैसे कार्यान्वित की जा रही है। उनको सीलिंग लगा कर प्राप्त की गई भूमि पर भी बसाया जा सकता था। पर उसमें अनावश्यक देर करके बड़े भारी समुदाय को अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। जल्द से जल्द उस पर कार्यवाही की जानी चाहिये और उस जमीन को निकाल कर भूमिहीनों को देना चाहियें जिससे वह भी स्वराज्य का सुख भोग सकें।

लेखपाल के कागजात की तरफ अगर मंत्री जी का ध्यान न दिलाऊं तो गलती होगी। आज जो कागजात हैं, कुछ कागजात मुझे इस समय देखने का मौका मिला। ऐसा नहीं है कि लेखपाल बराबर रहता नहीं, लेखपाल रहता है, काम करता है लेकिन उसके कागजात की यह अवस्था है कि ५० फीसदी कब्जे की गलतियां कागजात में हैं। कोई लेखपाल इसके लिये तैयार नहीं है कि वह वगैर कुछ लिये बाप की जगह पर बेटे का नाम दर्ज करे। रेवेन्यू विभाग की ड्यूटी होनी चाहिये जहां इस तरह के कागजात की गलतियां, वरासत की गलतियां मिलें, यह नियमों में है अगर वह ३ या ६ माह से ज्यादा वरासत में नाम किस का रखे हो तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये जो एग्जेम्पलरी पनिश्मेंट हो ताकि दूसरे ऐसी कार्यवाही न कर सकें। यह जिम्मेवारी सरकार की है कि कब्जे सही लिखवाये। कब्जे गलत लिखे हुये हैं और गलत कब्जे के साथ सी०एल०आर० डी० में ८, ९ साल से लगान एक आदमी पर तसखीस हो गया। अब अगर ५० या २५ फीसदी कागजात गलत हैं और सी०एल०आर०डी० में उस पर ८ साल का लगान वसूल होना चाहिये तो कहां दुरुस्ती हुई। तहसील और लेखपाल की गलती है, और चूंकि उसकी गलती पकड़ी जाती है उज्दारी में इसलिये वह गलती दूर नहीं हो रही है और ऐसे काश्तकारों पर वारेंट हो रहे हैं, वे गिरफ्तार हो कर बेइज्जत हो रहे हैं लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिये जरूरी है उन किसानों को बेइज्जती से बचाया जाय जो बिना किसी वजह से परेशान किये जते हैं और तंग किये जाते हैं।

गांव समाज की सम्पत्ति के ऊपर हमारा ध्यान बहुत कम है। मैं सभापतियों के संबंध में भी कहना चाहता हूं कि जिन सभापतियों ने गांव समाज की सम्पति के साथ बुरा व्यवहार किया हो उसके साथ सख्ती के साथ व्यवहार किया जाना चाहिये और गांव समाज की सम्पत्ति को बचाने के लिये हर मुमकिन काम होना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि कलेक्टर, कमिश्नर, और डिप्टी को पड़ताल करने के लिये मजबूर नहीं किया जाता है। यह लोग गांवों में

[श्री गेंदासिंह]

पड़ताल के लिये नाम मात्र के लिये जाते हैं । मंत्री जी देखें कि इनकी डायरी गलत तो नहीं लिखी जाती है कि हमने गांव की पड़ताल कर ली है । अगर पड़ताल सही हो तो कुछ राहत किसानों को मिल सकती है ।

जमीन हासिल करने का जो कानून सरकार का है वह बहुत ही निर्दयता का कानून है । पहले जमाने में सार्वजनिक काम के लिये जमीनें कम ली जाती थीं । अब सार्वजनिक कामों का दायरा बढ़ गया, सार्वजनिक काम बहुत हो रहे हैं और हमारे जिले में कई हजार एकड़ जमीन नहर के लिये ली जा रही है क्योंकि कोई नहर निकलेगी । सार्वजनिक काम के लिये जमीन निकाली जाती है लेकिन किसान अगर तबाह हो जाता है उस ओर भी सरकार को देखना चाहिये । सरकार किसान के जीवन यापन के लिये कोई उपाय निकाले । मध्य प्रदेश, बिहार, बम्बई और पंजाब में जो कानून है जमीन का मुआविजा देने के लिये, उसको देख कर माननीय राजस्व मंत्री यहां का कानून बदलें ताकि हमारे प्रदेश में जो इतना कम मुआविजा देने की जो प्रथा है वह बन्द हो । किसी सूबे से ८ गुना कम किसी से ५ गुना और किसी से २ गुना कम मुआविजा यहां मिलता है । इस कानून को बहुत जल्दी बदलने की जरूरत है और किसानों के ऊपर जो इस किस्म की ज्यादती हो रही है उससे उनको बचाया जाय ।

गांव पंचायतों के सिलसिले में बहुत दिन पहले हमें यह सूचित किया गया था कि हम मालगुजारी की वसूली का काम उन्हें दे देंगे । मैं समझता हूं कि इस बात का प्रयास किया जाना चाहिये । गांव पंचायतें ऐसी यूनिट हैं जो प्रजातंत्र के लिये बुनियाद का काम कर सकती हैं । मुझे याद है कि अलीगढ़ में एक दिन में एक गांव की मालगुजारी वसूल हो गयी । आज कोई भी मालगुजारी देने में आनाकानी नहीं करता । गांव सभाओं को अगर हम यह काम सुपुर्द करें तो आये दिन जो शिकायत होती है कलेक्शन अमीन व चपरासी की, वह दूर हो जायगी । ये लोग आज इस कदर ज्यादती कर रहे हैं, परेशानी पैदा कर रहे हैं जिससे सरकार की बदनामी होती है । गांव के लोग बुरी तरह से बेइज्जत हो रहे हैं, १५१ और ११७ में बन्द किये जा रहे हैं । अगर गांव समाज को वसूली दे दी जाती है तो ऐसे लोगों से उनको निजात मिल जाती है । १०० गांवों को ही पहले देकर देखा जाय और जिस तरह से और सूबों में है बम्बई में, सौराष्ट्र में, २५ प्रतिशत और कहीं-कहीं ३३ प्रतिशत मालगुजारी का हिस्सा पंचायतों को दिया जाता है वैसे ही यहां पर दे दिया जाय, गांव का काम चलाने के लिये । यह काम हमें आज नहीं तो कल करना होगा । इसे शुरू आज से किया जाय । यह शुभ काम है । जितनी शीघ्रता से इसे किया जाय उतना ही भला होगा ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो इस अनुदान पर मुझे बोलने के लिये अवसर दिया है उसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव विरोधी दल की तरफ से रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं । आज इसी सदन में उन लोगों की बात सुनकर हमें बड़ा हर्ष भी हुआ और साथ ही साथ वह कहानी याद आयी जो किसी जमाने में थी कि जो कल तक शोषक थे वे आज पोषक बन रहे हैं । कल तक जो गरीबों का खून चूसते थे, उनके खेत निकालते थे आज वे उनके हमदर्द बन रहे हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—यह तो अच्छी बात है ।

श्री गंगाप्रसाद—अभी तो आप बनारस में बैठे हुये हैं, जरा गोंडा की तरफ तशरीफ लाये तो वहां की हालत देखें । वहां के सामन्तशाही राजे महाराजे और ताल्लुकेदारों ने कौन से अत्याचार नहीं किये हैं? (व्यवधान) जरा शांत होकर सुनिये । आप तो कम्युनिज्म लाने वाले हैं और हम सोशलिज्म की तरफ चल रहे हैं । मैं तो कहता हूं कि एक कमेटी बिठाइये, जो यह देखे कि इन भूतपूर्व जमींदारों ने कितने गरीबों की खेती पर कब्जा किया हुआ है । हमारे माननीय गेंदा सिंह जी कहते हैं कि ७० फीसदी किसानों का लगान

माफ कर दो। लेकिन जिस दिन लगान माफ हो जायगा उस दिन गरीबों के पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं रह जायगी और उसका कारण यह है कि सामन्तशाही लोग, जिनके पास लाठी बल्लम और बंदूकें हैं उन्हीं का साथ लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार भी देते हैं। मैं तो गेंदासिंह जी और उग्रसेन जी को चुनौती देता हूं कि वे गोंडा जिले के गांव गडरहवा, थाना इटियाथाक में जाकर देखें कि वहां गरीबों के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। गोंडा का गरीब किसान नहीं रह सकता, वह तबाह हो जायगा बरबाद हो जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—लगान तो इन्हीं का माफ होगा न? ये अपनी भलाई सोच नहीं सकते।

श्री गंगाप्रसाद—सोचें कैसे? वहां पर हमें लाठी का सहारा देखना पड़ता है। वहां आपके सोशलिज्म का कहीं नामो निशान नहीं है। लेखपाल हमारा कभी नहीं रहा। पटवारी और लेखपाल उन्हीं जमींदारों के रहे हैं। माननीय गेंदासिंह जी पहले भी और जब से असेम्बली में आये हैं गरीबों की भलाई की बात कहते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि एक कमेटी बिठायी जाय जो यह देखे कि कितनी बंजर जमीन निकली और उसमें से कितने प्रतिशत गरीबों और हरिजनों को दी गयी। ७० फीसदी गांव सभाओं के प्रधान भूतपूर्व जमींदार लोग बने बैठे हैं।

श्री उग्रसेन—वह तो मंत्री जी ने बांटी होगी। (व्यवधान)

श्री गंगाप्रसाद—भाई ऊदल कहते हैं कि साढे १२ एकड़ से ज्यादा जोत वालों की जमीनें बांट दी जायं। मैं तो कहता हूं कि सवा ६ एकड से ज्यादा जमीनें बांट दी जायं। यहां भी सामन्तवादी लोग बैठे हैं। वे गरीब की भलाई कब चाहते हैं। हमारे जिले में बड़े-बड़े बाग कट रहे हैं उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक, आध पेड़ की परमिट होती है लेकिन धीरे-धीरे सारा बाग कट जाता है। एक जमाना था जब आम के पेड़ को लोग पुत्र कहते थे लेकिन आज तो गरभा और फलदार दोनों कट रहे हैं। इसे रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग में हरिजनों के लिये कोई स्थान नहीं है। वह एक कमेटी बिठायें जो इस बात का पता लगायें कि कितने कानूनगो, डिप्टी कलेक्टर और चपरासी, लिपिक, हरिजन हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरी इस मांग को जरूर ध्यान में रखेंगे।

श्री अधिष्ठाता—अब आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री शिवचरण** (जिला आगरा)—अधिष्ठाता महोदय, सरकारी पक्ष की तरफ से एक माननीय सदस्य ने कहा कि किसान भूमि के मालिक हैं। किसान भूमि के मालिक उनके भाषणों तक और कागजों तक ही सीमित हैं क्योंकि उसकी पैदावार के मालिक तो यह सरकार है या उसके सेठ हैं। जब कार्तिक के महीने में किसान गेहूं बोने के लिये तैयार होता है तो उसको २०-२२ रुपये प्रति मन के हिसाब गेहूं मिलता है और जब बैशाख में गेहूं उसके खलिहान से बाजार में आता है तो १३ रुपये मन के हिसाब से बिकता है। किसान की यह लूट दिन और रात जारी रहती है। इसके लिये क्या सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया है? किसानों की पैदावार की वस्तुओं के दाम निश्चित किये हैं जैसे कि मिल और कारखाने में बनने वाली वस्तुओं के दाम निश्चित हो जाते हैं। लेकिन किसान की पैदावार के दाम निश्चित नहीं हो सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवचरण--]

श्रीमन्, सोशलिस्ट पार्टी बराबर इसके लिये लड़ती चली आ रही है कि सवा छ एकड़ से कम जमीन वाले किसानों का लगान माफ होना चाहिये क्योंकि प्रदेश का किसान आपके साथ उसी समय हो सकता है जबकि आप उसके बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधा दें और यह सुविधा जब ही मिल सकती है जब उसका लगान माफ हो।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते हैं।

श्री शिवचरण—श्रीमन्, मैं पढ़ नहीं रहा हूं बल्कि बोल रहा हूं। उसके बच्चे तभी पढ़ सकते हैं जब उसका लगान माफ हो। इस सरकार का यह हाल है कि—

तीन सौ रुपये की इनकम पर हिमायत हो तब तक न लगेगा टैक्स सेठों पर इनायत हो।
इधर चार बीघे वाला जो किसान हो अब्बाद अताशी बढ़ता लगान हो।
खेती की पैदावार की फसल पर दाम गिरते हों, मिल में बनने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ते हों।
१ रुपये ७ आने मन गन्ने की खरीद हो, १७ आने सेर चीनी गरीब को मुफीद हो।
दोनों तरफ फायदा पूंजीपतियों का करते हो फिर जनता के बंदानिवाज नेक न शरमाते हों।
क्या प्रमाण दें प्रत्यक्ष अगर हो, अब तक समझो टाटा बिड़ला की सरकार है।
कलई दई खोल बताने तुम्हें गुप्त राज की पोल।
इतनी असमानता सरकार के अगर हो, मानवता के सामने मानवताई ही ख्वार हो।
मिनिस्टरों की तनख्वाह ४-६ हजार हो, ढाई आने रोज का विचारा चौकीदार हो।
एक से चलाये नौ अच्छा थानेदार हो, भुखमरी बेकारी प्रांत में हों।
फिर भी कहते जनप्रिय सरकार की जयजयकार हो।
मैं तो यहां तक कहता हूं कि ऐसी सरकार को धिक्कार हो।
भारत भू रही डोल बतलायें गुप्तराज की पोल
किसानों से चार चीजें ले लीं धन धाम धरती धंधा।
आपने किसानों की सारे सुख और सुविधायें छीन लीं।

मैं जिस तहसील एतमादपुर से आया हूं उसका एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि वहां पर चकबंदी में किस तरह से धांधली चल रही है। नगला सुर्जो, तहसील एतमादपुर के किसानों को वहां बरबाद कर दिया है। वहां पर सी०ओ० और ए०सी०ओ० की रिश्वतखोरी के मामले चल रहे हैं। हजारों दरख्वास्तें उनके खिलाफ पहुंची हैं और उनकी धांधली चरम सीमा को पार कर गई है। इसको कहने के लिये मैं सदन में आया हूं। मैं २८ तारीख को आगरे पहुंचूंगा क्योंकि वहां पर साही साहब चकबंदी के कमिश्नर आगरा में सर्किट हाउस में पहुंच रहे हैं। वहां पर इन अधिकारियों का परदा फाश करूंगा। किसानों की बातें उनके सामने रखूंगा। यहां भी कहे देता हूं कि वे जरूर आगरे पहुंचें। वहां जो चकबंदी की हालत चल रही है उसको साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। वहां के किसान जाग्रत हैं और अगर जरूरत पड़ी तो जनता आवश्यक कदम उठायेगी और हम बता देंगे कि इन अधिकारियों की बदमाशी और ज्यादा नहीं चल सकती है चार बातें सरकार ने छीन ली हैं धन धाम धरती धंधा और चार चीजें दे रखी हैं, झोला, झगड़ा, झाड़ू, झंडा।

श्री बद्रीप्रसाद—एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या इस प्रकार की बातें कहना सदन की मर्यादा के अनुकूल है ?

श्री अधिष्ठाता—यह बात ठीक है। इधर उधर न जाइये। विषय पर आइये। डेढ़ मिनट आपके रह गये।

श्री शिवचरण—जब तक सवा छः एकड़ से कम भूमि की मालगुजारी नहीं माफ होगी तब तक किसान सुखी नहीं रहेगा। सोशलिस्ट पार्टी का इसके ऊपर आन्दोलन भी चल

चुका है। हम पहली जून को एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सवा छः एकड़ से कम पर तुरन्त लगान हटाया जाय। एक बात और आपके सामने कविता के रूप में रह गयी है। जरा ढूंढ लूं।

श्री अधिष्ठाता—विषय के अन्तर्गत हो।

(माननीय सदस्य कविता ढूंढते रहे और समय समाप्त हो गया।)

आपका समय समाप्त।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूर्व इसके कि जो हमारे वयोवृद्धि राजस्व मंत्री जी ने अनुदान रखे हैं उनका मैं समर्थन करूं, मैं अपने पूर्व वक्ता के प्रति कृतज्ञता प्रगट करना चाहता हूं कि जो इस सम्मानित सदन में लंच का टाइम ले लिया जाता है, उसमें कुछ लोग बोर हो जाते हैं, उसको उन्होंने एक मुशायरा या कवि सम्मेलन का वातावरण पैदा करके, दूर कर दिया।

राजस्व विभाग के सम्बन्ध में जो तीन अनुदान रखे गये हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव माननीय भानुप्रताप सिंह ने रखा ठीक है। किसी अनुदान के सम्बन्ध में हम को कटौती का प्रस्ताव रखने का अधिकार है और विभाग की आलोचना करते हुये हमें सुझाव देने का भी अधिकार है। उसका हम प्रयोग करते हैं। माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने नीति की आलोचना करते हुये जब अपना सुझाव दिया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यह सुन कर कि १५ बीघे भूमि का लगान माफ कर दिया जाय। मुझे बड़ी शंका हुई, बड़ा भयभीत भी हुआ क्योंकि स्वतंत्र पार्टी ने तो जनता के सामने वादा किया है कि हम भूमि का लगान माफ करवा देंगे। ऐसे परदे छपा कर उन्होंने बांटे थे। सरकारी पक्ष के ऊपर विरोधी पक्ष यह आरोप लगाता है कि सरकारी पक्ष वादा वफाई नहीं करता। जो लोग कांग्रेस से नाराज होकर, निकल कर, एक विपक्ष बनाते हैं और जिन का जन्म हाल ही में जनता के अन्दर हुआ है, यदि वह इस प्रकार वादे खिलाफी करने लगेंगे तो उनका विश्वास जनता के अन्दर कैसे रह जायगा? भले ही उनको डर रहा हो कि हमारा प्रस्ताव नहीं माना जायगा, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव जिस प्रकार उन्होंने रखा है वह भी नहीं माना जायगा। तो उनको अपनी बात पर दृढ़ रहना ही चाहिये था।

मान्यवर, वृहत जोत कर, भू-राजस्व और दुर्भिक्ष सहायता इन तीनों मदों के अन्दर जो सुझाव आने चाहिये थे वह भूमि व्यवस्था के सुधार सम्बन्धी होने चाहिये थे। मुझे बड़ी खुशी है कि राजा साहब भी सदन में आ गये। मैं अपनी बात यहीं छोड़ कर थोड़ा यह जिक्र कर देना चाहता हूं कि हमारे राजा साहब मनकापुर ने बड़े गर्व के साथ कहा, मेरे जिले बहराइच के सम्बन्ध में कि वहां पर त्यागी पंडित भगवानदीन वैद्य, और सरदार जोगेन्द्र सिंह, जहां पर राजस्व मंत्री का घर बना हुआ है, एक राजा और रानी के सामने हार गये और वे इसलिये हार गये क्योंकि जनता को उन पर विश्वास नहीं है। मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं कि बात ऐसी नहीं है। माननीय राजा साहब मुझे क्षमा करेंगे। यदि कोई मनुष्य विभीषण का कार्य करने लगे तो घर समाप्त हो सकता है। राजा साहब ने इस घर को त्याग कर राजा और रानी से मिल कर रावण की भांति कांग्रेस को समाप्त करने के लिये कोशिश की। लेकिन भले ही विभीषण की सहायता से राजा राम की विजय हुई हो लेकिन लंका के अन्दर कोई पानी देने के लिये बाकी नहीं रह गया। उसी तरह से गोंडा जिले का हाल हुआ। उनके महामंत्री बलदेव सिंह हार गये। श्री नौरंग सिंह जितने वोटों से जीते वह बड़े शोभा की बात है।

श्री अधिष्ठाता—यह चुनाव का डिस्कशन नहीं है।

श्री बसन्तलाल शर्मा—चूंकि उन्होंने खास कर मेरे जिले का नाम लेकर जिक्र किया था इसलिये मैं उत्तर देना उचित समझता हूं।

[श्री बसन्तलाल शर्मा---]

मैं माननीय राजा साहब को बता देना चाहता हूं, गोंडा जिले की उस वक्त की याद दिलाना चाहता हूं जब कि वहां बनर्जी डी०एम० थे। तब राष्ट्रीय झंडा जलाया गया था उसमें किन लोगों का हाथ था वे स्वयं सोचें ? आज सीलिंग की दुहाई दी जाती है। माननीय राजा साहब और उनके नजदीकी रिश्तेदार भानुप्रताप सिंह जी अपने हृदय पर हाथ रख कर सोचें कि कितने बड़े-बड़े फार्म उनके पास हैं, कितने बड़े-बड़े भागों पर उनका कब्जा है। (लाल बत्ती होने पर) लाल बत्ती ने मुझे डरा दिया। मुझे ताज्जुब हुआ कि हमारे जन संघ के भाइयों ने भानुप्रताप सिंह जी का समर्थन किया कि १५ बीघे के भीतर लगान माफ होना चाहिये। वे भारतीय संस्कृति के पुजारी हैं, वे एक मात्र भारत के पुजारी होने का दावा करते हैं। मानव समाज में धर्म के प्रवर्तक महामुनि की मनुस्मृति को उठा कर अगर उन्होंने देखा होता तो उसमें साफ लिखा है—"धान्यानामष्टमो भाग: षष्टो द्वादश मेव वा"। यह किसान को राजा को देना चाहिये। मनु के शब्दों में अगर देखा जाय तो छठवां भाग नहीं व आठवां भाग भी नहीं, मैं बारहवें भाग पर आता हूं। आज गेहूं कि पैदावार प्रति बीघा ली जाय। औसत तीन मन का रख लें। इसका बारहवां भाग दस सेर हुआ। उसकी कीमत चार रुपये होती है जब कि डेढ़ दो रुपये से ज्यादा मालगुजारी अच्छी से अच्छी जमीन की नहीं रखी गयी है। विभाग के अन्दर दोष हैं। गवर्नमेन्ट का एक बड़ा फ्लाइंग व्हील है। इसके अन्दर बड़े निपुण माननीय माल मंत्री जी हैं जिनको माल का पुराना अनुभव है वह माल के वकील भी रह चुके हैं।उनसे कोई चीज छिपी नहीं है। वास्तव में लेखपालों का जो मसला है वह एक बड़ा सरदर्द है। गांव समाज के अन्दर जितनी जमीन है और जो नदियों के किनारे की जमीन है, उसमें बहुत सी जमीन परती पड़ी है और उसके ऊपर अनाधिकार कब्जा लोगों ने कर रखा है। उसके लिये सामूहिक रूप से एस० डी०ओ० का कैम्प लगवाकर उसकी जांच पड़ताल करवानी चाहिये और सही तरीके से उसका पुनर्वितरण होना चाहिये। इस विभाग के सेक्रेटरी दशरथ सिंह जी बहराइच जिले से और वहां की हालत से काफी वाकफियत रखते हैं क्योंकि वह वहां एस०डी०एम० रह चुके हैं। उनकी सहायता से यह विभाग चलता है। मैं समझता हूं कि सम्भवत: यहीं बैठे हुये वह सुन रहे होंगे, और इस तरफ उनका ध्यान जायगा।

बाढ़ के सम्बन्ध में, उसके अन्दर नावों के लिये, यह व्यवस्था की गई है कि जो गांव सभा ६० प्रतिशत खर्च देगी नाव के लिये, उसको ४० प्रतिशत गवर्नमेन्ट की तरफ से भी दिया जायगा। मैं समझता हूं कि बंधों के बन जाने से एक नयी समस्या बाढ़ की बन गई है और उसके कारण अब पूरी कीमत माफ करके उन गांवों में अधिक नावों की व्यवस्था होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे हुये अनुदान का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

*श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री भानुप्रताप सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये माननीय मंत्री जी का उस अभागे क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां कई वर्ष पूर्व उन्हें जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। यह वह इलाका है कटियारी और बरबन परगने का, जहां २० वर्ष से प्रति वर्ष दो बार बाढ़ आती है और उसके फलस्वरूप सुबह से शाम तक ऐड़ी चोटी का पसीना लगाकर किसान द्वारा बोयी गयी फसल जो होती है वह हर साल नष्ट हो जाती है और किसान अपने भाग्य को ठोंककर आज भी बैठा है। उस इलाके में पांच नदिया हैं और उन पांचों नदियों में साल में दो बार बाढ़ आती है। उससे केवल वहां की फसल ही नहीं नष्ट होती बल्कि हरसाल कुछ गांव भी कट जाते हैं। पारसाल भी, जैसी कि माननीय मंत्री जी को सूचना होगी, तीन गांव वहां के रामगंगा नदी से बिलकुल कटकर नष्ट हो गये और वहां पर यह समस्या बीस साल से बराबर चली आ रही है। बाढ़ के लिये सहायता देते हैं, उसके लिये एक मास्टर प्लान भी बन गया है लेकिन जहां तक हमारे क्षेत्र का सवाल है लोग आज भी आंख उठाकर देखते हैं कि वह हमारे यहां भी आने वाला है या नहीं। मैं इस बात को अपने अनुभव से भी कह रहा हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि शायद किसी साल में कुछ छूट देने के अलावा और कोई प्रयत्न वहां ऐसा नहीं किया गया जिससे कि जनता को यह अनुभव हो कि उनके कष्ट की किसी तरह माननीय मंत्री जी को भी सूचना है।

वहां पर एक और भी समस्या है जिसको कि मैं आज पूर्ण रूप से कहना चाहता हूं। जहां प्रति वर्ष दो बार बाढ़ आती है वहां एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। वह सड़क सांडी से कटियारी परगना होकर फर्रुखाबाद को जाती है। पहले कटियारी परगने तक जो कच्ची सड़क थी उसी को पक्की करने का सजेशन था। लेकिन पिछले दिनों में कुछ वहां के सदस्यों के कहने से उस सड़क को मोड़ दिया गया है और वहां जो लिलमय नदी है उसके ऊपर से सड़क को काटकर बनाया जा रहा है। लिलमय नदी में जो फर्रुखाबाद से पानी चलता है उसको क्रास करके एक आदमी की ऊंचाई के ऊपर सड़क बनायी जा रही है। उसका नतीजा यह होगा, बिलकुल निश्चित है, कि दस पन्द्रह गांव वहां के एक दिन के अन्दर उड़ जायें गे। सैकड़ों दरख्वास्तें उसके लिये दी जा चुकी हैं। यह कहा जा चुका है कि हमारी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने इस सड़क के बारे में बातचीत की, तो मालूम हुआ कि यह इसलिये बन रही है कि नहर के इस तरफ बनाने से सड़क का डैमेज कम होगा। तो जहां सड़क के डैमेज का ख्याल किया जाता हो वहां कम से कम दस पन्द्रह गांवों का भी ख्याल किया जाना चाहिये जो कि बिलकुल इससे नष्ट हो जायेंगे और हजारों व्यक्तियों की जानों का सवाल है। लोगों ने इस बात का निश्चय कर लिया है कि अगर बरसात तक बराबर सड़क बनती रही और पानी निकलने का रास्ता खत्म कर दिया गया तो सत्याग्रह भी होगा क्योंकि कोई भी आदमी अपनी जान मुफ्त देने के लिये तैयार नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी को अवगत करा रहा हूं कि ऐसे जो प्रयत्न हो रहे हैं सरकार की ओर से, बाढ़ को और बढ़ावा दिये जा रहा है, उसको कम से कम रोकना चाहिये।

एक प्रश्न और भी है। हर साल गांव कटते हैं नदियों से। जमीन बरार होती है और गांव कट जाते हैं। जब नदी से हजारों बीघा जमीन कट जाती है और नदियों के आस पास से कटकर जमीन निकलती है तो जो काश्तकार पहले जोते हुये होता है तो जब नदी बरार होती है वह जमीन गांव समाज में लिख दी जाती है। यह कानून बना हुआ है। यह माननीय मंत्री जी को पता होगा। अगर कोई काश्तकार एक जमीन को जोतता चला आया है और वह नदी में चली गई है तो जितने दिन वह नदी के अन्दर रहेगी वह काश्तकार के कब्जे में समझी जायगी और जब नदी बरार होगी तो वह उसी काश्तकार को मिलनी चाहिये लेकिन हर साल हजारों बीघा जमीन कटती है और वह कोई काम नहीं आती है। उस सम्बन्ध में सरकार को इत्तला होनी चाहिये ताकि वह उसका बन्दोबस्त करे। जिस काश्तकार की वह जमीन कट गई हो उसको वह जमीन दिलाई जाय ताकि हर साल जो यह भूमि सम्बन्ध संकट और आपस में उनका झगड़ा रहता है वह समाप्त हो। यह आवश्यक बात है जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

जहां तक मेरे क्षेत्र का सवाल है ३,४ गांव इस साल ही कट चुके हैं। उनके बसाने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। गांव समाजों के पास भूमि नहीं है। नदी से कटकर वह नदी की लपेट में चले गये हैं। उन गांवों के पास कोई भूमि नहीं रह गई है। जब गांव कटते हैं तो उनके पास भूमि नहीं रह जाती है। अधिकारियों के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास भूमि नहीं है। गांव समाज के पास भूमि है, वही दे सकता है। उनके पास कोई चारा नहीं है। तो ऐसी दशा में इस समस्या के लिये कुछ न कुछ सोचना होगा। जहां जहां पर २,४ गांव कट गये हैं उनके लिये कोई जमीन नहीं है। गांव समाज के पास जमीन नहीं है तो इस सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि उनके लिये कोई इंतजाम होना चाहिये। अगर उनके पास भूमि नहीं है तो उनके लिये भूमि को प्राप्त किया जाय लेकिन कम से कम उनके बसाने का अवश्य प्रबंध होना चाहिये।

[श्री शारदाभक्तसिंह—]

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप छूट देते हैं और वहां भी छूट हुई लेकिन इस इलाके का एक ऐसा अनुभव है जिसको मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। मेरे यहां १९५९-६० की फसल में छूट दी गई और सरकार के पास १० आना की छूट लिखकर जिले से आई और सरकार के पास मंजूरी के लिये भेजी गई और यहां से मंजूरी गई, लेकिन उस बीच में तहसीलदार साहब ने ऐसा किया कि अपनी लगान वसूली को ज्यादा दिखाने की वजह से जो लगान ६ आना वसूल करना चाहिये था वह उसने १६ आना ही वसूलकर लिया। यह वसूली उसने अपनी बात दिखाने के लिये की जो कि उसने सोलहों आना वसूल दिया। इसलिये सरकार से मेरा निवेदन यह है कि जो वहां पर यह पैसा अधिक वसूल किया गया है, जो वहां पर १० आना की छूट होनी चाहिये थी उसको जबरदस्ती वसूल किया गया तो उसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाय ताकि आइन्दा ऐसा न हो और सरकार से जो उनको छूट मिले वह बराबर मिलती रहे। तहसीलदार ने अपनी कारीगरी दिखाने के लिये यह जबरदस्ती उनसे वसूली कर ली। इस सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही होनी चाहिये कि वहां पर इस तरह से फिर गड़बड़ न हो।

इसके अलावा यह भी एक जरूरी बात है कि बाढ़ के समय में वहां कोई नाव नहीं मिलती है। जब बाढ़ आ जाती है तो कम से कम तहसीलदार को नाव में बैठकर उन गांवों को जाकर देखना चाहिये, लेकिन वह साधारण सी नाव पर जाता नहीं है। उन लोगों के पास तक कोई सूचना नहीं पहुंच पाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कम से कम कई नावें ऐसी होनी चाहिये जिससे लोग वहां पर जा सकें।

*श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्तुत अनुदान का समर्थन और उसमें जो कटौती का प्रस्ताव है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बड़े जोर से पिछले ५ साल से सुनता रहा हूं और आज भी कई सदस्यों से यह सुना कि थोड़ी भूमि रखने वाले किसानों के लगान को छोड़ दिया जाय। मेरा अनुभव है कि यदि हम कम भूमि रखने वाले किसानों के लगान को नहीं छोड़ सकते तो केवल इतना ही कर दें कि जिनके पास कुछ भूमि नहीं है उनको लगान पर ही दे दें तो भी बहुत उपकार हो सकता है। मैंने देखा कि बहुत बेचारे दुखी और मजदूर हैं और छोटे किसान हैं जो अधिक लगान पर भी जमीन चाहते हैं। परन्तु समाजवाद के नाम पर कितना प्रचार हुआ, किसानों को पनपाने के नाम पर, मजदूरों को पनपाने के नाम पर कुछ और हरिजनों को सुविधा देने के नाम पर चाहे वे विनोबा भावे के द्वारा और चाहे सरकार के द्वारा, मैं यह कह सकता हूं कि आज तक गांव समाज और सरकारी अधिकारियों में यह भावना जाग्रत नहीं हो पाई है कि गरीबों को भूमि देने की कार्यवाही में उनका साथ दें बल्कि यह निश्चित बात है और इसमें दो राय नहीं हो सकती कि मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ था कि जब चकबंदी किसानों के अन्दर आई। मैं अक्सर यह कहता करता था कि यह चकबंदी किसानों

(इस समय ३ बजकर ११ मिनट पर, श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

के भाग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली चीज है। शुरू में जब मैं चकबंदी के कर्मचारियों से मिला और उनको सहयोग दिया तो उनकी बातों से भी ऐसा मालूम हुआ कि इससे किसान खुशहाल हो जायेंगे। जो चकबंदी का ढंग चला वह ढंग उन दिनों तक चलता रहा जब तक कि चक की स्टेज सामने नहीं आई और जब तक कटने का वक्त आया तो हमने देखा कि चकबंदी कर्मचारी जिन लोगों के यहां जाकर ठहरते थे, खाते पीते थे, उनसे वे इतना प्रभावित हुये कि उनसे सम्बन्ध रहने वाले लोगों ने खूब फायदा उठाया। बाकी किसानों का बड़ा अहित हुआ। मैंने देखा है कि किस प्रकार से सभापति या और लोग जो उन कर्मचारियों से सम्बन्धित होते हैं उन्होंने उनसे फायदा उठाया। सैकड़ों दरख्वास्त ऐसे थे जो जमींदारी के बाद से लावारिश पड़े हुये थे ऐसे लोगों के नाम लिख दिये गये जो उन कर्मचारियों से सम्बन्धित थे, जिनका ताल्लुक उन लोगों से था। इस कारण गांव के किसानों में आज बड़ा ही असंतोष है। इसलिये चकबंदी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में आज इस बात की जरूरत है कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाय सरकारी स्तर पर कि लोगों को उससे संतोष हो जाय। मुझे यकीन है कि हमारे कर्मचारी ईमानदार हैं, परन्तु अक्सर कुछ ऐसे दलाल होते हैं तो उनके मन को खराब कर देते हैं और किसानों को परेशानी होती है। कुछ ऐसे आदेश भी पहुंचते हैं कि फलां समय तक इतना टारगेट पूरा हो जाना चाहिये और उसको पूरा करने के लिये जो भी सी०ओ० या ए०सी०ओ० वगैरह जाते हैं वे जल्दी से काम पूरा करते हैं और उसमें काफी गड़बड़ी करते हैं। उससे काफी नुकसान जनता को पहुंचता है।

श्री अध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री सुरजन (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक नया सदस्य इस सम्मानित सदन के अन्दर चुन कर आया हूं, इसलिये हो सकता है कि मैं सदन की भाषा में न बोल सकूं, लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा में राजस्व विभाग के संबंध में दो तीन बातें रखना चाहता हूं। वैसे हमारे माननीय डा० जेड० ए० अहमद साहब ने कुछ आंकड़े पेश किये। अगर उसका ही समुचित उत्तर हमें मिल जाता तो वह भी हमारे लिये काफी था। पहली बात तो यह है कि यहां जो दो दिन से बहस हो रही है उसमें यह दावा किया जाता है कि हमने जमींदारी का खात्मा किया, लगान की वसूली में नामी बरती, लेकिन मैं बताऊं कि यह जमींदारी तोड़ी गयी, यह बात सही है, लेकिन उससे लाभ किसी वर्ग को हुआ हो यह मेरी समझ में नहीं आता। इससे किसी को फायदा नहीं हुआ। न यह जमींदारों के हित में हुआ और न यह किसानों या गरीबों के ही हित में हुआ। यहां राजा महाराजा भी जीत कर आये। जमींदारी आपने खत्म की लेकिन उसका बिगड़ा क्या? जो शब्द उसके नाम के आगे लिखा जाता था वह शब्द आपने हटा दिया। जमीन उसकी एक इन्च भी नहीं निकली। इससे किसी वर्ग को फायदा हुआ हो, यह बात मैं नहीं मानता।

आप कहते हैं कि लगान वसूल करने में जमींदार किसानों को मुर्गा बनाया करते थे लेकिन इनका जो कुर्क अमीन है वह तो हिटलर को भी मात करता है। आजमगढ़ की महमूदाबाद तहसील में एक मौजा भार है, मऊ के निकट, वहां के ८० वर्ष के बूढ़े ब्राह्मण को ६ मील ले जाकर बन्द किया और बेहरोजपुर के एक बूढ़े आदमी को पकड़कर एक कुर्कअमीन घसीटता है। अभी एक महीना भी नहीं हुआ जब ८-१० आदमी किस लिये बन्द किये गये? उनके पास लगान का रुपया मौजूद है फिर भी जेल भेजे जाते हैं और १८-१९ दिन के बाद जमानत होती है आजमगढ़ जिले में। बड़ी शान से कहा जाता है कि लगान की वसूली में जमींदार मुर्गा बनाता था, हम नहीं बनाते। गांव समाजों को जो जमीनें दी गई उनका क्या हुआ? एक इंच भी जमीन गरीबों को नहीं मिल रही है। कमिश्नरी से कितने ही मुकदमे २२९-बी के वापिस किये जा रहे हैं क्योंकि किसानों के खाते का सवाल पैदा हो गया है। दस नम्बर का हमारा खाता है उसमें १५ गाटे खेत आ जाता है, तिकड़म से दो नम्बर पर किसी ने लेखपाल से कब्जा ले लिया। साल भर उसके ऊपर मुकदमा चला और अब कमिश्नर साहब दावे को वापस कर रहे हैं कि पूरे नम्बरों पर दावा कीजिये। अभी तक तो वह दो नम्बर ही हारता था कमिश्नरी से लेकिन अब १५ नम्बर भी हार सकता है। जो जमीन उसके पास थी अब उसको भी निकालने का प्रयास हो रहा है? मैंने बहुत से गांवों का दौरा किया। वहां पर प्रस्ताव पास किये गये कि किसी की जमीन न छिने और गांव समाज की जो जमीन है ऊसर, परती, बंजर वह भूमिहीनों में बटे .....

श्री अध्यक्ष—किस विषय पर बोल रहे हैं?

श्री सुरजन—मैं माल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो कि यह कहते हैं कि हमने जमींदारी तोड़ी, गांवों में खुशहाली लाये। दो-तीन बात जरूरी थीं जो मैं आपके द्वारा रखना चाहता था। कुछ सम्मानित सदस्यों ने इस ओर इशारा किया कि हम

[श्री सुरजन—]

समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। अगर इस सरकार ने गांव समाज की ऊसर, परती और बंजर जमीन को मजदूर और भूमिहीनों को बांट दिया होता, जिसके पास आज बसने तक की जमीन नहीं है तो वह भी महसूस करता कि जमीदारी खात्मे से उसको भी कुछ लाभ हुआ। आज बनारस में और मेरे यहां हजारों ऐकड़ जमीन मे गड्ढ़ी खुदवाई जा रही है, जंगल लगाने के लिये। एक तरफ तो जंगल कटवाये जा रहे हैं और दूसरी ओर जंगल लगवाने के नाम पर जमीन फैलाई जा रही है। तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस तरह की जो परती, बंजर और ऊसर जमीन आज गांव समाजों की सम्पति है वह यदि गरीबों में बटवा दी जाय तो उनके कुछ आंसू पुंछ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पहले जो पटवारी होता था वह तो डरता था, दो रुपये ही मांगता था लेकिन आज का लेखपाल खुलकर सौदेबाजी करता है और किसान को तंग करता है.....

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

***श्री रामलखन शुक्ल** (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय माल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान तथा उसके संबंध में कटौती के प्रस्ताव पर बहस चल रही है। मैं पहले के समर्थन में और दूसरे के विरोध में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैंने बड़े गौर से बहस को सुना और इस नतीजे पर पहुंचा कि उसमें बहुत-सी बातें ऐसी हैं जिनको दुहराने अथवा उनका उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसा करना सदन का समय बेकार करना होगा।

कुछ बहुत अतिरंजित बातें कही जाती हैं। जमीनों के लगान को माफ करने की बात भी कही गयी। लेकिन क्या उसके साथ कोई ऐसा प्रपोजल भी दिया गया कि जिससे वह रेवेन्यू मे कम्प हो जाय। यदि ऐसा प्रपोजल भी दिया जाय तो मैं माननीय माल मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे उसको छोड़ने पर विचार करें बिना इस बात को सोचे हुये कि वह प्रस्ताव किस व्यक्ति की ओर से आया है।

माननीय गेंदासिंह जी ने एक बात बड़े जोर से कही। उन्होंने कहा कि पंचायतों को मालगुजारी वसूल करने का मौका दिया जाय। चूंकि वह लोकतंत्र की एक इकाई है अतः उसको आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र किया जाना चाहिये। क्योंकि माननीय गेंदासिंह जी बहुत व्यावहारिक आदमी है इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आज की गांवों की परिस्थिति के अनुसार इस पर पुनः विचार करें। मैं भी पहले इसी विचार का था लेकिन मुझे अपना वह विचार बदलना पड़ा कि मालगुजारी की वसूली पंचायतों को दी जाय। आजकल पंचायतों को पंचायत राज्य टैक्स वसूल करने का अधिकार है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो रुपया वे वसूल करते हैं वह उसी जगह के विकास में खर्च करने का उनको अधिकार है, वह उन्हीं की लेजर में जमा होता है। सरकार भी जो रुपया विकास के लिये देती है वह भी उन्हीं की लेजर में जमा होता है। इसमें सरकारी अधिकारियों का कोई दखल नहीं है। लेकिन माननीय गेंदासिंह स्वयं जानते होंगे कि पंचायतों का यह टैक्स कितने प्रतिशत वसूल होता है और ठीक ढंग से खर्च किया जाता है। माननीय गेंदासिंह जो एक इलेक्टेड पोस्ट पर हैं, एम० एल० ए० हैं, वैसे ही एक ग्राम प्रधान भी होता है, वह भी चुना हुआ व्यक्ति होता है। चुने हुये व्यक्ति में एक स्वाभाविक कमजोरी यह होता है कि वह एक्जीक्यूटिव का काम नहीं करना चाहता है। क्योंकि वह सोचता है कि जब मैं मालगुजारी वसूल करने जाऊंगा तो वोट मांगने गया था उससे मेरी पोजीशन दूसरी होगी। इसलिये ग्राम सभाओं को मालगुजारी वसूल करने का अधिकार दिया जाय, इसके बारे में उनको फिर से विचार करना चाहिये। हां, मैं यह अवश्य चाहता हूं कि माल-गुजारी का एक निश्चित अंश पंचायतों को अवश्य दिया जाना चाहिये ताकि अपने विकास के कार्यों को वे स्वयं कर सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात और दुर्भिक्ष सहायता के बारे में है। यह ठीक है कि सहायता हम करते हैं लेकिन जब सहायता का प्रश्न आता है तो बहुत से कानूनी सवाल बीच में आ जाते हैं। जैसे कि टेस्ट वर्क का कानून है। टेस्ट वर्क के माध्यम से लोगों को सहायता पहुंचाने के बारे में सोचा जाता है। लेकिन जब टेस्ट वर्क के सिलसिले में हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि इसके जरिये हम यह पहचानते हैं कि कोई आदमी गरीब है या नहीं। हम उनसे कहते हैं कि कुछ सुरक्षा पूर्ण बातों का समावेश कीजिये जिससे लोगों की गरीबी को सदा के लिये दूर करने का मौका मिले। लेकिन वे कहते हैं कि इससे हमारा कोई संबंध नहीं है।

मैं गोरखपुर की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो सदा से आज तक उपेक्षित रहा है। वहां की गरीबी निर्विवाद है। आज भी जब कि अभी-अभी फसल कट चुकी है ७ रुपया हजार पर मिट्टी डालने के लिये वहां का आदमी तैयार है और बड़ी आसानी से मजदूर वहां उपलब्ध हो जाता है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय माल मंत्री जी से आग्रह और अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बात पर ध्यान दें और गोरखपुर जिले में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में टेस्ट वर्क पुनः जारी करें।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि टेस्ट वर्क्स प्रायः बाढ़ क्षेत्रों में बांधों पर लगाये गये थे और उनपर कुछ काम पूरा भी हो गया है। अब उनको अधूरा छोड़ देना तो उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत से ऐसे वर्क्स बांध के हैं उनपर टेक्निकल राय यह है—इंजीनियर महोदय ने कहा है कि अमुक बांध अनसाउन्ड है। यह हो सकता है कि टेक्निकल लोगों ने उसको अनसाउन्ड डिक्लेयर कर दिया हो जो ऐसे २ या ३ बांध हैं लेकिन वहां की जनता की उनसे बड़ी सुरक्षा रही है और मैं कहूंगा कि पुनः टेस्ट वर्क्स का काम लगाया जाय। यह मैं माल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। अब लालबत्ती हो गयी है इसलिये मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता।

श्री भगवानदास (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष इतना ही इस समय कहना चाहता हूं कि यह जो कटौती का प्रस्ताव राजस्व विभाग पर आया है वह समर्थन के योग्य है। सवाल इस बात का है कि शासक दल की ओर से जो एक माननीय सदस्य ने बड़े आवेशपूर्ण भाषण में कहा था कि आज खून चूसने वाले भी गरीबों की हमदर्दी की बात करते हैं। मैं उन साहब से और राजस्व मंत्री से पूछना चाहता हूं कि खून चूसने वाले यदि खून चूसना छोड़कर अब शोषित सर्वहारा किसानों की रहनुमाई करने के लिये आते हैं तो इसमें क्या पाप की बात है। उसके विपरीत जो आप पिछले दिनों पर कहा करते थे कि हम देश में शासनविहीन समाज की व्यवस्था करेंगे और गांधीवादी आदर्शों पर चलकर देश में खुशहाली लायेंगे, वह शोषक हो गये हैं जो और कल तक शोषक थे आज मैं उनको शोषित के रूप में देख रहा हूं। उनकी जमीन छीन ली गयी, उनके पास काम नहीं है लेकिन कल जिनके मकानों पर फूस नहीं थे आज वे जब २५, २५ हजार के कारों पर चलते हैं तो क्या सोचा जाय सिवाय इसके जो मैं कह रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति और किसी दल का नाम नहीं लेता।

वित्त मंत्री जी ने कहा था कि देश ने एक मोड़ लिया है। लेकिन मैं कहता हूं कि एक मोड़ बहुत जल्द आने वाला है। आपको शायद उसका ज्ञान नहीं है और जब वह मोड़ आयेगा तो आप यहां दिखलाई नहीं देंगे और जो किसान मजदूर कहलाते हैं, वह ऊपर आयेंगे। आप जो आज हवाई जहाजों पर चलते हैं और कारों पर चलते हैं, इंसानों को जो जमीन पर चलते हैं उन्हें इंसान नहीं समझते, सत्ता के नशे में आकर इंसानों को भूल गये, वह दिन दूर नहीं है जब आप वह मोड़ भी देखेंगे।

श्री अध्यक्ष—आप विषय पर बोलिये।

श्री भगवानदास—मैं विषय पर ही तो बोल रहा हूं। यह अभी उसका इंट्रोडक्शन था। उत्तर प्रदेश में ७ करोड़ जनसंख्या है उसमें से अनुसूचित, पिछड़ी हुई और विमोचित जातियों के व्यक्ति ४ करोड़ १५ लाख हैं। उसमें से १५ प्रतिशत ऐसे हैं जो खेती करते हैं बाकी लोग मिलों में, खेतों में या दूसरी जगह, उलटी सीधी मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। आपने शहरों में ३६ सौ रुपये सालाना आमदनी तक के लोगों को इन्कम टैक्स से छूट दी है, उसी तरह से मैं समझता हूं कि देश के किसान भी उसी तरह से सिटीजनशिप का अधिकार रखते हैं, भारतीय संविधान के अन्दर वह भी उतना ही अधिकार रखता है तो उसे आप यह क्यों छूट देने के लिये तैयार नहीं होते। वह भी, जिसकी आमदनी ३६ सौ रुपये सालाना की है इससे मुक्त हो सकता है। मैं समझता हूं कि गांव का रहने वाला किसान जिसके पास ९, १० या १५ बीघा तक खेती है वह क्यों नहीं इससे मुक्त हो सकता है? मैं समझता हूं कि आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि छूट होना चाहिये, आप के मोशन्स और ऐक्शन्स से यह जाहिर होता है लेकिन जिस तरह से कि हिज मास्टर्स वाइस का रिकार्ड टेप किया जाता है उसी के अनुसार वह रिकार्ड देता है, वैसे ही आप भी बोलते हैं।

चकबन्दी के संबंध में और थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। मैं किसान के यहां ही पैदा हुआ हूं लेकिन जमीन कुछ चक्करों में चली गई। मैं आप को बताऊं कि मेरे नजदीक के कुछ और लोग हैं जिन के पास जमींनें हैं। अलीगढ़ में एक अतरौली तहसील है, ठाकुर साहब चले गये, उन के किसी तरह से एक खास आदमी बताये जाते हैं जो वहां सी० ओ० या ए० सी० ओ० हैं, उन्होंने वहां ऐसी अन्धाधुन्धी और लूटमार मचाई है जिस का कोई कहना नहीं। वहां उन के जरिये से चक के चक इधर से उधर किये जा रहे हैं, जो कमजोर लोग हैं उन के चक खराब बनाये जा रहे हैं और पैसा लेकर बड़े लोगों से उनको अच्छे चक दिये जा रहे हैं। इस चीज को रोकना चाहिये। सरकारी बैंचों में बैठने वाले बहादुर कांग्रेसी सिपाही इन चीजों को रोक कर अपनी बहादुरी का परिचय दें और यह जो अन्धेरगर्दी चकबन्दी में चल रही है और जो चकबन्दी के बड़े बड़े अफसर बड़े बड़े किसानों से रिश्वत ले रहे हैं लाखों रुपये की और खुल्लमखुल्ला करप्शन हो रहा है, उस को रोकें। मैं इस में आप को दोषी नहीं ठहराता यह इसलिये भी है कि आप लोग अब आरामतलब हो गये हैं। महात्मा गांधी के साथ रहते थे तो वह कुछ कर्तव्य सुझाते रहते थे··· (समय समाप्त)

***श्री श्रीपतमिश्र** (जिला सुल्तानपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे पूर्ववक्ता महोदय ने इस बात से बड़ा असन्तोष प्रकट किया कि इधर के किसी माननीय सदस्य ने यह कहा कि जो पुराने जमीदार या राजा लोग थे जिन को कि किसी ने खून चूसने वाला इस प्रकार का सम्बोधन किया। लेकिन अगर उन्होंने उस को छोड़कर अब सेवा भाव ग्रहण कर लिया है और वह किसानों की मदद की बात सोचते हैं तो फिर अब उनको ऐसा कैसे कहा जा सकता है। इस में हम को क्या एतराज हो सकता है कि अब से ही वह किसानों के लाभ की बात सोचें, यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है लेकिन जब आप वास्तव में सीलिंग का विरोध करते हैं तो क्या वह भी किसान का हित सोचने की बात है? जब आप यह नहीं चाहते कि अधिक जमीनों वालों की जमीन लेकर हम लोग अलग बैठ जांय तो क्या आप वाकई में किसानों के लाभ की बात सोचते हैं? यह कहा गया कि जमीदारी टूटने के बाद किसानों का कोई लाभ नहीं हुआ और उसके सबूत में यह कहा गया कि आज किसान असन्तुष्ट है और उसका ही यह परिणाम है कि बहुत से वह राजा महाराजा लोग जिन के खिलाफ हम कहते थे वही फिर लौटकर आये, यह सबूत में कहा गया। मैं आप से कहूं कि जमीदारी टूटने के बाद एक ही पहलू पर हमें विचार नहीं करना है। जिस पहलू पर अबतक विचार किया गया है वह यह है कि ८ करोड़ रुपया मालगुजारी के रूप में दिया जाता था लेकिन इस का एक दूसरा आस्पेक्ट, एक दूसरा महत्व पूर्ण अंग यह भी है कि इधर किसान की मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ है, उस वक्त वह आपका

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गुलाम हो कर रहता था, इस वक्त उस को गुलामी नहीं करना है। आप अपनी तुलना सरकार से नहीं कर सकते हैं, सरकार की आलोचना आप कर सकते हैं सरकार अच्छी है, बुरी है, खराब काम करती है यह सब आरोप आप लगा सकते हैं लेकिन आप जैसे तुलना करते हैं कि हमारी जगह पर सरकार आ गई और वह भी किसानों से वैसा ही व्यवहार कर रही है इसके लिये कोई सबूत नहीं है। यह सरकार किसानों की है इस प्रदेश के तमाम रहने वाले नागरिकों की है। इस प्रान्त के रहने वाले सब नागरिक हैं। अब अगर वह धन जो पहले जमींदार लेते थे और उन्हीं का हो कर रह जाता था, उस धन को अब अगर सरकार लेती है जिस पर हर एक को बराबर अधिकार है और उसके एक एक पैसे को हम और आप पास करते हैं तो क्या बुरा है। इसलिये दोनों में समानता नहीं है।

लगान के संबंध में अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि ३,६०० रु० से कम की आमदनी पर शहर में कोई टैक्स नहीं लगता इसलिये देहात में लगान भी माफ कर दिया जाय। ठीक है। लगान उस पर लगता है जिससे किसान पैदावार करता है और जिस आधार से वह पैदा करता है उस पर लगान लगता है। यहां जो छूट दी गई शहर में वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिस आधार पर शहर में पैदावार होती है, शहर में व्यापार करने और काम करने का जो आधार है उसको सरकार नहीं देती, अगर सरकार दे तो उस पर भी वह पैसा उनसे लेगी, जब कि गांवों में सरकार पैदा करने के लिये जमीन देती है। इसलिये दोनों में अन्तर है। गांवों में जो आधार उनको मिलता है उस पर टैक्स लगता है। चाहे किसी भाषण को लिया जाय हरएक में यही एक नारा लगाया जा रहा है कि लगान कम किया जाय। यह नारा जब भी कहा जाता है तो मेरा विश्वास है कि क्षेत्र की ओर निगाह रख कर और चुनाव जीतने के बाद भी चुनाव को ख्याल रख कर इस बात को कहा जाता है।

अब चूंकि लाल बत्ती जल गई और समय कम है इसलिये मैं दो, एक सुझाव देना चाहता हूं। राजस्व और जमीन के बारे में काफी गड़बड़ी है, और यह इसलिये है कि किसान को यह नहीं मालूम कि उसे क्या लगान देना है। उसे यह भी बहुत हद तक नहीं मालूम होता कि इस साल जो लगान उसका है वही अगले साल भी रहेगा। जमीन पर उसका अधिकार किस तरह का है यह भी निश्चित रूप से उसे पता नहीं लगता। इसलिये मैं चाहूंगा लैंड टेन्योर एक किस्म का कर दिया जाय, एक किस्म का अधिकार हो। किसान को एक अधिकार पुस्तिका मिले जिससे उसे यह मालूम हो कि उसकी जमीन कितनी है और कितना लगान देना है। तीसरे यह कि किसान की जो जमीन है वह किसी तरह भी दूसरे के पास न जाय जब तक वह खुद उस जमीन को ले कर रजिस्ट्री करके न दे। इसके लिये रिमार्कस कालम की कोई यूटीलिटी नहीं है, मेरे ख्याल से यही सारे झगड़ों की जड़ है। अगर यह कालम न हो तो लेखपाल कोई भी बुराई करने लायक ही न रह जायगा। अगर मेरे सुझाव माने जाते हैं तो बहुत सी बुराइयां अपने आप समाप्त हो जायेंगी। अतः मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इन सुझाव को ध्यान में रखेंगे।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं पेश्तर इसके कि मैं वादविवाद का कुछ उत्तर दूं।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—मैं सूचना चाहता था कि माननीय सदस्य तो एक बार बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—यह सूचना का समय नहीं है। आप बैठिये। वह बोल नहीं रहे हैं। जवाब दे रहे हैं।

श्री भानुप्रतापसिंह—मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी तक माननीय माल मंत्री जी नहीं बोले हैं। जब तक उनकी नीति का मुझे ज्ञान न हो जाय तब तक मैं किस बात का जवाब दूं। अनुदान उपस्थित करते समय उन्होंने कोई बात नहीं कही, सरकार की तरफ

[श्री भानुप्रतापसिंह—]

से आधिकारिक ढंग से कोई घोषणा नहीं हुई, ऐसी स्थिति में मुझसे कहा जाता है कि मैं इस वादविवाद का उत्तर दूं तो मैं कहां तक उसके साथ इंसाफ कर सकूंगा। मुमकिन है कि उनकी बातों को सुन कर मैं कटौती का प्रस्ताव ही वापस ले लूं। इसलिये सरकार की क्या नीति है उसको आधिकारिक ढंग से सुन लेने के बाद मुझे जवाब देनेका अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—हो सकता है कि इतनी देर बहस होने के बाद कुछ बातें आप कहें और माननीय माल मंत्री आपका कटौती का प्रस्ताव ही मान लें।

श्री भानुप्रतापसिंह—कल से जो वादविवाद चल रहा है इसको मैंने काफी ध्यानपूर्वक सुना और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत से लोगों ने मेरे सुझावों का समर्थन किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने विरोध किया उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि उनकी बातें सुनने के बाद मुझे सोचने व समझने का अवसर मिला। हमारी तरफ से जो मुख्य सुझाव था वह यह था कि तीन एकड़ या इस से कम जोतने वाले किसानों की मालगुजारी माफ कर दी जाय। माननीय बसन्तलाल जी ने कहा कि स्वतंत्र पार्टी के विरुद्ध मैंने यह प्रस्ताव रखा है। शायद उन्होंने मेरे भाषण को ध्यानपूर्वक नहीं सुना। मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मेरी पार्टी की नीति यह है कि सब लगान माफ हो जाना चाहिये लेकिन इस समय की स्थिति को देखते हुए मैंने कम से कम के लिये यह बात कही थी और यह आशा की थी कि इसको सारा सदन मान लेगा।

एक माननीय सदस्य जो मेरे जिले के ही हैं, उन्होंने कहा कि मेरी मालगुजारी के बारे में जो स्वामित्व की बात है वह बड़ी विचित्र है। मैं वैसी ही विचित्र बात माननीय चौधरी चरण सिंह को सुनाना चाहता हूं। कम से कम उनको यह मालूम हो जाय कि यह विचित्र बात जो है मैंने कही है वह मेरे अकेले की नहीं है, बल्कि देश के जो बड़े बड़े विचारक हैं, उनकी भी है :

"It must be admitted that the critics have a case which has an economic, rather a psychological appeal, but it will fonder on the bed-rock of practical statesmanship."

उन्होंने इस तर्क के सिद्धान्त को माना है। केवल इतना ही कहा है कि 'प्रैक्टिकल स्टेटमैनशिप" उनको इजाजत नहीं देती। अन्त में उन्होंने यह कहा है—

"Land revenue is gradually, that is, as every year passes, becoming a smaller and smaller proportion of the entire revenue receipt of the State, and when Government constituted of whatever political party it may be, will be able to do without land revenue, the opportunity will be seized without delay.'

एक सिद्धान्त के रूप में यह सरकार उस बात को मान चुकी है जो मैंने प्रस्तुत की है क्योंकि उन्होंने व्यावहारिक कठिनाई का ही इसमें जिक्र किया है और उसी व्यावहारिक कठिनाई को देखते हुये मैंने यह सुझाव रखा था कि तीन एकड़ से कम वालों को मालगुजारी माफ कर दी जाय। मेरे पास देश के और बड़े-बड़े विचारकों तथा शास्त्रियों की पुस्तकें हैं जिनमें से मैं उनकी राय दे सकता हूं, लेकिन इस समय, समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहता। लेकिन यह बतला देना चाहता हूं कि यह जो सुझाव मैंने रखा था वह कोई विचित्र बात नहीं है। बल्कि उससे देश के विद्वान और विचारक सहमत हैं।

एक हमारे कांग्रेसी माननीय सदस्य ने कहा कि अगर हम ३ एकड़ से कम वालों को छोड़ देंगे तो डिस्क्रिमिनेटेरी लेजिस्लेशन होगा और वह कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध होगा। समझ में नहीं आता कि मैं इसका क्या उत्तर दूं क्योंकि वह वकील हैं और मैं वकील नहीं हूं। लेकिन पता नहीं कितने लेजिस्लेशन इस तरह के हैं कि ढाई सौ से कम वालों को ये राइट्स हो जायं, इसी प्रकार एग्जेम्पशन भी मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह का एग्जेम्पशन डिस्क्रिमिनेटरी होगा। अगर सरकार छोड़ना चाहे, तो वह संविधान के बिल्कुल विरुद्ध नहीं होगा।

सबसे बड़ी कठिनाई लोगों ने यह बतायी कि ३ करोड़ रुपये का नुक्सान हो जायगा तो वह कहां से आयेगा। उन्होंने अपने विचार से कोई इतनी बड़ी बात पूछी, जिसका कोई उत्तर नहीं हो सकता हो। आप स्वंय सोचें कि १९१ करोड़ रुपये में से सिर्फ ३ करोड़ की बात कही जाती है जो कि केवल डेढ़ परसेंट ही है। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, कौन सा ऐसा परिवार होगा या कौन सी ऐसी सरकार होगी जो यदि चाहे तो डेढ़ परसेंट की एकोनामी न कर सकती हो। फिर भी मैं उन सदस्यों के सूचनार्थ इस बजट की कुछ मदें बताना चाहता हूं जहां से ३ करोड़ रुपया बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। एक तो मेरे सुझाव के साथ ही यह बात भी कही गयी थी कि लेखपाल का पद ही समाप्त कर दिया जाय और यह कोई क्रान्तिकारी बात नहीं है। आपके पड़ोसी बिहार में लेखपाल नहीं रहता है। तो एक लेखपाल का पद हटाने से ही २ करोड़ की बचत हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि हमारी सरकार ४७ लाख रुपया सरकारी अधिकारियों को कर्जा देने वाली है मोटर खरीदने के लिये और निजी मकान बनाने के लिये। श्रीमन्, कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपके पास रुपये की कमी है, तो न दीजिये। और अगर देना ही है तो किसी बैंक से दिला दीजिये, श्योरिटी गवर्नमेंट हो जाय। एक विभाग है प्रान्तीय रक्षा दल। उस पर २५ लाख रुपये खर्च होते हैं। सभी जानते हैं कि इस विभाग की अब कोई उपयोगिता नहीं रह गयी है। इसी प्रकार से एक विभाग और है लेकिन छोटी रकम है इसलिये मैं उसको कह कर बहुतों को असतुष्ट नहीं करना चाहता। इसके अलावा पी० ई० सी० खोल दी गयी है। एन० सी० सी० खुली हुई है और केन्द्रीय सरकार उसके लिये जितना रुपया चाहें देने को तैयार है। लेकिन केवल अपने राज्य में भी एक दोहरी स्कीम चलाने के लिये १५ लाख रुपये बजट में रखे गये हैं। फिर एक ऐग्रीकल्चरल वर्कशाप है जिस पर १२ लाख रुपये का खर्चा है और डेढ़ लाख की आमदनी। मैं यह नहीं सकता कि आप इन्हीं कटौतियों को करिये, बल्कि अनेक मदें ऐसी हैं, जिनमें से ३ करोड़ रुपये निकालना कोई बड़ा कठिन काम नहीं है।

श्रीमन्, हमारे कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने और विशेष कर माननीय गंगाप्रसाद जी ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनको सुन कर आश्चर्य भी हुआ और दुखः भी हुआ। उन्होंने तीन एकड़ वाली बात का विरोध किया। और कोई विरोध करता तो करता परन्तु उनसे यह आशा नहीं थी क्योंकि यदि यह प्रस्ताव कार्य रूप में आ जाय, तो जितना लाभान्वित उनके भाई बन्धु होगें उतना कोई और नहीं होगा। उससे हरिजनों को सब से अधिक लाभ होगा क्योंकि छोटे काश्तकार वही सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने दूसरी बात यह कहीं कि अगर इस तरह से छूट दे दी जायगी तो गोंडा ज़िले में पता नहीं किस प्रकार के हिंसक जीवजन्तु हैं जो लगान माफ होते ही छोटे किसानों को खा जायेंगे।

श्रीमन्, यह बात बार बार सुनी गई कि गोंडा में विशेष प्रकार के लोग है। मैं गंगाप्रसाद जी से और मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह कैसी निकम्मी सरकार है जो इस तरह की बाते गोंडा में होने देती हैं। और वह रोक नहीं पाती है। प्रधान मंत्री जी गये और उसके बाद आई० जी०, डी० आई० जी०, सारे अधिकारी गये फिर भी ये चीजें क्यों नहीं रोक पातें हैं? अगर गंगा प्रसाद जी की बात सही है तो यह सरकार निकम्मी है जो इस तह की बातों को रोक नहीं पाती है।

श्रीमन्, समय कम है इसलिये मैं और ज्यादा न कह कर एक बार फिर कहूंगा कि इस तरफ के बैठने वालों की सर्वसम्मति से यह राय है और मैं समझता हूं कि हृदय से उधर बैठने वालों की भी यही इच्छा है और मैं अपने कांग्रेसी सदस्यों को सलाह देता हूं कि वे इसका विरोध न करें अन्यथा प्रदेश की ५० प्रतिशत जनता यह जान जायगी कि जब उनके लाभ के लिये, उनके हित के लिये प्रस्ताव लाया गया था तो उसका किस ने विरोध किया था।

श्रीमन्, उधर से बार,बार जमींदारों की ज्यादती और जुल्मों के बारे में यह कहा गया कि क्या लोग उन्हें भूल गये। मुझे इन जुल्मों की जानकारी नहीं है लेकिन माननीय हुकुमसिंह जी

[श्री भानुप्रतापसिंह---]

ज्यादा जानते हैं और वे फिर अभी सुनायेंगे। परन्तु मैं उनको सलाह देता हूं कि किसान तो उनके जुल्मों को भूल चुके हैं और वे भी उन बातों को अब भूल जायं अन्यथा आने वाली पीढ़ियां उनको ही भूल जायंगी। पुरानी कमाई पर कार्य बहुत दिनों तक नहीं चल सकता, अब कुछ अच्छे नये काम कर दिखाने की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष---समय समाप्त।

श्री हुकुमसिंह विसेन---अध्यक्ष महोदय, एक बात हमारे मित्र ने कही और हमें चेतावनी दी कि हम भूल जायं। हमें आने वाली पीढ़ी भूल जायगी, जरूर भूल जायगी क्योंकि ऐसे ही आप लोग हैं। आप से कोई चीज बंद नहीं है। इन मांगों पर दो दिन से विवाद हो रहा है। हमारे मित्र ने तीनों मदों पर कटौती का प्रस्ताव पेश किया और उन्होंने बड़ी विद्वतापूर्ण भाषण देने का प्रयत्न किया और अपने केस को साबित करने का प्रयास किया। जहां तक ग्रांट १ और ४१ का ताल्लुक है हमारे मित्र ने एक भी लफ्ज नहीं कहा। उससे मैं यह नतीजा निकालता हूं कि रिवाजन दस्तूर के तौर पर उन्होंने कट मोशन पेश कर दिया और उसके मुताल्लिक वे सीरियस नहीं थे। इससे हमारा काम भी बहुत हल्का हो गया। हमारे ५० से ज्यादा माननीय सदस्यों ने इस विवाद में भाग लिया लेकिन ग्रांट नम्बर ४१ और १ को बहुत कम लोगों ने टच करने की कोशिश की और मैं अगर कहूं कि नहीं के बराबर है तो अतियुक्ति नहीं होगी। लिहाजा ग्रांट नम्बर २ के ऊपर ही विवाद रहा।

हमारे मित्र भानु प्रतापसिंह जी ने भी अपने तकरीर दौरान में यह कहा कि कांग्रेस यह दावा करती है कि हमने काश्तकारों को जमींदारी के हक दिये लेकिन असलियत में दिये नहीं। हम क्या दावा करते हैं यह तो हम ही जान सकते हैं। सरकार की नीति, जो विधेयक पास होते हैं, उनमें निहित होती है। अगर मेरे नौजवान दोस्त इस बात का कष्ट करते और जमींदारी अबालिशन ऐंड लैण्ड रिफार्म्स ऐक्ट की धारा ६ को पढ़ते तो मालूम हो जाता कि क्या असली स्थिति है और क्या सरकार की नीति है। जमींदारी अबालिशन के पीछे एक तवारीख भी है। लम्बी तवारीख है। बहुत संभव है उसका कुछ हिस्सा हमारे मित्र के इल्म में न हो क्योंकि उस वक्त संभवतः वह नाबालिग भी रहे होंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हमेशा से मांग थी कि अपने देश में जमींदारी की प्रथा खत्म कर दें।

अभी एक मित्र कम्युनिस्ट पार्टी के खड़े हो कर कह रहे थे कि जमींदारी प्रथा खत्म करने से जमींदारों का नुकसान नहीं हुआ। मैं तो कहने वाला था कि राजा साहब मनकापुर से पूछ लीजिये। वह बतायेंगे कि क्या नुकसान हुआ। चिरइया अपने जान से गयी और खाने वाले ने स्वाद नहीं पाया। कांग्रेस की हमेशा से यह मांग थी कि इस प्रदेश में जमींदारी प्रथा को खत्म किया जाय जिसके लिये कांग्रेस ने मोरचे भी लिये। उसके विशेष कारण थे। क्या दशा उस जमाने में थी? हमारा किसान उस जमाने में सांस नहीं ले सकता था। मैं किसी जमात विशेष या व्यक्ति विशेष पर कोई हमला नहीं करना चाहता। लेकिन यह चीजें सर्व विदित है और रेकार्डस् में भी मिल सकती हैं। बड़े ही अत्याचार थे। इनसिक्योरिटी आफ टेन्योर थी। पहले हमारे अवध और आगरा में सात वर्ष के बाद हर काश्तकार बेदखल हो जाता था। अवध में दफा ५५ और आगरा में कोई दूसरी दफा थी। सात वर्ष में जो किसान कुछ पनपता था तो बेदखली में, नजराना, में और यह वह में तबाह हो जाता था। ६, ६ पैसे पर काश्तकार बेदखल हुआ है। वकील रहने की वजह से मुझे जानकारी है कि कुछ ताल्लुकेदारों ने ६, ६ पैसे पर बेखलियां की हैं और नाजायज तरीके से भी बेदखल किया, खेतों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। हमारे जिले में एक ताल्लुकेदार थे, जब किसान उनके पास जाते थे तो वह कहते थे कि बोलो नहीं हमारी जमीन सो रही है। इस तरह से कितनी परेशानियां थीं। नजराना होता था। कमलापति जी ने जिक्र किया था उस रोज, उसकी फेहरिस्त उससे ड्योढ़ी है। किसान के यहां लड़का पैदा हो तो जमींदार को नजर दो जा कर। जमींदार के लड़का पैदा हो तो एक बकरा और पांच पसेरी चावल ले कर पहुंचो। रसीदें दी नहीं जाती थीं। अगर सरकशी करें तो तीन वर्ष का दावा हो जाता था। यह सब ज्यादतियां थीं। इसको कोई नजरअन्दाज नहीं कर सकता।

संख्या १—बृहत जोतकर, अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी)
तथा अनुदान संख्या ४१—दुर्भिक्ष सहायता

चाहे जितना परदा डालने की कोशिश की जाय, यह बातें छिप नहीं सकतीं। इस सब बैक ग्राउन्ड में अगर स्वराज्य हो जाय, अंग्रेज चले जायं, यह हमारे सूबे के किसान अगर हर तरह से पामाल कर दिये जायं, और उनको इस जमींदारी की प्रथा से नजात दी जाय तो इंडिपेन्डेन्स आना और न आना बिलकुल बेकार की बात है? इसी कारण से इसी बैक ग्राउन्ड में आप देखिये हम उनको ओनरशिप दें या न दें, हमको तोउन्हें इन अत्याचारों से बचाना था, वह बचाया। हां, अब भी जैसा कि कुछ मित्रों ने कहा कहीं कहीं कुछ होता है और हमारे मित्र भानुप्रतापसिंह ने यह कहा कि यह सरकार निकम्मी है जो इसे बन्द नहीं करती। मैं भानुप्रतापसिंह जी को यकीन दिलाना हूं कि उसे हम बन्द करके रहेंगे, करके रहेंगे, करके रहेंगे। वह दिन दूर नहीं है, जब यह चीज बन्द होगी, होगी, होगी। हमारा किसान ज्यादा ओनरशिप पर नहीं जाता। उसको राहत जो मिली है इन मजालिम से उसके लिये वह बेशबहा चीज है और वह इससे मुतमइन है।

हमारे मित्र ने कुछ कानूनी बात बतायी कि इन्प्रेडिएट्स ओनरशिप की यह है और रेस्ट्रिक्शन जो रखा गया है ट्रांसफर पर वह नहीं होना चाहिये। जो रेस्ट्रिक्शन ट्रांसफर पर रखे गये हैं उसकी भी एक बैकग्राउन्ड है। वह हमारे मित्र भानुप्रतापसिंह जी को नहीं मालूम। जब जमींदारी एबालीशन कमेटी बैठी थी जिसके कि पूज्य पंतजी सदर थे, तो उसमें इस विषय पर विचार हुआ कि आया इनको अधिकार ट्रांसफर करने के लिये दिये जायं या न दिये जायं। लेकिन ज्यादातर राय यह हुई कि अगर ट्रांसफर के राइट्स दे दिये जायेंगे तो अमीरों के हाथ में वह जमीन फिर चली जायगी, वह जमीन एक्यूमुलेट हो जायगी भानु प्रताप सिंह जी जैसे अमीर आदमियों के हाथ में इसलिये रेस्ट्रिक्शन किया गया क्योंकि जमींदारों को एक बार खत्म करके फिर से दूसरे जमींदारों को हम पैदा नहीं करना चाहते थे। इसलिये रेस्ट्रिक्शन रखे गये। और वह हालात अब भी कायम हैं। अगर हम आज रेस्ट्रिक्शन हटा दें तो देखिये फिर कितने बेनामे हो जायं और जितने मालदार आदमी हैं वह सब जमीन के मालिक हो जायं। वह गरीब आदमी फिर उसी हालत में आ जायगा। और वैसा ही रह जायगा। (व्यवधान) वह जो अमीर आदमी हैं वह उसकी तरकीबें जानते हैं। हमने सीलिंग लगायी, उन्होंने अपने नौकर चाकर, बहू बेटे सबके नाम जमीन बांट दी। तो वह इतनी तरकीबें जानते हैं कि उनसे पार पाना बड़ा मुश्किल है। (व्यवधान) अरे, खामोश रहिये। आदाब महफिल सीखिये, पहले पहल यहां आये हैं। शोर करने से काम नहीं चलता। इस सभा में इस तरह से बातें नहीं करनी चाहियें। गांव सभा में यह आप कर सकते हैं या किसान सभा में कर सकते हैं।

एक दूसरी बात हमारे मित्र भानुप्रताप जी ने कही और बड़ी रोचक बात कही। और वह यह कि तीन एकड़ से कम की जमीन पर मालगुजारी माफ हो। हमारे मित्र जरा पिछड़ गये। एलेक्शन के दौरान में यह बात कहते तो ज्यादा अच्छा होता और जरूरी कही होगी नहीं तो आते कैसे? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एलेक्शन की स्पीच गैलरीज के लिये हो सकती थी है लेकिन विधान सभा के लिये यह कोई तत्व नहीं रखता। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसके नतायज भी तो आप देखें कि क्या होंगे? अगर हम आपकी बात मान लें और जरूर चाहते हैं कभी कभी कि आपकी बात मान लें क्योंकि हम भी किसानों के हमदर्द हैं। आप ही ठेकेदार लाइसेंसी उनके नहीं है हम भी उनके हमदर्द हैं और हमने भी उनकी सेवा की है और सेवा करने की योजनायें हमारी हैं, लेकिन इसके नतायज क्या होंगे? यह जो होशियार और दानिशमन्द लोग हैं यह इसके नाजायज फायदे उठायेंगे। ऐसी कुछ तरकीब लगायेंगे कि एकोनामिक होल्डिंग भी तीन एकड़ से कम कर देंगे और मालगुजारी माफ करा लेंगे। कुनबा बहुत है उनका, फेमिली प्लानिंग तो है नहीं उनके यहां। तो बांट बांट कर तीन एकड़ से कम कर लेंगे। सबकी मालगुजारी माफ और गवर्नमेंट की रेवेन्यू निल। (व्यवधान) उग्रसेन जी, आप तो एस० पी० हैं, लेकिन कुछ सोचते साचते हैं नहीं। जरा उसको सोचने का प्रयास कीजिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सीरिअस बात है अगर इस तरह से मालगुजारी कम कर दी जाय।

[श्री हुकुमसिंह विसेन—]

बहुत से मित्रों ने कहा कि जमींदारी खत्म होने से पहले सात करोड़ रुपया सरकार पाती थी, अब २२ करोड़ लेती है। १५ करोड़ भेज देना चाहिये किसानों के पास। एक साहब ने कहा कि सरकार ने अपनी जेब में रख लिया। मालूम होता है कि सरकार के इन्तजाम की उनको जानकारी नहीं है। एक पैसा हम अगर अपनी पाकेट में रख लें तो सजा हो जाय, तो १५ करोड़ को कैसे रख लेंगे। देवरिया ऐसी जगह है जहां पर छिप सकता है, बहराइच ऐसी जगह है जहां पर नहीं छिप सकता है। हमारे मित्र, जिन्होंने ऐसा प्रस्ताव किया है शायद उन्होंने सोचने का प्रयास नहीं किया। जमींदारी वैसे ही जब्त हो गई। अगर हमारे मित्र राजा मनकापुर से पूछें तो उनको मालूम हो जाय कि कितने लाख के बांड उनको हमने दिये हैं जिनको पे करना पड़ता है। १६२ करोड़ कम्पेन्सेशन ग्रान्ट और उतने ही रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट सरकार को देना है। वह कौन देगा। उसको भानुप्रताप सिंह जी देंगे या हुकुमसिंह देगा। जो १५ करोड़ आता है वह सब कम्पेन्सेशन में चला जाता है। इसके अलावा १ करोड़ ३५ लाख डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को अबवाब का देना पड़ता है। २५, ३० लाख इन्डाउमेन्ट वगैरा में देना पड़ता है। वह कहां से आयेगा। जरा आप सोचने की कृपा करें। कह दिया गया कि साहब पाकेट में चला गया। हर साल यह चीज बजट की किताब में दर्ज की जाती है लेकिन आपने कह दिया कि जेब में चला गया। चोरी का इल्जाम लगा दिया। माननीय सदस्य सोचते नहीं हैं। एक एम० एल० ए० को ऐसी गैरजिम्मेदारी की बात नहीं करना चाहिये। सब बातें सोचकर अपने मुंह से निकालना चाहिये। हमको सब लायबिलिटीज को पेश करना है। कम्पन्सेशन देना है और रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट भी देना है अभी उत्तराखंड की जमींदारी खत्म हो रही है तो उनका भी कम्पन्सेशन हमको देना है। सीलिंग का भी कम्पन्सेशन देना है....

श्री उग्रसेन—माननीय गंगा प्रसाद जी ने भी तो ऐसी ही बातें कही हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—आप भी ऐसी ही बातें कहा करते हैं। कुछ हमारे भाइयों ने कहा कि सी० एल० आर० डी० स्कीम बहुत खराब है। अगर उस स्कीम को न चलाया जाता तो जिन लोगों ने नाजायज तरीके से जमीन पर कब्जा कर लिया है और मालगुजारी नहीं देते हैं तो उन लोगों को बहुत मदद पहुंचती। इस स्कीम का विरोध करके लोग ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं जो गलत आदमी हैं। जब जमींदारी अबालिशन के बाद यह तमाम तब्दीलियां हुईं तो रिकार्ड अपटुडेट नहीं रहे। लोगों ने नाजायज तरीके पर कब्जा कर लिया। बागात को नष्ट करके जमीन को जेरेकाश्त ले आये। —८ वर्ष तक उससे मुस्तफीद होते रहे। मुस्तफीद होने के बाद सरकार ने लैंड रेविन्यू के लिये इस चीज को चालू किया तो इससे ५३ लाख की आमदनी सरकार की बढ़ी। मैं सही फिगर तो नहीं बतला सकता लेकिन करीब २ करोड़ के बकाया है। इतने बड़े पैमाने पर नाजायज फायदा बहुत से लोगों ने उठाया है। अब अगर उनसे यह कहा जाय कि तुम्हारी मालगुजारी इतनी हुई तो कौन सी बात है। इतना होने पर भी हम ज्यादती नहीं कर रहे हैं। हमने यह मौका उनको दिया कि अगर उनको कार्यवाही का नोटिस नहीं मिला और मालगुजारी तशखीश हो गई और उनको उजरदारी करने का मौका नहीं मिला तो उनको हमने यह हक दिया है कि जब अमीन हमारा उनके पास वसूल करने के लिये जाय तो उस वक्त से एक महीने के अन्दर वह उजरदारी दायर कर दें। जब तक उजरदारी का फैसला न होगा तब तक वसूली नहीं होगी। जब उनके पास अमीन वसूल करने जाय तो वे उजरदारी कर दें। उनको इत्तला इसकी जरूरी हो जायगी। उजरदारी का जो कुछ भी फैसला होगा उसके मुताबिक वह रकम रहेगी। और भी कई हमने आर्डर भेजे हैं उन पर अमलदरामद हो रहा है। एक यह है कि ७ वर्ष का अगर बकाया है तो ७ वर्ष का कोई एक बारगी अदा नहीं कर सकता। कुल रकम को अदा करना एकदम मुश्किल है। लिहाजा हमने यह किया है कि एक साल का नया लगान और एक पुराने साल का बकाया। इस तरह से हर साल वह दो साल का अदा करता जाय जिससे कई वर्षों में वह सब रकम अदा हो जायगी, यह भी एक सहूलियत हमने दी है। तो इस तरह से सरकार जो काम करती है वह इस बात को मद्देनजर रख कर करती है कि उससे जनता को फायदा हो।

हम यह समझते थे कि हमारे भाई भानुप्रताप सिंह जी कुछ सुझाव देंगे जब वे नीतियों के बारे में फरमायेंगे क्योंकि हमारा उनका ताल्लुक कुछ है और वह बहुत पुराना है, उसे हम ताजा करना चाहते थे। हम यह समझते थे कि यह जो १३.३५ करोड़ का बजट में घाटा है उस को पूरा करने के बारे में वह कुछ सुझाव देंगे क्योंकि वे यंग मैन हैं, पढ़ते लिखते भी हैं, फारेन भी जा चुके हैं। हम तो कुवें के मेढक हैं, कहीं नहीं गये। तो उनसे हम यह उम्मीद करते थे कि वे कुछ बातें बतायेंगे कि कैसे इस डेफिसिट को मीट किया जाय। लेकिन क्या बतायें, हम कान फैलाये बठे रहे, मगर कुछ भी उन्होंने इस ओर कहना गवारा नहीं किया। जहां फायदे की बात हो वहां तो यह कहेंगे कि नहीं, मगर जहां झाड़े में डालने की बात होगी वहां यह हमसे चाहेंगे कि हम उसे मान लें। दोनों तरफ की बातें भी अगर कहें तो समझ में आये, मगर झगड़े पैदा करने वाली बात समझ में नहीं आ सकती।

एक बात और है, उसे मैं माननीय भीखालाल जी से बाद में पूछ लूंगा, वह मेरे मुंह में है। मैं उनसे पूछूंगा कि वह कैसे भानु प्रतापसिंह जी के जाल में फंस गये। (हंसी) और उनके कट मोशन का सपोर्ट किया। वह कहते हैं कि सीलिंग नहीं हो, आप कहते हैं कि सीलिंग हाई है। यह दोनों में मेल कैसा? कम्युनिस्ट और स्वतंत्र पार्टी में एक राय कैसे हो गयी? भानु-प्रतापसिंह जी कहते हैं कि सीलिंग के कारण रिक्लेमेशन बन्द हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया और उनके कहने का मतलब यह है कि सीलिंग नहीं होनी चाहिये मगर भीखालाल जी कहते हैं कि सीलिंग बहुत हाई है, उसे लो होनी चाहिये। इनमें मेल कैसे हो गया, यह समझ में बात नहीं आती।

स्वतंत्र पार्टी जो यहां बैठी है वह तो यहां पर एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनी बैठी है और एक ही कुनबे के लोग उसमें हैं ज्यादातर। मैं माफी चाहता हूं यह कहने के लिये कि वह एक वृहत् कोआपरेटिव सोसाइटी है और यहां पर बैठ कर असर तो डाल ही सकती है। दो एक प्वाइन्ट पर मेल तो हो ही सकता है। मगर चन्द्रजीत यादव जी नहीं हैं, वे कहते थे कि हम उसूल पर कम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, लेकिन इस समय मेल कैसे हो गया यह हम बाद में पूछेंगे, वह बात हमारे मुंह में है अभी।

एक साहब ने कहा, कि चकबन्दी में कोई सी० ओ० हमारे रिश्तेदार हैं। मेरा कोई रिश्तेदार चकबन्दी में नहीं है .....

श्री उग्रसेन—जाति का होगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—जाति के तो आप भी हैं, माननीय उग्रसेन जी भी हैं, बहुत से हैं। इस तरह की निराधार बातें कहकर सदन में एक एटमास्फियर पैदा करना राजस्व मंत्री के खिलाफ आप के लिये, हमारे लिये या सदन के लिये शोभा नहीं देता। मुझे इस बात को सुन कर बड़ा दुख हुआ था। मैं उस समय यहां नहीं था, अगर होता तो उसी वक्त इससे इनकार करता।

कन्सालिडेशन के बारे में भी बहुत सी बातें कही गयीं। मैं भीखालाल जी का बड़ा आभारी हूं कि कम से कम एक जगह दीदा-दानिस्ता या इनएडवर्टेन्टली ही सही, यह कहा कि चकबन्दी का काम अच्छा है, करेक्शन आफ रिकार्ड बहुत अच्छा है। यही बात उनकी तरफ से निकल आई, हमारे लिये बहुत काफी है। यह चकबन्दी का काम बहुत मुश्किल है, इसको आप लोग भी जानते होंगे। जब नया नया यह काम यहां पर चला तो बड़ी गड़बड़ियां हुईं, जान बूझ कर या कैसे भी लेकिन गड़बड़ियां हुईं, इसको मैं तस्लीम करता हूं लेकिन जैसे जैसे तजुर्बा हुआ वैसे-वैसे कुछ इम्प्रूवमेन्ट हुये या नहीं, यह मैं माननीय गेंदा सिंह जी से पूछना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में जो एक मसल है कि का नाई लड़का जब पहले पहले हजामत बनाता है तो इधर काट देता है, उधर काट देता है लेकिन जब उस को मश्क हो जाती है तो आप सोते रहेंगे, आप को पता नहीं पड़ेगा, वह हजामत बना देगा। तो हमारे अफसरान जो हैं उनको महारत

[श्री हुकुमसिंह विसेन—]

हो गई है, वह बहुत ठीक तरह स बनाते हैं, चक भी और हजामत भी, इससे में इनकार नहीं करता। लेकिन यह कह देना कि सभी कुछ गलत है, ठीक नहीं है। खराब अफसरों को हम तंग भी करते हैं। हम लिखा-पढ़ी में ज्यादा भरोसा नहीं करते, हम तो सामने बुला कर डांटते हैं और कह देते हैं कि जाइये, अगर शिकायत आयेगी तो बर्खास्त करूंगा।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव केवल चकबन्दी पर ही बोले, उन को बड़ी शिकायत है। उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकीं तो हम क्या करें, हम कुसूरवार नहीं हैं। सब की ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकतीं। कोई अगर चाहे कि चार गांव के चक एक जगह इकट्ठा बना दें दो वह कैसे हो सकता है, हमारे कायदे में नहीं आता। लिहाजा अगर इस तरह का हम काम नहीं कर सके तो उनको शिकायत है तो मैं उसकी परवाह भी नहीं करता। मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत बातों को इस सदन में नहीं कहना चाहिये, पब्लिक इन्टरेस्ट की बातें यहां पर की जाती हैं। अगर कोई खास शिकायत हो तो वह हमसे अलग कह दीजिये। अगर जायज होगी तो हम सुनेंगे वरना नाजायज बात में सुनूंगा भी नहीं।

कुछ लोगों ने कहा कि लेखपालों की पोस्ट ही हटा दो। एक मित्र ने कहा कि उनको परमानेन्ट कर दो। अब हम किसकी बात सुनें। यहां सब एम० एल० एज बराबर हैसियत रखते हैं, सब जोरदार हैं। क्योंकि उनमें इख्तलाफ राय है इसलिये मालूम होता है, दोनों की राय गलत है। इसलिये हम को यह आप्शन है कि हम जो मुनासिब समझें करें।

जहां तक अमीनों को मुस्तकिल करने का सवाल है माननीय सदस्य जानते हैं सन् १९५०–५१ में दो-तिहाई अमीनों को मुस्तकिल किया जा चुका है, इन्टीग्रेटेड स्कीम के मुताबिक और बकाया भी अब परमानेन्ट हो जायेंगे।

लेखपालों के बारे में कब्जा लिखने की चर्चा भी बहुत चली। इसके बारे में हमारे पास शिकायतें आयी हैं और इस सदन में एक मर्तबा श्री रामचन्द्र विकल एक प्रस्ताव भी लाये थे। उस पर बड़ी बहस हुई, माननीय सदस्यों ने उसमें भाग लिया। जिसका मेरे ऊपर यह इम्प्रेशन हुआ किये शिकायतें कुछ हद तक ठीक हैं। मेरा पर्सनल ख्याल है कि इसकी वजह से लिटीगेशन बहुत बढ़ रहा है। इसके लिये हमने एक कमेटी मुकर्रिर की थी, जिसकी दो तीन बैठकें हो चुकी हैं। २१ तारीख को एक बैठक हुई थी लेकिन माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र विकल के न आने के कारण उस को पोस्टपोन कर देना पड़ा। उसकी फिर मीटिंग होने वाली है, अवश्य ही उस में हम इस के लिये कोई इलाज ढूंढेंगे और उसमें लेखपाल की पावर को कम करने का प्रयत्न करेंगे, वैसे तो जो नियम बने हैं उनमें उसकी पावर वैसे ही कम है। अगर वह ऐसा इन्वराज करता है तो उस की एक नकल कानूनगो के जरिये से दे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह कोई एवीडेंशियल वेल्यू नहीं रखते। लेकिन देखा यह जाता है कि फारमेलिटी पूरी नहीं होती है। इसके लिये हम अवश्य ही कोई तरीका ढूंढेंगे।

एक बात और कही गयी कि मालगुजारी की वसूलयाबी पंचायतों को दे दी जाय। इसके बारे में हमने एक्सपेरीमेंट किया और ७ वर्षों तक मुख्तलिफ जिलों में इसका एक्सपेरीमेंट करते रहे। पूर्वी नहीं पश्चिमी जिलों में हमने इसका एक्सपेरीमेंट किया। लेकिन हमारी वह स्कीम फेल हो गयी और वह वसूलयाबी नहीं कर सके। पंचायतों का टैक्स तो वे लोग वसूल ही नहीं कर पाते। उस को हमें मालगुजारी की तरह से वसूल करना पड़ता है। अगर हम ऐसा कर भी देंगे तो बहुत से प्रधान तो दिखाई भी न पड़ेंगे, कत्ल हो जायेंगे। हमारे एक मित्र ठीक ही कह रहे थे कि क्योंकि वे लोग इलेक्टेड होते हैं इसलिये इस काम को करने में बड़ी दुश्वारी होती है।

श्री उग्रसेन—पंजाब में तो होती है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—यही वजह है कि वहां इतने कत्ल होते हैं। कभी वहां जाइयेगा नहीं। हम तो इसमें फेल हो गये। अगर वे कामयाब हुए तो उन को मुबारकबाद है।

लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि मालगुजारी अदा करने का एक बहुत पुराना दस्तूर है, एक मर्तबा अगर उस को ढीला कर दिया गया तो आप फिर उसे वसूल नहीं कर सकते हैं। लिहाजा जो इन्टीग्रेटेड स्कीम बनायी गयी है उस के मातहत ही उसको वसूल किया जाता रहेगा।

एक लगान की छूट का सवाल भी उठाया गया। उसके बारे में इस सदन में पहले एक प्रस्ताव भी आया था। माननीय गेंदासिंह जी को मालूम है। भानुप्रतापसिंह जी को मालूम नहीं होगा क्योंकि उस समय वे इस सदन के मेंबर नहीं थे। उस पर डिसकशन भी हुआ और उस को रिजेक्ट भी किया गया। भानुप्रताप जी कोई नई बात यहां नहीं लाये। वे उस पर गौरव न करें, एक से एक सूर सामंत यहां आ चुके हैं। इसलिये सदन ने एक निर्णय ले लिया जो जनहित में है और उसी में स्टेट का भी हित है। फिर एक बात और कि खासकर इस विकास के जमाने में हमें पैसे की बड़ी जरूरत है। इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह इन ग्रान्टों को स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष—अब मैं आप के सामने जो कटौती के प्रस्ताव हैं उनमें से मैं भानुप्रतापसिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्तावों पर मत लूंगा और जो मांग की गयी है उनके ऊपर मत लूंगा: अन्य कटौती के प्रस्तावों का समावेश भानुप्रताप सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव में समझा जायगा और उनके प्रस्ताव पर जो निर्णय होगा वह सब कटौती के प्रस्तावों पर लागू होगा।

श्री चन्द्रबलीलाल—अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस अनुदान पर किसी ने कोई बात नहीं कही। मैं, श्रीमन्, अनुदानों पर कुछ कहने वाला था लेकिन हमें आपने मौका नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—यह बात आप माननीय उपसेन जी से कहिये। मेरे पास जो नाम आये थे उसी के अनुरूप मैंने किया।

श्री चन्द्रबलीलाल—आप ने जो यह कहा है कि जो प्रस्ताव रखे नहीं गये उनको रखा गया मान लिया जायगा। तो जब वह रखे ही नहीं गये तो उनको रखा हुआ कैसे माना गया?

श्री अध्यक्ष—यह इसलिये कि जिसमें आप को विवाद करने का अवसर मिले।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—बृहत् जोत-कर के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—

(१) अव्यावहारिक सरकारी नीति पर चर्चा।

(२) विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १—बृहत् जोत कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,६४,२०० रुपयों से अनाधिक धनराशि स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय?

[श्री अध्यक्ष—]

कमी करने का उद्देश्य—

(१) सरकारी अव्यावहारिक नीतियां।
(२) लगान आधा न करने की ग़लत जैसी नीतियां।
(३) विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,६४,०१,७०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१—दुर्भिक्ष सहायता के अधीन मांग जी राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति का आलोचनाकरना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४१—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३८,०५,७०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५—बिक्री-कर

वित्त उप-मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५—बिक्री-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३८,२१,२०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५—बिक्री-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३८,२१,२०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ७—स्टाम्प

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७—स्टाम्प के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,६१,७०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या ७—स्टाम्प

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७—स्टाम्प के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,६१,७०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ८—निबन्धन

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८—निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १५,०३,४०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८—निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १५,०३,४०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२—अधिवर्ष भत्ते तथा निवृत्ति वेतन (पेंशनें)

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले बर्ष में अनुदान संख्या ४२—अधिवर्ष भत्ते तथा निवृत्ति वेतन (पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,०१,७२,९०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४२—अधिवर्ष भत्ते तथा निवृत्ति वेतन (पेंशनें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,०१,७२,९०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५४—निवृत्ति वेतनों (पेंशनों) की संराशि

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५४—निवृत्ति वेतनों (पेंशनों) की संराशि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,२६,००० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५४—निवृत्ति वेतनों (पेंशनों) की संराशि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५,२६,००० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५६—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्षमें अनुदान संख्या ५६—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १६,१३,१४,४०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५६—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १६,१३, १४,४०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६—अन्य कर और शुल्क

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,४३,७०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, सन् १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६—अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ६,४३,७०० रुपयों से अनधिक धनराशि स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कानपुर विकास खंड समिति में कोआपरेटिव सोसाइटी की ओर से प्रतिनिधि भेजने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब सहकारिता मंत्री, जो सूचना श्री शिवनाथसिंह द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत हुई थी, उस पर वक्तव्य देंगे।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—इस विषय में जानकारी प्राप्त करने की काफी कोशिश की गयी। डी० एम० से कांटैक्ट करने की कोशिश की गयी लेकिन वह नहीं मिले। जिला नियोजन कार्यालय से जो सूचना मिल सकी उसे मैं निवेदन किये देता हूं। इस एडजर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज के कार्यालय से सूचना मांगी गयी, उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में उनके यहां कोई सूचना नहीं है क्योंकि वह लोकल मामला है।

जिला नियोजन कार्यालय, कानपुर से टेलीफोन द्वारा इस सूचना को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। वहां से यह मालूम हुआ कि प्रतिनिधियों की सूची बाबत क्षेत्र समिति के चुनाव, जो आगामी २७ अप्रैल, १९६२ को होने वाले हैं उसकी लिस्ट संबंधित सहकारी निरीक्षक तथा सहायक विकास अधिकारी सहकारिता की देख रेख में तथा उनकी जिम्मेदारी पर बनाई गई, जिसकी ३ प्रतिलिपियां जिला चुनाव कार्यालय में प्रेषित की गयीं जो पूर्ण रूप से तैयार करवाई गईं जिसका प्रमाण संबंधित सहकारी निरीक्षकों के हस्ताक्षर उस तालिका के प्रत्येक पन्ने पर इस आशय के साथ ले लिये गये थे कि वे पूर्णरूप से सही हैं। नियोजन कार्यालय कानपुर से जो लिस्टें जिला चुनाव कार्यालय कानपुर को प्रेषित की गयी हैं वे उसी लिस्ट की कापियां हैं

जो सहायक विकास अधिकारी सहकारिता ने बना कर भेजी हैं। तीन प्रतिलिपियां जिला चुनाव कार्यालय में प्रेषित कर दी गईं और एक प्रतिलिपि जिला नियोजन कार्यालय में रख दी गई।

जहां तक लिस्ट को प्रकाशित करने का प्रश्न है इस तरह के कोई भी आदेश या प्राविजन नहीं है कि इन सूचियों को जनसाधारण के लिये प्रकाशित किया जाय। इसलिये इन सूचियों को प्रकाशित नहीं किया गया।

दूसरी लिस्ट के बारे में जो कहा गया है कि विकास खंड समिति की ओर से भेजी गयी है, इसकी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय मंत्री किस आधार पर यह कह रहे हैं कि जो सूची तैयार की गयी उसके प्रकाशन की कोई जरूरत नहीं थी?

श्री अध्यक्ष—वह कहते हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई नियम ऐसा नहीं है जिसके अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये वह प्रकाशित हो।

श्री उग्रसेन—यह चुनाव नियोजन विभाग की ओर से कराया जा रहा है या जिला चुनाव कार्यालय की ओर से?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिला परिषद् के सम्बन्ध में जो चुनाव हो रहा है फोन से इंस्ट्रक्शंस भेजे गये हैं कि इस तरह की लिस्टें वहां चली जायंगी। इसलिये इसका सहकारिता विभाग से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—जिला परिषद् के चुनाव में भी क्या इस तरह की वोटर्स लिस्ट प्रकाशित करने का नियम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वह कह रहे हैं कि कोई नियम ऐसा नहीं है। अगर आप जानते हैं कि फलां नियम है तो वह देख लेंगे।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)—माननीय मन्त्री ने कहा कि सर्वसाधारण के लिये प्रकाशित करने के लिये नियम नहीं है तो क्या जो सहकारी समितियों के सदस्य हैं उनके लिये सूचना हेतु प्रकाशित करने के लिये नियम है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उन सबको मालूम है कि उनको वोट देना है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—सदस्यों को पूरी सूचना नहीं मिली और चुनाव परसों कराये जा रहे हैं और उसमें सरपंच लोगों को ठीक ठीक मालूम नहीं है कि वे वोटर्स हैं या नहीं हैं, इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री को क्या कहना है?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह नहीं है। माननीय सदस्य जान लें। प्रश्न यहां यह है कि जो लिस्ट तैयार हुई है वह ठीक तरह से तैयार नहीं हुई, उस की हमें सूचना मिली नहीं, उसे हम दुरुस्त नहीं करा पाये। यह तो अन्तरिम जिला परिषद् या जिसका भी कार्य हो वह करेगा।

श्री जगदम्बाप्रसाद—इसी सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा हूं जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि जो वोटर्स हैं उन को तो जानकारी है ही लेकिन मैं समझता हूं कि उनको जानकारी नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि जिला सहकारी समिति के कार्यालय से भी एक सूची मतदाताओं की दी गयी है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने अभी निवेदन किया कि जिला सहकारी दफ्तर से तीन बाकायदा सही सूचियां गयी हैं। उनके हर एक पृष्ठ पर जिम्मेदार आदमियों के दस्तखत हैं। एक सूची उन्होंने अपने दफ्तर में रखी है और दूसरी भेजी है। इसके अलावा किसी दूसरी सूची की इत्तला नहीं है।

श्री उग्रसेन—मंत्री जी ने दो उत्तर दिये। पहला उत्तर यह दिया कि जिला नियोजन कार्यालय के कोई इंस्पेक्टर साहब के द्वारा सूची बनी थी और दूसरा उत्तर यह दिया कि जिला सहकारी कार्यालय से तीन सूचियां भेजी गयीं। तो इन दोनों में से कौन सा उत्तर सही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैंने निवेदन यह किया था कि जिला अधिकारी के यहां से जो सूची गयी है सहकारी समिति से वह बोना फाइड है। उसी को इंस्पेक्टरों से प्रमाणित करा के भेजा गया। विकास खंडों से सूची भेजने की जो बात कही गयी कि उसमें कुछ दूसरे नाम हैं तो अगर ऐसी कोई सूची गयी है तो उस को कोई जानकारी यहां नहीं है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी इसका स्पष्ट उत्तर देंगे कि यह चुनाव सहकारी विभाग द्वारा कराया जा रहा है या जिला चुनाव विभाग द्वारा कराया जा रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह चुनाव तो जिला परिषद् की तरफ से है। इसका कोई सम्बन्ध सहकारी विभाग से नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अब इस पर प्रश्न समाप्त। अब हम उठते हैं और १ मई को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ४६ मिनट पर मंगलवार, १ मई, १९६२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२५ अप्रैल, १९६२।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—६१ एल० ए०—११६२—८४५।